राजभाषा भारती

अंक : 112 वर्ष : 28

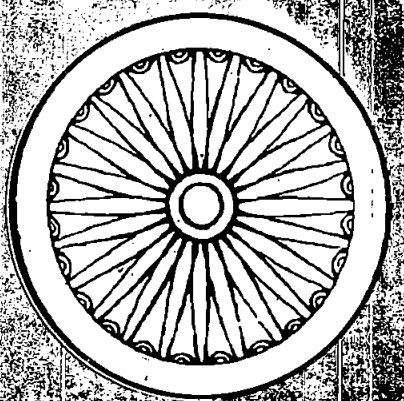

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

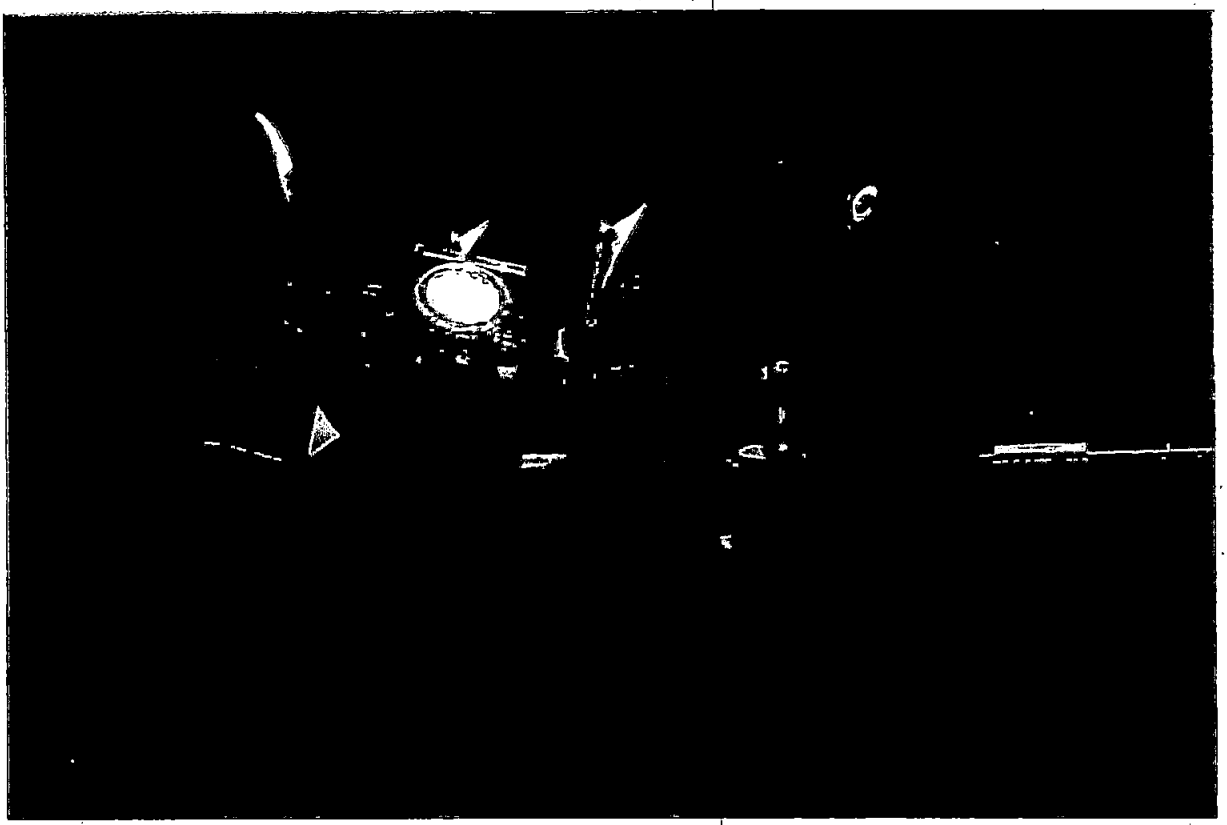

8 मार्च, 2006 को देहरादून में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में श्री सुदर्शन अग्रवाल, महामहिम राज्यपाल उत्तरांचल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को पुरस्कृत करते हुए ।

संयुक्त हिंदी पखवाड़े में सर्वोत्तम निष्पादन के लिए एच.ए.एल. ओवरहॉल डिविजन को अध्यक्ष, नराकास, बेंगलूर, श्री पी. गणेशन, ट्राफी प्रदान करते हुए ।

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे
—निराला

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 28

अंक : 112

जनवरी–मार्च, 2006

❑ संपादक
बिजय चंद्र मंडल
निदेशक (अनुसंधान)
दूरभाष : 24617807

❑ उप संपादक
डॉ० राजेंद्र प्रताप सिंह
दूरभाष : 24698054

❑ संपादन सहायक
शांति कुमार स्याल
फोन : 24698054

❑ निःशुल्क वितरण के लिए

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग को उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

❑ पत्र-व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोक नायक भवन (द्वितीय तल),
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

ईमेल–ru-ol@mha.nic.in
patrika—ol@mha.nic.in
पोर्टल–www.rajbhasha.nic..in.

विषय-सूची

			पृष्ठ
❑	संपादकीय		(iii)
❑	चिंतन		
1.	भारतीय राष्ट्रीय अखंडता : भाषाई समन्वय	–डॉ० दिविक रमेश	1
2.	अनुवाद : सांस्कृतिक और भाषिक विविधता की अनुभूति	–देवेंद्र उपाध्याय	10
3.	प्रयोजनमूलक हिंदी : आवश्यकता एवं प्रयोग-क्षेत्र	–प्रो० संजय धोटे	13
❑	साहित्यिकी		
4.	हिंदी भाषा परिष्कारक : आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी	–डॉ० रत्नि शर्मा	16
5.	हिंदी जगत के उत्कृष्ट साहित्यकार : पं० चंद्रधर शर्मा गुलेरी	–प्रवीण कुमार	19
6.	जयशंकर प्रसाद के साहित्य में भारतीय राष्ट्रीय भावना का विकास	–डॉ० रुकमणी तिवारी	23
7.	हिंदी में जासूसी साहित्य के प्रणेता : पत्रकार प्रवर गोपाल राम गहमरी	–शुकदेव प्रसाद	25
❑	विश्व हिंदी दर्शन		
8.	प्रवासी हिंदी साहित्य में भारत	–प्रो० त्रिभुवननाथ शुक्ल	30
❑	पर्यावरण		
9.	प्रदूषण और भावी संतति	–डॉ० रामदास 'नादार'	35
10.	पर्यावरण मित्र अपारंपरिक ऊर्जा एवं ग्रामीण महिलाएं	–किशोर तारे	38

1394 HA/06–1

विषय-सूची

		पृष्ठ
❑ संस्कृति		
11. रामचरित मानस : तुलसीदास का कीर्ति स्मारक	–डॉ० पन्ना प्रसाद	41
❑ विविध		
12. विचारों की दुनिया	–सरला तलवार	43
❑ राजभाषा संबंधी गतिविधियां		
(क) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें		45
(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें		52
(ग) कार्यशालाएं		58
(घ) हिंदी दिवस		64
❑ संगोष्ठी/सम्मेलन		73
❑ पुरस्कार		78
❑ प्रशिक्षण		80
❑ आदेश-अनुदेश		82
❑ पाठकों के पत्र		87

संपादकीय

राजभाषा भारती का 112वां अंक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। सुधी पाठकों ने अनुभव किया होगा कि पिछले कुछ अंकों से हमने "राजभाषा भारती" में मानकीकृत देवनागरी लिपि का प्रयोग आरंभ कर दिया है। ध्यातव्य है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन संचालित केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी वर्तनी के मानकीकरण के बारे में वर्ष 1967 के दौरान एक पुस्तिका प्रकाशित की थी। हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने देवनागरी लिपि, हिंदी वर्तनी और अंकों के स्वरूप में एकरूपता लाने के प्रयास किए हैं। इसी क्रम में राजभाषा विभाग द्वारा भी समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते रहे हैं और यह देखा गया है कि अब काफी पत्र-पत्रिकाओं में हिंदी की मानकीकृत वर्तनी और लिपि का प्रयोग होने लगा है। इस प्रकार फिलहाल कुछ पत्र-पत्रिकाएं मानकीकृत देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहीं हैं जबकि कुछ परंपरागत लिपि का। इसलिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि धीरे-धीरे मानकीकृत लिपि और वर्तनी के प्रयोग की ओर बढ़ा जाए।

हिंदी गृह पत्रिकाओं की राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। वास्तव में वे न केवल सर्जनात्मक प्रतिभा तथा संवेदनाओं के प्रस्फुटन का साधन हैं वरन् उनसे कार्यालयों में हिंदी में कार्य करने का माहौल भी तैयार होता है, जो कि उनका प्रमुख लक्ष्य है। अत: इन पत्र-पत्रिकाओं में उपयोगी, संतुलित सामग्री और मानकीकृत लिपि का उपयोग उन्हें अधिक उपादेयता प्रदान करेगा। यह उस संदर्भ में और भी जरूरी है जबकि केंद्र सरकार के कार्यालयों में बहुत अधिक संख्या में कार्यरत हिंदीतर भाषी कार्मिकों के बीच इन्हें स्वीकार्य बनाए जाने का लक्ष्य हो।

इस अंक में "चिंतन" स्तंभ के अंतर्गत तीन, "साहित्यिकी" के अंतर्गत चार आलेखों के अलावा "विश्व हिंदी दर्शन", "पर्यावरण", "संस्कृति" तथा "विविध" स्तंभों के तहत उपयोगी सामग्री दी जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ उपयोगी पुराने परिपत्रों के साथ ही हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न कार्यालयों में किए जा रहे प्रयासों को अधिकाधिक स्थान देने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है, यह अंक पाठकों को सुरुचिपूर्ण तथा उपयोगी लगेगा।

पाठकों की प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं, इसलिए सुधी पाठकों से प्रतिक्रिया भेजते रहने का अनुरोध है।

–संपादक

चिंतन

भारतीय राष्ट्रीय अखंडता : भाषाई समन्वय

–डॉ. दिविक रमेश*

भारतीय अखंडता

मैं अपनी बात एक प्रश्न से ही शुरू करना चाहता हूँ। भारत के संदर्भ में उसकी अखंडता या एकता का प्रश्न, रह–रह कर, आशंका, खतरे या चिंता की शैली में क्यों उठाया जाता है? क्या इसकी अखंडता सचमुच इतनी कमज़ोर बुनियाद पर टिकी है कि जरा से आघात से पूरी इमारत हिल जाए? क्या यह कुछ-कुछ ऐसा ही नहीं लगता जैसे किसी पति-पत्नी का रिश्ता इतने कमज़ोर समझौते पर टिका हो कि ज़रा सा विवाद भी उसे तलाक की आशंका से भर दे। भारत और पूरे विश्व के परिदृश्य को देखें तो आशंका के एक-दो कारणों की कल्पना की जा सकती है। एक तो भारत की विविधता उसका सच है। यहाँ अनेक पंथ हैं, सैंकड़ों बोलियाँ और भाषाएँ हैं, वेष-भूषाएँ हैं, खान-पान की अनेक आदतें हैं, नयन-नक्श और रंग भी अनेक हैं, इत्यादि। आचरण, सोच, दर्शन और संस्कृति की भी कितनी ही शाखाएँ, उपशाखाएँ हैं। छोटी-बड़ी मिलाकर सत्ताकामी राजनीतिक पार्टियों का भी यहाँ अंबार है। अर्थात् भारत में अनेक भेदक कारण मौजूद हैं। अतः आशंका क्यों नहीं। दूसरे, हाल ही में, विश्व स्तर पर सोवियत संघ को टूटते हुए देखा गया है। इधर पूरे विश्व में छाए हुए आतंकवादी संगठन भी ऐसी आशंका और चिंता के जनक कहे जा सकते हैं। तो भी? और यह तो भी कोई छोटा-मोटा प्रस्थान बिंदु नहीं है। यहाँ अपने देश की संस्कृति, उसकी आत्मा की गहरी पहचान कर मुहम्मद इकबाल के शब्द सहज ही याद हो आते हैं :

> यूनान मिश्र रोमाँ (रूमा)सब मिट गए जहाँ से
> अब तक मगर है बाकी (बाकी बचा है अब तक)
> नामो निशाँ हमारा।
> कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी
> सदियों रहा है दुश्मन दौरे-ए-जहाँ हमारा।

प्राचीन काल से ही भारतीय सिद्धांत 'आत्मनो मोक्षार्थम् जगत हिताय' अर्थात् अपने लिए मोक्ष और जगत के लिए कल्याण का रहा है। अपने से इतर का भी कल्याण चाहना और करना, पूरे विश्व को कुटुंब मानना, हमारे राष्ट्र की गौरवमय परंपरा है;

> सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
> सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्।

यहाँ के मानव का संकल्प है कि उसके कारण किसी को भी लेशमात्र कष्ट न हो।

हम मध्यकाल का ही अपना इतिहास देखें तो पाएँगे कि उस समय एक ओर हिंदू-मुसलमान का संप्रदायवादी झगड़ा और दूसरी ओर निर्गुण-सगुण का मसला और शैव-शाक्तों आदि में बँटा (या बाँटा गया) समाज था। हताशा-निराशा भी थी तो दक्षिण के आलवार संतों से लेकर उत्तर तक के संतों की आशाओं से भरी निर्भीक वाणियाँ भी थी और थी कबीराना आत्मविश्लेषणात्मक फटकार भी। इस देश ने सत्ता की दृष्टि से राजाओं और नवाबों में बँटा भौगोलिक परिदृश्य भी भोगा है। और फिर टुकड़े-टुकड़े में बँटे देश को, अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त पराधीनता की बेड़ियों से, राष्ट्र (डॉ. फतेह सिंह के अनुसार राष्ट्र का शाब्दिक अर्थ रातियों का संगमस्थल है। राति का पर्यायवाची 'देन' है। अतः राष्ट्र में राष्ट्रजन अपनी-अपनी 'राति' (देन) राष्ट्रभूमि को प्रदान करते हैं) की नई चेतना और उसकी नई संकल्पना से स्वयं को संपन्न कर, जूझते भी देखा है और स्वाधीन होते भी

*प्राचार्य, मोती लाल नेहरू महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय साउथ कैंपस, नई दिल्ली-110021

देखा है हाँ, देश के विभाजन के रूप में एक नासूर ज़रूर मिला और यह विभाजन भी बार-बार जन्म लेने वाली उपर्युक्त आशंका का एक कारण कहा जा सकता है। कभी-कभार उभरने वाले अलगाववादी नारे भी कुछ लोगों की चिंता का विषय बन जाते हैं। लेकिन इस सच्चाई से हम मुँह नहीं मोड़ सकते कि बावजूद कितनी ही भ्रामक, आततायी और प्रलोभनकारी खंड-कामी शक्तियों के हमारा भारत एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में न केवल विकास के रास्ते पर है बल्कि विश्व के एक सक्षम नेता के रूप में भी सम्मान पाता जा रहा है। इसका कोई एक कारण ढूँढा जाए तो वह है इस राष्ट्र का आत्मा से ही समन्वयशील होना । हमारा राष्ट्र आत्मा से ही सेक्युलर है। इसे हम अपनी राष्ट्र भावना भी कह सकते हैं जिसका पूरा परिचय हमें स्वाधीनता के लिए जूझ रहे समय में मिलता है। हम व्यक्तिगत जीवन को महत्व देते हैं लेकिन राष्ट्र से ऊपर नहीं। राष्ट्र सुखी और संपन्न हो यही हमारा राष्ट्रीय चरित्र है। एक होने और रहने की अनुभूति हमारी राष्ट्रीय प्रकृति है। और यह भी कि हम बखूबी समझते हैं कि राष्ट्र का अर्थ केवल वहाँ के निवासी मानव ही नहीं बल्कि समस्त जीव-जगत है, पहाड़ और नदियाँ हैं, रेगिस्तान और समुद्र हैं, खेत और खलिहान हैं, गाँव और शहर हैं, सड़कें और राहें है; इत्यादि। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारत एक सुदृढ़ राष्ट्र है और वह इतना कमज़ोर नहीं कि अपनी अखंडता के लिए सदैव आशंकित रहे, चिंताग्रस्त रहे। हाँ, खंडित करने की मंशा रखने वाली शक्तियों के प्रति असावधान भी नहीं रहना है। शत्रु को हमेशा चतुर और सबल ही सोचना चाहिए। भारत की अस्मिता भले ही किसी की मोहताज क्यों न हो, पर इसके बने रहने के लिए हमें रोकथाम या बचाव के रास्ते तो सदैव खुले रखने पड़ेंगे। भारत की अखंडता पर बार-बार चिंतन करने का यही संदर्भ सार्थक है।

अखंडता के मूलाधार बनाम योजक शक्तियाँ

भारत के संदर्भ में यदि हम गंभीरता से विचार करें तो, एक राष्ट्र के रूप में, जो उसकी अखंडता की योजक शक्तियों के रूप में मूल एवं प्रमुख आधार है, वही उसकी अखंडता के लिए चुनौतियाँ भी हैं। इन्हें हम (क) सांस्कृतिक एकता, (ख) धार्मिक सद्भाव, (ग) भौगोलिक विविधताएँ एवं राष्ट्रीय सीमाएँ तथा (छ) भाषाई समन्वय के रूप में विभाजित कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त प्रजातीय अनेकता आदि बिंदु भी हो सकते हैं। प्रारंभ में ही हमें यह भी मान लेना चाहिए कि भारत-राष्ट्र की अखंडता उपर्युक्त तमाम आधारों के समान सहारे पर टिकी है। यह अलग बात है कि यहाँ हम उसके एक आधार 'भाषाई समन्वय' को केंद्र में रखकर विशेष रूप से विचार करेंगे। वैसे अपनी सीमाओं में, क्षेत्रों के रूप में, जाने जाते भारत की अखंडता के सर्वप्रमुख आधार के रूप में हम 'भाषाई समन्वय' को मान सकते हैं। हाँ सिर्फ मान सकते हैं।

भारत में अनेक सांस्कृतिक अवधारणाएँ मिलती हैं। यहां विभिन्न धर्मों और प्रजातियों के आधार पर 'सही-गलत' विभिन्न संस्कृतियों की बात भी की जाती है और इस आधार पर भी अनेकता की बात उठायी जाने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग आर्य और द्रविड़ संस्कृतियों के नाम पर भी राजनीति करना चाहते हैं और कुछ हिंदू और उसी से निकले सिख धर्म के नाम तक पर भी। लेकिन यहाँ अधिक विस्तार में न जाकर यह सत्य स्वीकार करना होगा कि भारत में एक 'भारतीय संस्कृति' भी है जो सबसे ऊपर है और इस संस्कृति का विस्तार वहाँ-वहाँ है जहाँ-जहाँ तक प्रवासी भारतीय या भारत के मूलवंशी रहते हैं। और विदेशों में रह रहे भारतीय जग भारत की अखंडता को लेकर भारत से बाहर भी चिंतन-मनन करते नज़र आते हैं, तो भारतीय संस्कृति के अस्तित्व की बात सहज ही प्रमाणित हो जाती है। यह भारतीय संस्कृति है क्या? संक्षेप में कहूँ तो इसकी पहचान और विशेषता 'अनेकता में एकता' है। और यह 'अनेकता में एकता' हमारी संस्कृति के उन उत्कृष्ट गुणों पर टिकी है, जिनमें प्रमुख हैं : सहिष्णुता, उदारता, ग्रहणशीलता और समन्वयवादिता। बिखराव को समग्र करने और भिन्न को जीवन कर लेने की अद्भूत एवं विशिष्ट क्षमता भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कवि जयशंकर प्रसाद ने ठीक ही लिखा था :

अरुण यह मधुमय देश हमारा
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।

वस्तुत: भारत की जो मौलिक एकता है, उसकी संस्कृति में निहित जो समन्वय की विशेषता है वह ऊपरी विभिन्नता या अनेकता के मूल में सदैव बसी है। हमारा देश चौथी सदी ईसवी पूर्व से एकता के सूत्र में

आबद्ध है। महाकवि रवींद्रनाथ ठाकुर ने इसी तथ्य की पुष्टि में लिखा था–

हेथाय आर्य हेथाय अनार्य
हेथाय द्रविड़ चीन,
शक हूण दल पठान मुगल
एक देहे होलो लीन।

भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। अतः विचार नहीं बल्कि विचारों की अनेक श्रृंखलाएँ यहाँ वाटिका के अनेक फूलों की तरह सदा अस्तित्व में रही हैं। कितने ही धर्म ऐसे हैं, जिनका यहाँ पालन-पोषण हुआ है। दुनिया के लगभग सभी धर्मों को यहाँ की भूमि ने गोद दी है। अतः हमारे राष्ट्र की, यशोदा भूमि के रूप में निभाई जा रही, भूमिका भी किसी जन्मदात्री से कम नहीं है। बड़ी बात यह है कि धर्मों, मत-मतांतरों, आचारों-विचारों आदि की दृष्टि से जो सहज असमानता हमें दिखाई पड़ती है और कभी-कभी इस असमानता को बारूद बना देने वाली राष्ट्र-विरोधी शक्तियों के चलते जो तबाही नज़र आती है, वह जल्दी ही हमारी संस्कृति के मूल सिद्धांत 'समानता के भाव' से परास्त हो जाती है, उसके समक्ष घुटने टेकने को विवश हो जाती है। धर्म पर राजनीति करने वालों को मुँह की खानी पड़ती है। आवश्यकता इसी बात की है कि यह 'मूल सिद्धांत' कभी तिरोहित न हो।

भौगोलिक दृष्टि से भी हमारा देश अनेक विविधताओं से भरा है। नदियाँ, पहाड़, समुद्र आदि हमारे राष्ट्र की भूमि को बाँटती है। लेकिन कुल मिलाकर, भौगोलिक दृष्टि से हमारा देश एक इकाई है। जिन भौगोलिक सीमाओं में हमारा राष्ट्र एक इकाई के रूप में दृढ़ता से बँधा है, उसकी भी सदैव रक्षा करनी है। निवासी चाहे पूर्वोत्तर प्रदेश के हों या लक्षद्वीप तक के दक्षिण के हों, पहाड़ों के हों या जँगलों के हों, सब हमारे राष्ट्र के हैं, हमारे नागरिक हैं। विभिन्न जलवायु और प्रजातियों के आधार पर उपजने वाले भेदों को कफन उढ़ाते रहना है। हमारे राष्ट्र की सीमाओं के बाहर खड़े शत्रुओं से भी सदा सावधान रहना है। अर्थात् प्रयत्न करके, हमारी भौगोलिक विविधताओं को योजक शक्ति के रूप में ही बनाए रखना है। केवल सत्ता को महत्व देने वाले राष्ट्र को महज राजनीतिक इकाई मानते हैं और इसलिए अपनी प्रादेशिक सत्ता और क्षेत्रीय अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क रहने, क्षेत्रीय उपादानों को सर्वप्रमुख सिद्ध कराने की चेष्टा भी किया करते हैं। ऐसे में विवाद का उपजना स्वभाविक है। राष्ट्र एक भावनात्मक इकाई भी है, ऐसा मानना ही चाहिए। यह ठीक हैं कि भारत अनेक प्रदेशों का गुच्छा है पर इस गुच्छे की सार्थकता एक संघ के रूप में है। संघ होने के कारण ही भारत एक राजनीतिक इकाई है और इस रूप में वह राज्यों के अंतस्संबंधों के सूत्र का कार्य भी करता है।

हमारे राष्ट्र की एक बहुत बड़ी विशेषता, जो उसे अन्य अधिकांश राष्ट्रों से अलग चरित्र प्रदान करती है, भाषाई समन्वय या भाषाई अनेकता में एकता है। भारत और उसकी भाषाओं के तथ्यात्मक परिदृश्य का अवलोकन तो थोड़ी देर बाद करेंगे लेकिन यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बहुभाषी भारत के लिए कभी-कभी भाषा-विवाद भी कष्टदायी बना दिया जाता है। यानी है नहीं पर स्वार्थी प्रवृत्तियों के चलते बना दिया जाता है। वस्तुतः, मेरी यह स्पष्ट मान्यता है कि भाषा का संकट हमेशा असहज होता है, सहज रूप में वह हो ही नहीं सकता। भाषा माँ की तरह है। और कोई भी माँ अपने सहज रूप में 'संकट' की स्थिति पैदा कर ही नहीं सकती। वह अपनी सहज प्रक्रिया से संघर्ष, टकराहट या ऐसी ही किसी नकारात्मक प्रवृत्ति को प्रश्रय दे ही नहीं सकती। अतः भाषा को लेकर 'संकट' पैदा करने वाले व्यक्ति असहज ही कहे जाएँगे। मनुष्य अपने-अपने संदर्भ में अपनी माँ को (और इसी आधार पर अपनी भाषा को) प्यार करता है, यह सहज है, किसी भी प्राणी की तरह। लेकिन अपनी माँ (भाषा) से सहज प्यार करने के अनुभव से संपन्न मनुष्य दूसरे की माँ (भाषा) से असहज होकर ही घृणा कर सकता है। यह 'असहजता' मनुष्य में क्यों आती है, इसकी गहरी जाँच-पड़ताल की जा सकती है। यह सिद्ध है कि भारत में भाषाओं की लड़ाई के पीछे, जो आज भी आंशिक रूप में ही सही एक हक़ीक़त है, स्वयं भाषाओं का हाथ नहीं है बल्कि कुछ और तत्वों का हाथ है जो विघटनकारी हैं, भारत की लंबी और गहरी समन्वयवादी परम्परा के शत्रु हैं, राष्ट्रद्रोही हैं अथवा संकीर्ण हैं। ऐसे तत्वों की पहचान करते-कराते रहना अनिवार्य है। वस्तुतः भारत की अनेक भाषाओं को भाषा-परिवार के रूप में देखा जाना चाहिए और समन्वयवादी भाव से उन्हें एक

पारिवारिक व्यवस्था के तहत स्वीकार करना चाहिए। यह सच्चाई बार-बार स्वीकार करनी होगी कि वे भारत की हैं और उन्हें एक पारिवारिक व्यवस्था में रहना है। इस भाषा-परिवार को आघात पहुँचाने वालों को ठीक से यह सच्चाई समझनी होगी। अच्छी बात यह है कि इस सच्चाई को न मानने वाले अकेले पड़ते जा रहे हैं। अब यह बात समझ में आ चली है कि भाषाई समन्वय राष्ट्र को मजबूत बनाता है। अतः भाषा का सच्चा काम लोगों को जोड़ने का होता है, तोड़ने का नहीं। एक बात और समझ लेनी चाहिए कि एक अनुपम उपलब्धि के रूप में मनुष्य की भाषा, जिसमें मनुष्य सोचता भी है और अभिव्यक्त भी करता है, बहुत खतरनाक हथियार के रूप में भी उपयोग में लायी जा सकती है। 'पहले तोलो फिर बोलो' की उपेक्षा कभी नहीं की जा सकती । अतः हमारे देश के संदर्भ में भाषाई समन्वय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यदि हम राष्ट्र को टूटने से बचाना चाहते हैं। हाँ, यह कहकर मैं सोच की पूर्वाग्रही और नकारात्मक मानसिकता बनाने वाली स्वार्थी एवं राष्ट्र विरोधी शक्तियों की अवहेलना भी नहीं करना चाहूँगा। प्रसिद्ध भाषाविद् प्रो. रवींद्रनाथ श्रीवास्तव ने ठीक ही लिखा है कि 'भाषा अगर एक ओर राष्ट्रीय एकीकरण का एक महत्वपूर्ण उपादान बन सकती है, वहीं दूसरी ओर वह समाज में तनाव, द्वंदव, विद्वेष और विघटन की प्रवृत्ति को भी जन्म दे सकती है।' यह 'दूसरी ओर' वाली बात, फिर दोहरा दूँ, भाषा की सहज प्रकृति नहीं है बल्कि उसे उपयोग में लाने वालों की विकृत मानसिकता का नतीजा है। वस्तुतः भाषा जातियों, उपजातियों, धर्मों, सम्प्रदायों आदि से ऊपर होती है जैसे कि राष्ट्र होता है। राष्ट्र तो भाषा की विभिन्नता के भी ऊपर होता है। इस कथन की सत्यता एक उदाहरण से प्रमाणित की जा सकती है। क्या दो मनुष्यों या दो राष्ट्रों का धर्म एक होने से उनकी भाषा भी एक ही होनी चाहिए? यदि इसका उत्तर हाँ है तब तो अफ़गानिस्तान, अरब, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, बांगलादेश जैसे देशों की भाषा एक ही होनी चाहिए थी। संक्षेप में कहूँ तो भाषा का वर्चस्व अपनी स्वायत्ता का आनंद भोगता है। भाषा को किसी भी आधार पर दबाया नहीं जा सकता । वह उसे अर्जित करने वाले और उपयोग में लाने वाले से कभी बेवफ़ाई नहीं करती। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि संदर्भ चाहे विश्व की भाषाओं का हो या भारत की भाषाओं का, भाषायी समन्वय ही विश्व के रूप में मनुष्य समाज का और भारत के रूप में भी भारतीय समाज का एक सहज सत्य है, जिसे नकारने वाले अधिक दूर तक नकार नहीं सकते। समन्वय या एक शब्द जो भारत की संस्कृति के लिए प्रायः उपयोग में लाया जाता है—सामासिकता, इसका अर्थ विभिन्न भाषाओं या विभिन्न संस्कृतियों का एक दूसरे में विलीन होना या करना नहीं है। सही अर्थ है, इनके आपस के सह-अस्तित्व के यथार्थ को स्वीकार करना। ज़रा उदार होकर सोचें और थोड़े पूर्वाग्रह भी छोड़ दें तो हम पाएंगे कि भाषा, संस्कृति से भी भिन्न हो सकती है। वस्तुतः भाषा संस्कृति की संवाहिका है और इसलिए उसकी पहचान भी कही जाती है। लेकिन संस्कृति जैसे अपने रूप को परिवर्तित करते रहने में सक्षम है, मूल आधारों पर टिकी रहकर भी, वैसे ही भाषा भी अपने स्वरूप को बदलने में सक्षम होती है।

भाषा का महत्व

मनुष्य के लिए भाषा का महत्व सिद्ध है। मनुष्य और मनुष्य के बीच, अपने वाचिक, लिखित आदि हर रूप में वह सशक्त और सार्थक संबंध स्थापित करने वाला अनिवार्य उपादान है। कहा जाता है कि यदि किसी देश को गुलाम बनाना हो, तो उसकी भाषा छीन लीजिए, वह अधिक दिनों तक आजाद नहीं रह सकेगा। निःसंदेह अपनी भाषा की स्वाधीनता अपनी स्वाधीनता की सूचक होती है। भाषा का महत्व सभी जानते हैं, अतः इस दिशा में अधिक न जाकर आचार्य दण्डी का यह कहा उद्धृत करना चाहूँगा—'यह सम्पूर्ण त्रैलोक्य सघन अंधकार में निमग्न हो जाता, यदि सृष्टि के आरम्भ में शब्द ज्योति (भाषा) को प्रकाश न हुआ होता।' भारत के संदर्भ में इस मान्यता का उल्लेख करना ठीक रहेगा कि अपने देश में और विशेष रूप से इसके मध्य भाग में जो भाषाएँ बोली जाती रही हैं उन्हें 'भाषा' नाम से पुकारा गया है। भाषा के साथ हिंदी शब्द का योग बाद की बात है। 10वीं सदी के आसपास आधुनिक भारतीय भाषाएँ उदित होती हैं। तभी से हिंदी भाषा का अस्तित्व भी माना जाता है। उसके बाद अनेक कारणों और राष्ट्रीय ज़रूरतों के रहते हिंदी अपना अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण करती चली गईं। तब की अंग्रेजी हुकूमत ने अपने स्वार्थों के लिए हिंदी के अखिल भारतीय स्वरूप और उसकी मान्यता को आघात पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मीर के समय उर्दू कवि तक अपनी भाषा को बेहिचक हिंदी कहते थे। साहित्य के धरातल पर चाहे

भक्ति आंदोलन रहा हो या प्रगतिशील आंदोलन हिंदी-उर्दू का अलगाववादी मसला कोई अर्थ नहीं रखता था। यह सोच कि धर्म के नाम पर मुसलमानों की भाषा उर्दू है और हिंदुओं की हिंदी, वस्तुतः हमें पराधीन रखने वाले अंग्रेज़ों की लूट और शोषण का परिणाम थी। फूट और अलगाव का बीज 1798 ई. में जॉन गिलक्राइस्ट के इस कथन में स्पष्ट देखा जा सकता है: 'हिंदवी को मैंने शुद्ध हिंदुओं का चीज़ माना है। इसलिए मैंने लगातार उसका प्रयोग भारत की प्राचीन भाषा के लिए किया है जो मुसलमानी आक्रमण के पहले यहाँ प्रचलित थी।' उर्दू के लिए इन्होंने हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया और उसका मूलाधार हिंदवी को माना। गड़बड़ यह की गई कि भाषा को धर्म के साथ जोड़ दिया गया। एक ही भाषा की दो शैलियों को हिंदुओं की भाषा हिंदी और इस्लाम मानने वालों की भाषा उर्दू के रूप बाँट कर ज़हर घोलने का प्रयत्न किया गया।

यद्यपि मातृभाषा के प्रति सहज एवं निष्ठापूर्ण लगाव तथा अन्य भाषाओं (अर्थात् इतर मनुष्य की मातृभाषाओं) के प्रति सहज स्नेह एवं आदर युक्त व्यवहार की बात ऊपर कही जा चुकी है तो भी यहाँ राष्ट्रभाषा के संदर्भ में यह बताना आवश्यक है कि वह राष्ट्रीय भावना की सूचक होती है। भीतरी तौर पर उसमें राष्ट्र को एकताबद्ध करने की प्रबल प्रवृत्ति होनी चाहिए और बाह्य तौर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र को विशिष्ट सिद्ध करने की प्रवृत्ति। अर्थात् राष्ट्रभाषा का आदर्श आभ्यंतर एकता और बाह्य विशिष्टता है। राष्ट्रभाषा का काम विभेदों और अंतर संबंधी विवादों का समाधान करना होता है। भारत जैसे बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा को संपर्क भाषा और राजभाषा के रूप में भी सक्षम होना होता है। मातृभाषा तो वह होती ही है। सूत्र रूप में कहें तो भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र में किसी भी मातृभाषा के अन्य मातृभाषाओं के रहते राष्ट्रभाषा बनने का संदर्भ उठापटक, जीत-हार आदि जैसी पीड़ाजनक स्थितियों का न होकर स्पर्धा एवं स्वीकृति की अवस्थाओं का होता है, सत्य और यथार्थ को मज़बूर या बाध्य होकर नहीं, सहर्ष और सम्मान की भावना से स्वीकार करने का होता है।

भारत और भाषाएँ: एक तथ्यात्मक परिदृश्य: बहुभाषी राष्ट्र

यह सर्वमान्य सत्य है कि भारत एक बहुभाषी देश है और यहाँ भारोपीय, द्रविड़, मुंडा या अस्ट्रिक एवं तिब्बती-चीनी चार भाषा परिवारों की 1650 से अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं। एक मत के अनुसार 1455 भाषाएँ ऐसी हैं ज़िन्हें 10 हज़ार से भी कम लोग बोलते हैं। संविधान के निर्माताओं ने जिन 14 भाषाओं को प्रधान मानते हुए अष्टम सूची में रखा था, वे थीं–

हिंदी, संस्कृत, मलयालम, मराठी, बंगला, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कश्मीरी, कन्नड़, उर्दू, उड़िया और असमिया। इन भाषाओं को बोलने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का 98 प्रतिशत थी। बाद में इन 14 भाषाओं में सिंधी, नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को भी जोड़ दिया गया और संख्या 18 हो गई। हाल ही में मैथिली, डोगरी 'बोडो और संथाली' को भी जोड़ दिया गया है और अब यह संख्या 22 पर पहुँच गई है।

भारत के इस बहुसंख्यक भाषाई परिदृश्य पर बोलने वालों की जनसंख्या और भौगोलिक व्यक्ति की दृष्टि से जब विचार किया गया तो पता चला कि हिंदी केंद्रीय महत्व की भाषा है क्योंकि यह देश के सबसे बड़े भू-भाग की भाषा है। इस समय यह ग्यारह प्रदेशों-उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखांड, दिल्ली तथा अंडमान-निकोबार दवीप समूह की प्रधान भाषा है और इसके बोलने वालों की संख्या देश की जनसंख्या का 42.88 प्रतिशत है। यही कारण है कि देश की भाषाओं में, कुछ छिटपुट भाषेत्तर विवाद के बावजूद, हिंदी को प्रतिनिधि भाषा माना गया है।

हिंदी

हिंदी का केंद्रीय महत्व उसके राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में सिद्ध हो चुका है। यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि व्यापार, जनसंचार तथा राजनीति की दृष्टि से हिंदी ने संपर्क भाषा का पद बखूबी पा लिया है। हिंदी का महत्व उसके नाम से भी सिद्ध है। हिंदी को छोड़कर अन्य भाषाएँ क्षेत्रीय नामों से जानी जाती हैं जैसे पंजाबी पंजाब की भाषा, मराठी महाराष्ट्र की, बंगला बंगाल की, असमिया असम की, तमिल तमिलनाडु की। परन्तु हिंदी, हिंद की या संपूर्ण हिंदुस्तान की भाषा कही गई है। भारत की सभी भाषाओं में से हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के योग्य पाया गया। महात्मा गाँधी ने तो इसे यह दर्जा दिया ही, देश-विदेश के

1394 HA/06-3

अनेकानेक विद्वानों ने भी इस सत्य को स्वीकार किया है। ऐसे विद्वानों, शिक्षाविदों, चिंतकों एवं समाज सेवियों की एक लंबी सूची है। यह विडंबना ही है कि इस सब के बावजूद हमें बार-बार हिंदी को राष्ट्रभाषा सिद्ध करने की बहस करनी पड़ती है और वे ही तमाम बातें दोहरानी पड़ती हैं जो सबकी जानकारी में हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, सम्पर्क भाषा है इस सच्चाई को न जाने कब तक सच सिद्ध करना होगा। न जाने कब तक औपचारिक/अनौपचारिक ढंग से हिंदी दिवस या पखवाड़ा मना-मना कर एक सत्य को सत्य मनवाने की कवायद करनी होगी। न जाने हिंदी संबंधी इस सत्य को हम कब तक पक्ष-प्रतिपक्ष के द्वंद्व फँसाए रखना चाहेंगे। जो निर्णीत है उसे बार-बार खोलने से क्या लाभ है। लेकिन इतना भर कह कर क्या हम बहस से पल्ला झाड़ सकते हैं उत्तर तो देना ही होगा। बल्कि कहूँ कि हिंदी जिसे हम राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करते हुए भारत की राष्ट्रीय अखंडता का हेतु भी मानते हैं, जब किसी प्रश्न के घेरे में आती है तो उत्तर से पूर्व प्रश्न उठने के कारणों में जाना होगा। क्योंकि ऐसे प्रश्न भारतीय अखंडता के लिए खतरों का कारण बन सकते हैं। इसी संदर्भ में हमें भाषाई समन्वय के गहरे एवं प्रभावशाली अर्थ को भी समझने और कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर बल देना होगा। हिंदी और भारतीय भाषाओं के अन्तः संबंधों की वास्तविकता को एक बार फिर पहचानना होगा। और समय-समय पर परिस्थितियोंवश अन्तः संबंधों को लेकर उठने वाले विरोधाभासों को समाप्त करना होगा। साथ ही इन संबंधों को निरंतर सशक्त और प्रगाढ़ बनाना होगा। समवेत रूप में । उन तमाम शंकाओं, भ्रमों और संकीर्णताओं से उभरे या उभारे गए हथियारों को नष्ट करना होगा जो भाषाई समन्वय और भारतीय भाषाओं के अंतः संबंधों को विकृत कर भारत की राष्ट्रीय अखंडता को समाप्त करना चाहती है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम निर्दवद्व होकर यह सत्य स्वीकार कर लें कि भारत की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा का विवाद यदि है भी तो उसे भारतीय भाषाओं के आपसी तालमेल से ही निपटाना है। अत्यंत खेद की बात है कि 'पाश्चात्य शिक्षा के वातावरण में पला और स्वतंत्रतापूर्व की विदेशी प्रशासन व्यवस्था का संस्कारग्रस्त व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग भी है जो राष्ट्रभाषा या राजभाषा की समस्या को हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं के संबंध में न ढूँढ़कर हिंदी और अंग्रेजी की प्रतिद्वंद्विता के रूप में उभारना चाहता है।' (प्रो. रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव)। दुहाई दी जाती है अंतरराष्ट्रीय संबंध, वैज्ञानिक उपलब्धियों और विकसित भाषा आदि मानदंडों की। ऐसे लोग यह कहने से भी नहीं चूकते कि राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से राष्ट्र की अखंडता के लिए यह जरूरी नहीं कि उसकी राजभाषा, उस देश की ही कोई भाषा हो। वे उदाहरण के लिए एकाधिक देशों के नाम भी गिना देते हैं। ऐसे लोग न तो हिंदी के यथार्थ से परिचित होते हैं और न ही विश्व भर द्वारा स्वीकृत हिंदी भाषा की क्षमताओं से और उसके विश्व की एक समृद्ध भाषा के रूप से। इस सच्चाई से क्या हम बहुत दिनों तक मुँह मोड़ सकते हैं कि आज 'विश्वभाषा (अर्थात् विश्व की वे भाषाएँ जो अधिकतर देशों में लिखी, बोली, सुनी और समझी जाती हैं) के रूप में भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी अपना पद पाने के मार्ग पर अग्रसित है। मैंने कहा था कि हमें हिंदी के यथार्थ को समझना ही होगा। कुछ ही शब्दों में समेट कर कहना चाहूँ तो कहूँगा कि भारत की सभी मातृभाषाओं में हिंदी एक बडे भू-भाग की मातृभाषा है, विश्व को भी ध्यान में रखें तो वह और भी बड़े भू-भाग की भाषा हो जाती है, यह व्यापार और संपर्क की भी भाषा है। अपने अनुभव से कहूँ तो जब मैं कोरिया में था और वहाँ की कंपनियाँ भारत में आने की इच्छुक थीं तो उन्होंने व्यवसाय बढ़ाने की दृष्टि से भारत भेजने से पूर्व अपने कोरियाई प्रबंधकों को हिंदी सिखाई। इसी प्रकार मेरे कोरियाई हिंदी के विद्यार्थियों ने बताया कि भारत का भ्रमण करते हुए हिंदीतर संस्थानों पर भी जब उन्होंने हिंदी में बात की तो न केवल उन्हें उत्तर मिले बल्कि स्नेह-सम्मान भी मिला। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संस्कृत की यह सबसे बड़ी पुत्री एक समृद्ध भाषिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक परंपरा की वाहिनी है। वह संस्था की उत्तराधिकारी है। भारतीय तथा विदेशी भाषाओं से असंख्य शब्दों को आत्मसात् कर अर्थात् अपनी प्रकृति में ढालकर इसने खुद को समृद्ध किया है। सच तो यह है कि हिंदी ही एक हजार वर्षों से देश की सामासिक संस्कृति की वाहिका रही है। हिंदी के उन्नयन का कार्य भारत के हर कोने में हुआ है। भारत के हर कोने के बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों और सामान्य लोगो ने उसे, उसके राष्ट्रीय गुणों के कारण अपनाया है।

अगर हम भूले नहीं हैं तो स्वाधीनता आंदोलन की भाषा भी हिंदी ही थी। इसके माध्यम से सारा पराधीन भारत अखण्ड हुआ था। लेकिन मैं यह सब क्यों बता रहा हूँ। क्या आप यह सब नहीं जानते? बल्कि मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कर रहा हूँ।

भाषाई समन्वय और हिंदी

हिंदी भारत की केंद्रीय भाषा है अत: राष्ट्रभाषा भी है। लेकिन इस सत्य को जो मानने को तैयार नहीं हैं उनसे हम कैसे निपटें । क्या धौंस से या बल से? आप मुझे गलत कह सकते हैं लेकिन मुझे यह रास्ता एकदम गलत और अराजक लगता है। मुझे तो अपने देश में गधों के गलों में 'मैं अंग्रेजी बोलता हूँ' मैं गधा हूँ' की पट्टियाँ डाल कर जुलूस निकालने वाले तथाकथित हिंदी प्रेमियों के विवेक पर भी तरस ही आता है। मैं दोहरा दूँ कि भाषा के रूप में कोई भाषा न बड़ी है, न छोटी, न अपनी है न पराई। पहले दिया जा चुका उदाहरण दूँ तो कोई भी माँ न छोटी होती है, न बड़ी, माँ माँ होती है और भाषा भाषा। लेकिन हम मनुष्य हैं, कोरे विचार नहीं हैं, भाव भी हैं। हममें भावना भी है। इसीलिए हमें अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा से सहज भावनात्मक प्रेम होता है। माँएँ खड़ी हों तो हर बच्चा दौड़कर अपनी-अपनी माँ को ही जा पकड़ता है। यही बात भाषाओं के संदर्भ में भी लागू होती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि संदर्भ विश्व का हो या अपने बहुभाषी देश का हमें सभी भाषाओं को समान आदर देने की सही आदत डालनी ही होगी। उनके तालमेल में ही, उनके सह-अस्तित्व में ही हमारी भलाई है, उसे समझना होगा। अपनी-अपनी भाषा को सहज रूप में अपनाते और समृद्ध करते हुए, दूसरों की भाषाओं को कमतर दिखाने की गलत प्रवृत्ति से बचना होगा। भारत के संदर्भ में तो यह और भी ज्यादा जरूरी है। भाषाएँ आपस में पेच लड़ाने की वस्तुएँ नहीं होती, बल्कि उनकी भीतरी समानताओं को पहचानते हुए तालमेल, पारस्परिक सद्भाव जगाने के लिए होती हैं। डॉ विमलेश कांति वर्मा का मानना है कि 'भारत की अधिकांश भाषाएँ, चाहे वे किसी भी भाषा परिवार से संबंधित हों, उनमें अद्भुत समानता है। 'अपने लेख' भारतीय भाषाएँ और हिंदी में उन्होंने हिंदी और द्रविड़ परिवार की भाषा तमिल तक में कई समानताएँ दर्शायी हैं। वस्तुत: ध्वन्यात्मक व्यवस्था, शब्द स्तर, पारिभाषिक शब्दावली, वाक्य संरचना, पद व्यवस्था आदि अनेक आधारों पर अपनी-अपनी विशिष्टताओं के साथ सभी भारतीय भाषाओं में अनेक समानताएँ भी हैं। भारतीय भाषाओं की मूलभूत एकता का कारण देश की संस्कृति की एकता है। एक समय था जब संस्कृत ने पूरे देश को अखंडता प्रदान की थी और केंद्रीय भाषा के पद पर आसीन हुई थी। बाद में इस दायित्व का निर्वाह पाली और प्राकृत भाषाओं ने किया । आज यह कार्यभार हिंदी पर है। तब भी ऐसा क्यों है कि राष्ट्रीय अखंडता को प्रदान करने में समर्थ हिंदी की ओर उंगली उठ ही जाती है। वस्तुत: इसके लिए कुछ भ्रम, भय, विकृत सोच और क्षेत्रीय राजनीति आदि उत्तरदायी हैं। भाषाविद् प्रो. रवींद्रनाथ श्रीवास्तव के अनुसार, 'स्थानीय सुख-समृद्धि की लालसा और क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक सुरक्षा की भावना उनकी अपनी (प्रादेशिक भाषाओं की अपनी) अस्मिता में प्राण फूंकती हैं। इसलिए जब कभी भी अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय भाषा के रूप में किसी एक भाषा (भले ही बृहत्तर भागों में समझी जाने वाली और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के समय सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली हिंदी भाषा ही क्यों न हो) को मान्यता देने की बात उठी है, अन्य भाषाई समाज ने इसे शंकालुभाव से देखा है। दूसरी भावना यह भी सामने उभरी कि भारत अगर एक राष्ट्र है तो जिस प्रकार 'हिंदी भाषाई समाज' उसका एक अंग है, उसी प्रकार हम भी उसके एक अंग है, फिर एक अंग की भाषा पूरे राष्ट्र' का प्रतीक बन 'राष्ट्रभाषा कैसे और क्यों बने?' तर्क यह भी दिया जाता है कि भारत में जैसे अनेक धर्म हैं, विभिन्न खान-पान हैं, रीति-रिवाज हैं तब अनेक राष्ट्रभाषाएँ क्यों नहीं हो सकतीं। इन सब तर्कों के उत्तर में प्रश्न किया जा सकता है कि क्या हर प्रदेश का अलग-अलग राष्ट्रपति होना ठीक रहेगा? क्या अनेक राष्ट्रीय ध्वज किसी एक राष्ट्र को एक रख सकते हैं? और क्या अलग-अलग भाषाओं के बीच कड़ी के रूप में कोई भाषा अवश्य नहीं होनी चाहिए? ध्यान यह भी रखना होगा हमारा देश महज दो-तीन भाषाओं वाला देश नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्न पंक्तियों में भी हमें एक राष्ट्रभाषा के महत्व का पता चलता है:

एक भाषा, एक जीव, इक मति के सब लोग
तबै बनत है सबन सों, मिटत मूढ़ता सोग।

वस्तुतः जब तक हम भारत में राष्ट्रीय अखंडता के भाषाई समन्वय के संदर्भ को ठीक से नहीं अपनाएंगे, यानी निश्चल और उदार होकर अपनेपन के भाव के साथ नहीं अपनाएँगे तब तक राष्ट्रभाषा हिंदी वाले मसले पर बहसबाजी होती रहेगी। हमें इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हिंदी की समृद्धि में राष्ट्र की समृद्धि है। अब हमारी चिंता इस सत्य को स्वरूप देने और उसे प्रगाढ़ करने की होनी चाहिए। और इसके लिए हमें बाकी तमाम बहस-बाजी छोड़कर तालमेल बैठाने की मंशा से समानता के भाव के साथ हिंदी और शेष भारतीय भाषाओं के अंतःसंबंधों को अधिक प्रगाढ़ और प्रबल बनाने के रास्ते खोजने होंगे और खोजे गए रास्तों को सुदृढ़ और सार्थक करना होगा। आगे ऐसे रास्तों पर संक्षिप्त दृष्टि डालने का प्रयास किया जाएगा।

हिंदी और शेष भारतीय भाषाओं के अंतः संबंध

आज के भारत में विशेषकर नई पीढ़ी बहुत समर्थ और जागरूक होने के बावजूद, अनेक कारणोंवश (जिनके विस्तार में यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है), प्रायः अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी भाषाओं, अपने ग्रंथों आदि के मूल उत्स और प्रगति के इतिहास में जाने से बचती है। वह केवल तैयार माल में ही आस्था रखती है। मैं इसे विडंबना ही कहूँगा। यह तो वैज्ञानिक दृष्टि भी नहीं है। मूल सिद्धांत को जाने बिना अगला और उससे अगला और उससे अगला कदम बढ़ाया ही नहीं जा सकता। भाषा के संदर्भ में भी यही सत्य है। बात दकियानूसी लग सकती है लेकिन अपने सहित मैं सबको सुझाव देना चाहूँगा कि यदि भाषाई समन्वय के संदर्भ में, भारतीय राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा चाहते हैं तो हमें कदाचित संस्कृत भाषा और अपने प्राचीन ग्रंथों की ओर भी लौटना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें मत को मान लेना चाहिए कि हिंदी को सबल और भारत का सच्चा प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति के माध्यम बनने की योग्यता निरंतर अर्जित करनी होगी। इसके लिए उसे शेष भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करना होगा, शब्द भंडार को संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं से समृद्ध करना होगा। हिंदी को, हिंदी के साहित्य को संपूर्ण भारत की छवि को प्रतिबिंबित करना होगा। हिंदी के माध्यम से दुनिया को सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य और ज्ञान-विज्ञान आदि को उपलब्ध कराना होगा। प्रांतीय भाषाओं की फिल्मों को हिंदी में अनूदित करना होगा। इससे, सभी के लिए, भारतीय भाषाओं के अवदान को, मात्र हिंदी के माध्यम से जानने-समझने का अवसर प्रदान होगा। मसलन भारतीय भाषाओं का साहित्य हिंदी के माध्यम से जब भारतीयों और विदेशियों के लिए भी उपलब्ध होगा तो दोहरा लाभ होगा। एक तो तमाम भाषाओं को सामान्यतः सीखने के स्थान पर केवल हिंदी सीखने से ही काम चल जाएगा, दूसरे भारतीय भाषा ही होने के कारण उच्च भारतीय भाषाओं से हिंदी में सटीक अनुवाद करना भी सरल होगा। दो भारतीय भाषाओं के बीच अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसी प्रकार हिंदी के मानकीकरण और उसके पारिभाषिक शब्द भंडार पर और ध्यान देना होगा। साथ ही हिंदी के बहते नीर वाले रूप की भी उपेक्षा नहीं करनी होगी।

हिंदी भाषा के शिक्षण को अधिक दिलचस्प ढंग से करना होगा। केवल पारंपरिक तरीकों से नहीं। अभी हाल ही में हिंदी शिक्षण के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् ने "ऋषि" नामक सॉफ्टवेयर निकाला है। वह इस दिशा में उपयोगी सिद्ध होगा। अनेक वेबसाइट भी हिंदी शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। उनसे लाभ पहुँचेगा। आज, कम से कम भारत में, टेलीविज़न के हिंदी चैनलों के कारण, रोज़गार की दृष्टि से भी हिंदी भाषा का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। इससे हिंदी को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है।

हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए भी हमें अपने पूर्वाग्रही तरीके (यानी हिंदी उत्तम है, हिंदी और भाषाओं की अपेक्षा महत्वपूर्ण है, अन्य भाषाएँ हिंदी की तुलना में हेय और कमज़ोर हैं, ऐसी अभिव्यक्तियों से भरे तरीके) छोड़कर सकारात्मक ढंग से, अन्य भाषाओं को साथ लेकर चलते हुए, समन्वयवादी भावना के साथ हिंदी का प्रचार-प्रसार करना होगा। हिंदी का प्रचार-प्रसार किसी भी सूरत में किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। लेखन और प्रकाशन की दृष्टि से भी हमें हिंदी

को अभी और अधिक विस्तृत और समृद्ध करना होगा। हिंदी के पाठक, हिंदी में प्रकाशित पुस्तकों के ग्राहकों में अभूतपूर्व वृद्धि करनी होगी। और भी बहुत कुछ करना होगा।

अंत में मैं भारत की वर्तमान भाषाओं की लिपियों और देवनागरी का प्रश्न उठाना चाहूँगा। यद्यपि यह प्रश्न इतना नया भी नहीं है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि देवनागरी एक ऐसी लिपि है जो दुनिया के किसी भी भाषा के शब्द को लिपिबद्ध करने और उच्चारित करने की क्षमता रखती है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका "भाषा" हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को देवनागरी में प्रकाशित करने का प्रयोग करती है। सच मानिए देवनागरी में होने के कारण अनेक भारतीय भाषाओं की रचनाएँ काफी हद तक समझ में आ जाती हैं। सोचना होगा कि क्या हम देवनागरी में राष्ट्रीय लिपि होने की संभावनाएँ पहचान सकते हैं? हमें आज गहरे से यह भी सोचना चाहिए कि भाषाई एवं राष्ट्रीय एकता के लिए देवनागरी भी एक संबल हो सकती है। गांधी, तिलक आदि सभी महापुरुषों ने भारत की तमाम भाषाओं के लिए एक ही लिपि को लाभकारी मानते हुए देवनागरी का समर्थन किया था। राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन ने माना था कि आज देवनागरी लिपि ही हम सब 14 भाषाओं के बोलने वालों को न केवल निकट ला सकती है बल्कि एक दृढ़ सूत्र में बाँध देगी। मैं इस बिंदु को यहीं छोड़ना चाहूँगा क्योंकि यह अपने आप में एक पूरा विषय है जिस पर लंबा चिंतन और विवेचन अपेक्षित है।

मैं अपनी बात लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के इस कथन के साथ समाप्त करना चाहूँगा –

> "सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, जिसका हमें ध्यान रखना है, यह है कि यह आंदोलन उत्तर भारत में केवल एक सर्वमान्य लिपि के प्रचार के लिए नहीं है। यह तो उस बृहत्तर आंदोलन का एक अंग है, जिसे मैं राष्ट्रीय आंदोलन कहूँगा और जिसका उद्देश्य समस्त भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की स्थापना करना है, क्योंकि सबके लिए समान भाषा राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण अंग है।"

आग्रह इतना भर है कि उक्त कथन के कथ्य पर ही नहीं बल्कि कथन के पीछे की दृष्टि पर भी ध्यान दिया जाए।

"भारत की सच्ची आत्मा का ज्ञान हिंदी द्वारा ही हो सकता है।"

–डा. ग्रियर्सन

"जो राष्ट्र प्रेमी है उसे राष्ट्रभाषा प्रेमी होना ही चाहिए।"

–रंगराव दिवाकर

"इंगलैंड में हमारा क्रांतिकारियों का दल था। हम प्रति दिन प्रण दुहराते थे कि हमारा देश हिंदुस्तान, हमारा गीत वंदेमातरम्, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है।"

–विनायक दामोदर सावरकर

"सरलता से सीखी जाने योग्य भाषाओं में हिंदी सर्वोपरि है"

–लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

1394 HA/06–4

अनुवाद : सांस्कृतिक और भाषिक विविधता की अनुभूति

–डॉ. देवेंद्र उपाध्याय*

भारत की सांस्कृतिक एवं भाषाई परंपरा बहुत समृद्ध रही है और हम देखते हैं कि हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाएं साहित्य और संस्कृति की दृष्टि से विश्व फलक पर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को ही बनाया, जिसकी वजह से भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का माध्यम भी अंग्रेजी ही रही। इससे वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के मामले में हमें पूरी तरह अंग्रेजी पर ही निर्भर रहना पड़ा और हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं इस मामले में पिछड़ गईं। स्कूली शिक्षा से ही यदि हिंदी और भारतीय भाषाओं को पढ़ाई का माध्यम बनाया जाता तो आज यह स्थिति सामने नहीं आती। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी वर्चस्व ने हिंदी को पीछे धकेल दिया। इससे समृद्ध होते हुए भी हिंदी को महत्व नहीं मिला और इस उपेक्षा के चलते हिंदी की क्षति हुई। हिंदी के विकास में बाधाएं उत्पन्न हुई और हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में विज्ञान एवं तकनीक के विषयों में पूरी तरह अंग्रेजी पर निर्भर होते चले गये। हिंदी में विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान पाने के इच्छुक लोगों को न केवल उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाने लगा बल्कि उन्हें भाषाई अस्पृश्यता झेलनी पड़ी।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य के हिंदी में अभाव के पीछे मूल कारण यह रहा कि इसे समृद्ध करने का प्रयास ही नहीं किया गया। इस अभाव को पूरा करने के लिए शब्द गढ़ने पड़ते हैं क्योंकि प्रचलित शब्द कम हैं। हम पाते हैं कि हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली में ध्वनि साम्य है, जबकि अंग्रेजी में ऐसे अनेक शब्द हैं। जिनका उच्चारण अलग-अलग होता है। अंग्रेजी भाषा की इस जटिलता के बावजूद हिंदी को परायी भाषा समझने वाले गौरांग महाप्रभुओं के चाटुकार भाषाई शोषण के बावजूद उनका गुणगान करते नहीं अघाते। प्रारंभिक स्तर पर भी अंग्रेजी भाषा आसान नहीं जटिल है जबकि हिंदी में अनेक संस्कृतनिष्ठ शब्द भी इतने अधिक प्रचलित हो गए हैं कि हिंदी के अपने से लगते हैं और आम आदमी भी उन्हें आसानी से समझ लेता है।

असम, अरुणाचल, मणिपुर, सिक्किम आदि सभी पूर्वोत्तर राज्यों और केरल तक में हिंदी का जिस तरह से प्रयोग हो रहा है, उससे यह कहना गलत है कि हिंदी संपर्क भाषा नहीं है। अनेक गैर-हिंदी भाषी राज्यों में मुझे छोटे-छोटे बच्चे भी हिंदी में बातचीत करते हुए मिले। जिससे भाषाई संवादहीनता की स्थिति नहीं आई। कुछ कठमुल्ला किस्म के लोग यह दुष्प्रचार करके असीम सुख अनुभव करते हैं कि अंग्रेजी ही संपर्क भाषा होनी चाहिए। जबकि अंग्रेजी बहुसंख्यक आबादी की भाषा नहीं है बल्कि अल्पसंख्यक आबादी की भाषा है। बहुसंख्यक आबादी की भाषा तो हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं हैं। आज आवश्यकता है अनुवाद के माध्यम से इन भाषाओं के बीच संवाद और सौमनस्य का भाव पैदा करने की।

अनु का अर्थ है पीछे और वाद का अर्थ है बोलना अनुवाद का तात्पर्य है, जो बात पहले कही गई है उसका रूपांतरण करना। अनुवाद में सबसे अधिक कठिनाई होती है इसके बावजूद, उस लेखन की उपलब्धि का श्रेय मूल लेखक को ही मिलता है, अनुवादक को नहीं। डा. नगेंद्र का मत है कि अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने में चार बातों की जरूरत होती है। पहला-मूल या स्रोत भाषा अंग्रेजी पर अधिकार, दूसरा-अनुवाद की भाषा या लक्ष्य भाषा हिंदी पर अधिकार, तीसरा-संबंधित विषय का सम्यक ज्ञान, और चौथा-अभ्यास। इसका सीधा-सा मतलब है कि अनुवादक के लिए यह जरूरी है कि उसका मूल भाषा के साथ-साथ अनुवाद की भाषा पर

*सी-7/18 ए, लारेंस रोड, दिल्ली-110035.

भी पूरा अधिकार होना चाहिए। अंग्रेजी में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं और यह देखना अनुवादक का दायित्व है कि किस स्थान पर किस अर्थ का उपयोग किया जाना चाहिए अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने का खतरा बढ़ जाता है।

जब हम किसी क्षेत्रीय भाषा या बोली से अंग्रेजी या हिंदी में अनुवाद करते हैं तब वहां अनुवादक के सामने अधिक कठिनाई होती है। सफल अनुवादक वही हो सकता है जिसे उस क्षेत्रीय भाषा या बोली का ज्ञान होने के साथ ही वहां के स्थानों व वस्तुओं के नामों तथा प्रचलित शब्दावली की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। व्यक्तियों के नामों की भी जानकारी होनी चाहिए। तभी उस मूल क्षेत्रीय भाषा या बोली के साथ न्याय हो सकता है। क्षेत्रीय भाषाएं या बोलियां लोकोक्तियों व मुहावरों के मामले में भी काफी समृद्ध हैं। बोलियां लोकसंस्कृति एवं लोकसाहित्य की दृष्टि से काफी समृद्ध हैं, जिनमें शब्दों का अपार भंडार है, जहां लोकोक्तियों और मुहावरों की विविधता है। इस मामले में अनुवादक का दायित्व और बढ़ जाता है क्योंकि इस मामले में भाषिक स्तर बनाये रखना आवश्यक है। कई बार तो शब्दानुवाद से भी काम चल जाता है पर हर मामले में ऐसा नहीं हो सकता। अगर समानांतर मुहावरा शिष्ट भाषा में उपलब्ध न हो या उसमें कुछ कठिनाई आती हो तो मूल के निकट से जुड़ी व्याख्यात्मक शब्दावली का उपयोग किया जाना चाहिए।

लोकभाषाओं या बोलियों या किसी अंचल विशेष की भाषा की कृति का हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद करते समय उसकी मूल आत्मा को ध्यान में रखा जाना जरूरी है। हिंदी में अनुवाद करने में तो कठिनाई होती ही है। अंग्रेजी में तो यह और दुष्कर कार्य है क्योंकि मूल आत्मा के बिंधने का खतरा बढ़ जाता है। हर भाषा में शब्दों का अपना व्यापक भंडार होता है जिनका अर्थ भी हर भाषा में अलग होता है। एक ही वस्तु के नाम अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग होते हैं। इसलिए स्थानीयता की अनदेखी नहीं की जा सकती।

डा. देवेंद्रनाथ शर्मा ने मूल लेखक और अनुवादक के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि अनुवादक की उपलब्धि या उपकरण मूल लेखक की अपेक्षा अधिक कठिन पड़ते हैं। उन्होंने लिखा है–अनुवाद की अपूर्णता के विषय में चाहे जो भी कहा जाए। किंतु इसमें संदेह नहीं कि अनुवाद विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और महानतम कार्यों में से एक है।

सुप्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक हिलेयर बेलाक का मत है–अच्छे अनुवादक उतने ही दुलर्भ होते हैं, जितने अच्छे कवि। भाषाविद् नायडा ने अनुवाद के तीन स्वरूप माने हैं, जिनमें पहला है शाब्दिक अनुवाद, दुसरा भावानुवाद और पर्याय के आधार पर अनुवाद।

अनेक शब्दों का एक ही भाव होता है लेकिन उन्हें संबंधित वाक्यों के अनुरूप अगर उपयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ अधिक हो जाता है। जिससे अनुवाद करने से मूल स्रोत का अर्थ ही बदल जाता है । स्रोत भाषा के मूल भाव को बनाए रखने का दायित्व भी अनुवादक का ही होता है, इसलिए चालू अनुवाद भी अर्थ का अनर्थ कर देता है। लोकभाषा, संस्कृति से संबंधित अनुवाद में भी मूलभाव को न समझने वाला अनुवादक पाठक के लिए मुसीबत खड़ी कर देता है, और फिर उसे भ्रमित होने से बचाया नहीं जा सकता। सांस्कृतिक शब्दों के मामले में हर लोकभाषा और लोकसंस्कृति की अपनी-अपनी समृद्ध विरासत है, जो समाज विज्ञान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

आज हम देखते हैं कि गांवों से पलायन का सिलसिला कम नहीं हो रहा है बल्कि लगातार बढ़ रहा है। जिससे लोकसाहित्य और आंचलिक बोलियों के लिए खतरा भी बढ़ता जा रहा है। यदि इनके संरक्षण का कार्य नहीं किया गया तो आंचलिक बोलियां, अंचलों की लोकसंस्कृति और लोकसाहित्य लुप्त हो जाने का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में उन्हें संरक्षित करने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उनका अनुवाद किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों की हिंदी अकादमियों तथा साहित्य अकादमियों को इस कार्य में आगे आना चाहिए।

हरियाणा साहित्य अकादमी अपने राज्य की लोक रचनाओं को संरक्षित करने का काम कर रही है। उत्तराखंड में यह कार्य पहाड़ संस्था कर रही है, जिसने

कुमाऊंनी के आदि कवि गौर्दा की कविताओं को सहेजा है। इसके साथ ही कुमाऊं की जागर कथाएं, राग-भाग काली कुमाऊं जैसे अनेक ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार करने का प्रयास किया है। कुमाऊंनी एवं गढ़वाली लोक साहित्य, लोककला और लोक संस्कृति से जुड़े पुराने एवं नए रचनाकारों की रचनाओं को हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रस्तुत कर पहाड़ ने उनकी मूल भावनाओं को बचाए रखा है। सचमुच यह कार्य सांस्कृतिक एवं भाषिक विविधता की अनुभूति पैदा करता है। सांस्कृतिक एवं भाषिक विविधता बनाए रखने का कार्य पेशेवर अनुवादक नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए अनुवाद महज एक पेशा है। इस कार्य को वही लोग कर सकते हैं जो पूरी तरह सांस्कृतिक एवं भाषिक विविधता से जुड़े हुए हों और उसके हर पहलू को अच्छी तरह जानते-समझते हों। अन्यथा अनुवाद अनुवाद न होकर चलताऊ हो जाता है, जिस तरह से सरकारी कार्यों में आमतौर पर दिखाई देता है।

इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब किसी अंचल विशेष के बारे में या वहां की संस्कृति, लोककलाओं तथा जनजीवन के बारे में दूसरी भाषाओं में अनुवाद किया जाए तो वहां की मिट्टी की सौंधी गंध उसमें रची-बसी हो, पढ़ने वाले को भी अपनापन लगे तथा तथ्यों के साथ खिलवाड़ न हो। तभी अनुवाद के साथ उस अंचल के साथ भी न्याय होगा अन्यथा गलत अनुवाद खिलवाड़ मात्र बन कर रह जायेगा।

सांस्कृतिक और भाषिक विविधता भारत की महान विरासत का हिस्सा रही है जिसे बचाए रखने का दायित्व केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय को आंचलिक बोलियों, उनकी लोकभाषा, लोकसाहित्य और लोकसंस्कृति को बचाये रखने का दायित्व निभाना होगा। राज्य सरकारों के सहयोग से आंचलिक बोलियों की समृद्ध विरासत को बचाने का कार्य किया जा सकता है। अनेक निजी संस्थाएं तथा व्यक्ति इस काम में जुटे हैं, जिनको इस महान अनुष्ठान में आहूति डालने के लिए जोड़ना ही होगा। अन्यथा हमारी लोक भाषाएं और बोलियां पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगी और इसके साथ ही हमारी महान विरासत और सांस्कृतिक-साहित्यिक संपदा पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। ■

"यदि हम लोगों ने तन मन धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी 'राष्ट्रभाषा' होगी 'हिंदी'।"

–सुभाष चंद्र बोस

"हिंदी भारत की एक सार्वजनिक भाषा के इतिहास की श्रृंखला में अन्तिम कड़ी के रूप में हमारे सामने आई।"

–डा. सुनिति कुमार चटर्जी

"हम सभी भारतवासियों का यह अनिवार्य कर्त्तव्य है कि हम हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं।"

–डा. भीमराव अम्बेडकर

प्रयोजनमूलक हिंदी: आवश्यकता एवं प्रयोग-क्षेत्र

–प्रो. संजय धोटे*

भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के समक्ष भली भाँति प्रकट कर दूसरों के अभिव्यक्त विचारों को समझ सकता है। डॉ. श्यामसुंदर दास के शब्दों में इसे यों कह सकते हैं–"मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान-प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि-संकेतों का व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं"। [1]भाषा का अस्तित्व सामाजिक प्रयोजनानुकूलता पर आधारित होता है। भाषा का उदय और विकास सामाजिक जीवन के विभिन्न प्रयोजनों को संप्रेषित करने के लिए ही होता है। ज्यों-ज्यों भाषा का विकास और प्रसार होता है त्यों-त्यों उसके प्रकार्यात्मक प्रयोजन का क्षेत्र भी व्यापक होने लगता है। ऐसे में भाषा मुख्यत: दो आयामों में कार्य करती है–(1) सौंदर्यपरक आयाम और (2) प्रयोजनपरक आयाम

सौंदर्यपरक भाषा में मानव अपनी सुखात्मक दुखात्मक संवेदनाओं को अभिव्यक्त करता है। ऐसी भाषा कलात्मक, लालित्यपूर्ण शब्दशक्ति तथा अलंकारयुक्त होती है, जिसकी अभिव्यक्ति साहित्यिक भाषा के रूप में होती है, जिसमें कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक इत्यादि विभिन्न विधाएँ होती हैं। जबकि भाषा के प्रयोजनपरक आयाम का संबंध हमारी सामाजिक और जीवन की आवश्यकता से जुड़ा होता है। इसका प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन या क्षेत्र-विशेष के संदर्भ में किया जाता है जो विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट प्रयुक्ति बनकर भाषाई कार्य निभाती है, जिसे अभ्यास या ज्ञान विशेष द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भाषा के इसी आयाम को 'प्रयोजनमूलक भाषा' कहते हैं।

प्रयोजनमूलक हिंदी से आशय

'प्रयोजनमूलक हिंदी' अंग्रेजी शब्द 'फंक्शनल हिंदी' (Functional Hindi) का पर्याय रूप है। शब्दार्थ की दृष्टि से देखें तो प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ हुआ–ऐसी विशेष हिंदी जिसका उपयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए। 'प्रयोजनमूलक' शब्द एक पारिभाषिक शब्द है जो 'प्रयोजन' विशेषण में 'मूलक' उपसर्ग लगाने से बना है। प्रयोजनमूलक विशेषण इसके कामकाजी पक्ष को व्यक्त करता है। कुछ विद्वान इसे प्रयोजनमूलक हिंदी के बजाय व्यावहारिक हिंदी कहना अधिक उचित समझते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी से लगता है कि ऐसी भी हिंदी है जो निष्प्रयोजन है। इस संबंध में डॉ. ब्रजेश्वर वर्मा का मत उल्लेखनीय है–"निष्प्रयोजन कोई चीज नहीं है लेकिन प्रयोजनमूलक विशेषण उसके व्यावहारिक पक्ष को अधिक उजागर करने के लिए प्रयुक्त किया गया है।"[2] डॉ. नगेंद्र के मतानुसार "वस्तुत: प्रयोजनमूलक हिंदी के विपरीत अगर कोई हिंदी है तो वह निष्प्रयोजनमूलक नहीं वरन् आनंदमूलक हिंदी है। आनंद व्यक्तिसापेक्ष है और प्रयोजन समाजसापेक्ष। आनंद स्वकेंद्रित होता है और प्रयोजन समाज की ओर इशारा करता है। हम आनंदमूलक हिंदी के विरोधी नहीं है इसलिए आनंदमूलक साहित्य के हम भी हिमायती हैं, पर सामाजिक आवश्यकता के संदर्भ में हम संप्रेषण के बुनियादी आधार को भी अपनी नजर से ओझल नहीं करना चाहते।"[3] व्यावहारिक हिंदी से आशय है–दैनिक जीवन के कार्य-साधन के लिए उपयोग की जाने वाली हिंदी, जिससे यह भ्रम होता है कि यह सामान्य स्तर की भाषा है। इस संबंध में डॉ. विनोद गोदरे का मत है–"व्यावहारिक हिंदी के नामकरण के साथ एक भ्रम यह भी जुड़ जाता है कि व्यावहारिक हिंदी का अर्थ ऐसी हिंदी से है, जिसमें व्याकरण एवं सामाजिक आचरण के बजाय व्यावहारिक उपयोग पर अधिक बल दिया जाता है,–ऐसी भाषा जिसकी संरचना में व्याकरण की अनिवार्यता के बजाय व्यावहारिक उपयोगिता अधिक हो। इसके विपरीत प्रयोजनमूलक भाषा में प्रशासन, संपर्क तथा संप्रेषण आवश्यक होता है और उसमें उच्चारित वाक्य-प्रयोग से लेकर लिखित वाक्य

*स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, संत गाडगेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती

1394 HA/06–5

तक व्याकरण सम्मत शुद्धता एवं सामाजिक भद्रता का आग्रह होता है।"[4]

अत: हिंदी के प्रयोजनमूलक रूप को व्यावहारिक कहना उसके प्रयोग क्षेत्र को संकुचित करना है क्योंकि व्यावहारिक हिंदी की तुलना में प्रयोजनमूलक हिंदी अधिक संगत, अर्थगर्भित, लक्ष्यभेदी, स्पष्ट एवं सरल होती है। मोटुरि सत्यनारायण के शब्दों में प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषा यों दी जा सकती है–"जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही 'प्रयोजनमूलक हिंदी' है।"[5]

प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता

जनमत, जनभावना, राष्ट्रीय अस्मिता व भाषा सामर्थ्य आदि को ध्यान में रखकर संविधान निर्माणकर्ताओं ने देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए हिंदी भाषा को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 'संघ की राजभाषा' के रूप में मान्यता दी तथा अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा के प्रचार–प्रसार के निर्देश दिए गए। ये निर्देश हिंदी भाषा के जनमानस में राष्ट्रीयता और देश भक्ति को ध्यान में रखकर दिए गए हैं ।

हिंदी राजभाषा बनने के बाद विद्वानों द्वारा पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया गया। शब्दावली का यह निर्माण कार्य भविष्य में हिंदी को सरकारी भाषा के रूप में, प्रशासनिक भाषा के रूप में, आर्थिक लेन-देन की भाषा के रूप में, सांस्कृतिक गतिविधियों को भाषिक अभिव्यक्ति के साथ ही अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, विधि इत्यादि क्षेत्रों में विकसित करने की दृष्टि से किया गया, क्योंकि लंबे समय तक इन क्षेत्रों में अंग्रेजी का वर्चस्व रहा है ।

इक्कीसवीं सदी का प्रगतिगामी समाज औद्योगिक क्रांति और तकनीकी प्रगति को अपनाने लगा है, ऐसे में हिंदी को केवल साहित्यिक भाषा न बनाकर उसे आधुनिक युग की नई-नई चुनौतियों को स्वीकार कर अधुनातन विषयों को समझने और समझाने का माध्यम बनाना भी अतीव आवश्यक है, तभी हिंदी का प्रयोजनमूलक स्वरूप सार्थक सिद्ध होगा। इस संबंध में डॉ. एम. शेषन् का अभिमत विचारणीय है। वे लिखते हैं "आधुनिकीकरण के इस युग में विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी, कृषिविज्ञान, मेडिसिन आदि अनेकानेक क्षेत्रों में जो विस्फोटनकारी विकास त्वरित गति से होने लगा है और नई-नई खोजें जो होने लगी हैं तथा ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में जो अद्भुत एवं आश्चर्यजनक विकास हो रहा है वह जन-सामान्य तक अब तक नहीं पहुंच पाया है. इसे पहुंचाने का दायित्व हिंदी भाषा पर है। हिंदी की पैठ इन क्षेत्रों में करानी होगी । अभी तक देश-विदेशों में हो रहीं खोजों, अनुसंधानों, परीक्षणों तथा प्रयोगों से उसकी पहचान कराना आवश्यक होगा। इन सबका लाभ और प्रयोजन जन सामान्य को उपलब्ध कराना होगा ।"[6]

अत: ज्ञान-विज्ञान के लिए ही नहीं बल्कि जीवन के समस्त क्षेत्रों में सर्वाधिक उपयोगी माध्यम के रूप में हिंदी को प्रयुक्त कराना होगा तभी उसके विकास की अनंत दिशाएं खुल सकेंगी व प्रयोजनमूलक हिंदी का क्षेत्र विस्तारित होगा तथा उसकी लोकप्रियता भी स्वयंसिद्ध होगी ।

प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रयोग–क्षेत्र

इक्कीसवीं सदी में हिंदी नवीन संदर्भों एवं परिवेश के लिए प्रयुक्त होती हुई दिखाई देती है। हिंदी राजभाषा बनने के बाद उसके परंपरागत अर्थ, स्वरूप तथा व्यवहार क्षेत्र विस्तृत हो गए हैं, आज हिंदी जीविकोपार्जन की भाषा बन गई है; जो उसके प्रयोजनमूलक रूप के प्रयोग क्षेत्रों की ओर संकेत करती है।

वाणिज्य में हिंदी

वर्तमान युग एवं समाज, संचारक्रांति एवं बाजारीकरण का युग है। भारत विश्व के विकसित देशों के लिए एक बहुत बड़ा व्यवसाय केंद्र बन गया है। ऐसे में वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रयोजनमूलक हिंदी का क्षेत्र अति विस्तृत है। वस्तु के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुँचाने की संपूर्ण गतिविधियाँ वाणिज्यक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। आज उपभोक्ता सामग्री बनाने वाली अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां वस्तुओं के साथ दी जानेवाली जानकारी हिंदी में दे रही हैं। भारत में उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार का विस्तार हो रहा है। आज ये महानगरों से आगे निकलकर मध्यम दर्जे के शहरों से कस्बों और दूर-दराज के गावों तक पहुँच गई हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में तीस करोड़ का मध्यमवर्गीय उपभोक्ता बाजार मौजूद है जो दुनिया के बहुत सारे देशों की आबादी से कहीं अधिक बड़ा है। ऐसी स्थिति में भारत में संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित हिंदी के समक्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आवश्कताओं की पूर्ति के लिए यह एक बड़ा अवसर है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने व्यापार के लिए संबंधित देश की भाषा को अपनाती हैं। कोई भी भाषा ज्ञान के साधनों के साथ-साथ अपने बाजार की माँग और विशालता के बल पर अपने आपको स्थापित करती है। उसकी इस विशेषता को किसी भी राजनीति के

द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका संबंध मात्र भावना से नहीं रोजी-रोटी देनेवाले बाज़ार से भी है। ऐसे में यदि हम सामूहिक रूप से योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें तो निश्चित ही हिंदी की प्रयोजनीयता का विस्तार होगा।

कार्यालयीन हिंदी

प्रशासनिक हिंदी वह हिंदी है जिसका प्रयोग सरकारी, गैर-सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक कार्यों, कार्मिक प्रबंधन औद्योगिक संबंध वित्त प्रबंध आदि से संबंधित कार्य व्यापारों को निपटाने के लिए किया जाता है। प्रशासन के अंतर्गत सरकार को देश की आर्थिक, राजनैतिक, सुरक्षात्मक, सामाजिक आदि अनेक दृष्टियों से प्रशासनिक कार्य करने पड़ते है। इन से संबंधित साहित्य जैसे-टिप्पणी, प्रारुपण, आलेख, कार्यकालीन आदेश, निविदा, सूचना, पत्राचार आदि कार्यालयी साहित्य कहलाता है। कार्यालय साहित्य की प्रकृति के अनुसार कार्यालयी भाषा का स्वरूप निर्धारित होता है। कार्यालयीन हिंदी के शब्द तथा वाक्य सरल, स्पष्ट और सुबोध होने चाहिए, क्योंकि कार्यालयीन हिंदी के वाक्य अंग्रेजी वाक्यों के अनुवाद के माध्यम से आए है। परिणामस्वरुप कार्यालयीन हिंदी का अनुवाद के क्षेत्र में भी प्रसार हो रहा है। अतः कहा जा सकता है कि कार्यालयीन हिंदी का प्रयोग क्षेत्र निरंतर विकसित हो रहा है।

जनसंचार माध्यमों की हिंदी

जनसंचार के माध्यमों में आकाशवाणी, दूरदर्शन, निजी चैनल तथा समाचार-पत्र प्रमुख हैं। हिंदी इस देश की संपर्क भाषा होने के कारण इन क्षेत्रों से उसका अटूट संबंध है। जनसंचार के इन माध्यमों में भाषा का प्रयोग लिखित, मौखिक एवं दृश्य-श्रव्य के रूप में होता है। ऐसे में जनसंचार माध्यमों की भाषा में सहजता और संप्रेषणीयता अत्यावश्यक है क्योंकि जनसंचार माध्यमों की प्रयोजन सिद्धि उसकी भाषा की प्रभावशीलता पर निर्भर होती है। आकाशवाणी में केवल श्रव्य माध्यम का ही उपयोग होता है वहीं दूरदर्शन में दृश्य-श्रव्य दोनों का प्रयोग होता है। जनसंचार क्षेत्र के कार्यक्रम इस दृष्टि से तैयार किए जाएं कि हिंदी इनकी मूल भाषा बने, न की अनुवाद की। वर्तमान समय में अनेक चैनल यथा-जी-न्यूज, स्टार न्यूज, इंडिया टी.वी., बी.बी.सी. और डिस्कवरी चैनल मूल अंग्रेजी कार्यक्रमों से ज्यादा हिंदी में प्रसारित हो रहे हैं, जो हिंदी की प्रयोजनीयता के उदाहरण है। इससे हिंदी रोजगार की भाषा बनकर उभर रही है।

तकनीकी हिंदी

विगत वर्षों में कंप्यूटर क्षेत्र में नित नवीन प्रौद्योगिकियों के प्रादुर्भाव एवं सूचना क्रांति की अवधारणा ने विश्व के मानव समाज को बाह्य एवं आंतरिक रूप से प्रभावित किया है। भारत में भी सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को समझा गया तथा विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोगों को अनुसंधान करके विकास की गति को अपेक्षाकृत तीव्र किया गया। ये प्रयास केवल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहे अपितु सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को उन्नत बनाने के विभिन्न प्रयास सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे हैं।

आज न केवल टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में बल्कि भारतीय भाषाओं की विषय-सामग्री को विकसित करने और उनके प्रयोग को व्यापक बनाने की दिशा में कार्य करने की बहुत गुंजाइश है, जिससे साधारण से साधारण मनुष्य को भी अपनी भाषा में सूचना प्रणाली सुगम भाषा में प्राप्त हो सके। यह तभी संभव है जब हम इस ज्ञान को शीघ्रातिशीघ्र अपनी भाषा में लाने के लिए अनुवाद का सहारा लें। इससे इस क्षेत्र में अनुवाद के माध्यम से रोजगार भी उपलब्ध होगा।

अतः, कहा जा सकता है कि प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रयोग और प्रसार क्षेत्र निरंतर विकसित हो रहे हैं। आगामी समय में हिंदी की प्रयोजनीयता उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण में अपनी अहम भूमिका निभाएगी।

संदर्भ-ग्रंथ

(1) डॉ. हणमंतराव पाटीलः भाषा-विज्ञान तथा हिंदी भाषा का इतिहास, पृ. 22

(2) डॉ. ब्रजेश्वर वर्मा : प्रयोजनमूलक हिंदी-संपादक-डॉ. रवींद्रनाथ श्रीवास्तव, पृ. 67

(3) डॉ. नगेंद्रः प्रयोजनमूलक हिंदी - संपादक-डॉ. रवींद्रनाथ श्रीवास्तव, पृ. 69

(4) डॉ. विनोद गोदरेः प्रयोजनमूलक हिंदी, पृ. 12

(5) मोटूरि सत्यनारायणः प्रयोजनमूलक हिंदीः संपादक- डॉ. रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव,

(6) डॉ. एम. शेषन्ः हिंदी भाषा का आधुनिकीकरण-भाषा विशेषांक-जुलाई-अगस्त, पृ. 93 ■

साहित्यकी

हिंदी भाषा परिष्कारक : आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी

–डॉ. रवि शर्मा*

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सच्चे अर्थों में बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे हिंदी के पहले समर्थ संपादक, भाषा वैज्ञानिक, खड़ी बोली गद्य-पद्य के व्यवस्थापक, भाषा वैज्ञानिक, चिंतन एवं लेखन के स्थापक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, अनुवादक, तत्त्व चिंतक, और भी बहुत कुछ थे। द्विवेदी जी ने उस समय की प्रमुख पत्रिका 'सरस्वती' का सत्रह वर्ष तक संपादन करके न केवल पत्रिका को प्रतिष्ठित स्थान दिलवाया, अपितु हिंदी के अनेक रचनाकारों को अँगुली पकड़कर लिखना सिखाया। खड़ी बोली हिंदी गद्य-पद्य रचना की शुरूआत तो भारतेंदु युग में ही हो गई थी, मगर घुटनों के बल सरक रही उस हिंदी को अपने पैरों पर खड़ा होना, चलना तथा दौड़ना सिखाने का श्रेय मुख्य रूप से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही जाता है। उन्होंने पूरे युग की भाषा और साहित्य को निर्देशित तथा नियंत्रित किया। इसीलिए 1900 से 1918 के समय को हिंदी साहित्य के इतिहास में 'द्विवेदी युग' नाम से जाना जाता है।

द्विवेदी जी ने संपादन एवं भाषा सुधार के द्वारा सिर्फ युग निर्माण ही नहीं किया था, अपितु हिंदी को देश व्यापक भाषा बनाने के लिए संघर्ष भी किया था। हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि को स्थापित करने के लिए उन्होंने जो विचार रखे, उनका सिर्फ ऐतिहासिक महत्व ही नहीं है, बल्कि वे आज की भाषा-लिपि समस्या की जटिलताओं को सुलझाने में एक औज़ार का काम भी करते हैं।

आचार्य द्विवेदी ने पहला ऐतिहासिक कार्य यह किया कि जिस हिंदी गद्य में हम आज लिखते-पढ़ते हैं, ज्ञान-विज्ञान एवं चिंतन-मनन की सम्यक् अभिव्यक्ति कर पाते हैं, जिस हिंदी को हम राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा से आगे बढ़कर विश्व भाषा बनते हुए देख रहे हैं, उस हिंदी गद्य को परिनिष्ठित, परिमार्जित कर उसे इतना तरल और व्यापक बना दिया कि ज्ञान-विज्ञान, साहित्य, इतिहास, अर्थशास्त्र और अन्यान्य विषयों की अभिव्यक्ति उसमें सहज हो गई।

द्विवेदी जी भाषा के महत्व से पूर्णतः परिचित थे। उन्होंने भाषा रक्षा और उन्नति को स्वाधीनता से जोड़ा। द्विवेदी जी का मानना था कि सुसभ्य, शिक्षित और जागृत देश अपनी स्वाधीनता ही के सदृश अपनी मातृभाषा की भी रक्षा जी जान से करते हैं। कानपुर के तेरहवें साहित्य सम्मेलन की स्वागतकारिणी सभा के सभापति की हैसियत से मार्च 1923 में दिए भाषण में द्विवेदी जी ने कहा–'मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य की मातृभाषा उतनी ही महत्ता रखती है जितना कि उसकी माता और मातृभूमि रखती है। एक माता जन्म देती है, दूसरी खेलने-कूदने, विचरण करने और सांसारिक जीवन निर्वाह के लिए स्थान देती है और तीसरी मनोविचारों और मनोगत भावों को प्रकट करने की शक्ति देकर मनुष्य जीवन को सुखमय बनाती है। क्या ऐसी मातृभाषा का हम पर कुछ भी ऋण नहीं है? यही कारण था कि भाषा और लिपि के संबंध में द्विवेदी जी सतत् सजग और सक्रिय रहे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, इसका साहित्य, वर्तमान अवस्था, देश व्यापक भाषा, भारतीय भाषाएँ और अंग्रेजी, देशी भाषाओं में शिक्षा, भारतीय भाषाओं का अन्वेषण, देशव्यापक लिपि, देवनागरी लिपि का उत्पत्ति काल, उसके प्रचार का प्रयत्न, भाषा और व्याकरण, हिंदी शब्दों के रूपांतरण आदि अनेक विषयों पर उन्होंने लगातार लिखा और हिंदी भाषा के परिष्कार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

'हिंदी भाषा की उत्पत्ति' शीर्षक पुस्तक की भूमिका में 17 जून, 1907 को द्विवेदी जी ने लिखा–'कुछ समय से विचारशील जनों' के मन में यह बात आने लगी है कि देश में एक भाषा और एक लिपि होने की बड़ी जरूरत है

*प्रभारी, हिंदी विभाग, श्री राम कालेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-7.

और हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि ही इस योग्य है। इलाहाबाद वाले दूसरे साहित्य सम्मेलन के अपने बीजवक्तव्य, जो अक्तूबर 1911 में प्रकाशित हुआ, में हिंदी की वर्तमान अवस्था का विस्तार से विवेचन करते हुए द्विवेदी जी ने अंत में कहा– "आवश्यकता इस समय हिंदी में थोड़ी सी अच्छी-अच्छी पुस्तकों की है। विभक्तियाँ मिलाकर लिखनी चाहिए या अलग-अलग, पाई, गई और आई आदि शब्दों में केवल 'ई' स्वर लिखना चाहिए या 'ई' युक्त यकार, पंचम वर्ण संबंधी नियम का पालन करना चाहिए या केवल अनुस्वार से काम लेना चाहिए? ये तथा और भी ऐसी ही अनेक बातों पर विचार करने की भी आवश्यकता है।"

कहना न होगा कि इनमें से कुछ बिंदु तो एक शताब्दी बीत जाने पर आज भी विवादास्पद हैं। द्विवेदी जी ने 'भाषा और व्याकरण' शीर्षक से दो लेख लिखे। पहला लेख 'सरस्वती' के नवंबर 1905 में और दूसरा भाग फरवरी 1908 के अंक में प्रकाशित हुआ। आज से ठीक एक सौ वर्ष पूर्व प्रकाशित पहले लेख में द्विवेदी जी ने लिखित भाषा के लिए व्याकरण की आवश्यकता बताते हुए लिखा, 'विविध विषयों पर ग्रंथ लिखने वाले ग्रंथकारों के अनुभव, खोज, परीक्षा और विचारों से भावी संतति को चिरकाल तक तभी लाभ पहुँचेगा जब ग्रंथों की भाषा व्याकरण के नियमों द्वारा दृढ़ कर दी जाएगी-----। यह बात बहुत जरूरी है कि लिखित भाषा कथित भाषा की अपेक्षा अधिक समय तक स्थायी रहे। चिरकाल तक उसे स्थायी करने का एकमात्र साधन व्याकरण है। यदि व्याकरण अपने अखंडनीय नियमों से उसे बाँध दे, तो वह उसी अवस्था में बहुत काल तक बनी रहे।'

द्विवेदी जी हिंदी भाषा के प्रयोग में विद्यमान अराजकता, मनमानी और अनेकरूपता से बहुत आहत थे। 'भाषा और व्याकरण' शीर्षक अपने लेख में वे लिखते हैं–'एक तो हिंदी भाषा में साहित्य का एक प्रकार से अभाव ही है, दूसरे उसकी अनस्थिरता उसे और बरबाद कर रही है। जिस अखबार को उठाइए, जिस पुस्तक को उठाइए, सबकी वाक्य रचना में आपको भेद मिलेगा। व्याकरण के नियम निश्चित न होने से सब अपने-अपने क्रम को ठीक समझते हैं। इसकी तरफ लोगों का बहुत कम ध्यान जाता है कि हमारा वाक्य व्याकरण सिद्ध है या नहीं' वे आगे उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करते हैं–

"एक लेखक लिखता है, 'जिनने'; 'उनने' 'इनने', दूसरा लिखता है, 'जिन्होंने', 'उन्होंने' 'इन्होंने' । एक लिखता है 'वह ही', दूसरा लिखता है 'वही' और 'वोही'। जो लेखक एक जगह लिखता है 'वह काम इस तरह हो' वह जरा दूर आगे चलकर लिखता है, 'वह काम इस तरह होवे।' इस अनस्थिरता का कहीं ठिकाना है?" द्विवेदी जी ने ऐसे अटपटे प्रयोगों की विस्तृत सूची अपने लेख में दी है। बीच-बीच में वे इस स्थिति में सुधार हेतु सुझाव भी देते चलते हैं, जैसे–

1. हिंदी को कुछ काल के लिए स्थाई करने के लिए यह बहुत ज़रूरी बात है कि उसकी रचना व्याकरण विरुद्ध न हो, उसमें सिर्फ ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो विशेष व्यापक हों, अर्थात् जिन्हें अधिक प्रांतों के आदमी समझ सकें।

2. हिंदी के शब्द विचार में, हमारी समझ में, यथासंभव संस्कृत व्याकरण से सहायता लेनी चाहिए। संस्कृत व्याकरण के समान अच्छा और कोई व्याकरण दुनिया में नहीं।

3. द्विवेदी जी के इस लेख ने हिंदी रचना संसार में हलचल मचा दी। इस पर अनेक प्रतिक्रियाएँ हुई। कुछ लेखकों ने प्रशंसा के पुल बाँधे, तो कुछ ने इस पर अनेक आक्षेप लगाए। बालमुकुंद गुप्त ने 'भारत मित्र' नामक अपने साप्ताहिक पत्र में दिसंबर 1905 और जनवरी 1906 के विभिन्न अंकों में दस लेखों में इसकी आलोचना की। यह आलोचना उन्होंने 'आत्माराम' के छद्म नाम से की। द्विवेदी जी ने 1908 में प्रकाशित अपने लेख के दूसरे भाग में ऐसी सभी आलोचनाओं का व्यंग्यात्मक शैली में उत्तर दिया था।

तत्कालीन हिंदी भाषा परिष्कार के संबंध में द्विवेदी जी का कार्य ऐतिहासिक महत्त्व का है। वे 'सरस्वती' में प्रकाशित होने वाली प्रत्येक रचना को व्याकरण सम्मत बनाने के लिए उसमें आवश्यक संशोधन किया करते थे । कभी-कभी तो वे रचना में इतना संशोधन कर देते थे कि लेखक स्वयं अपनी रचना को रचना के अंत में अपना नाम देखकर ही पहचान पाता था। द्विवेदी जी के इस श्रम साध्य भाषा परिष्कार एवं परिमार्जन के परिणामस्वरूप 'सरस्वती' पत्रिका की प्रतिष्ठा यहाँ तक पहुँच गई कि जिस लेखक की रचना 'सरस्वती' में प्रकाशित हो जाती थी, वह प्रतिष्ठित लेखक मान लिया जाता था। पं. देवी दत्त शुक्ल ने द्विवेदी जी की एक विशेषता बताई–'उनकी हिंदी के लेखक बनाने की योग्यता'। इस योग्यता का प्रमाण उनके द्वारा संशोधित रचनाएँ हैं। उनके कुछ उदाहरण आगे दिए जा रहे हैं:–

1394 HA/06–6

शब्द संशोधन

लेखक द्वारा प्रयुक्त मूल शब्द		द्विवेदी जी द्वारा संशोधित रूप
जावै	:	जाय
करैगा	:	करेगा
उन्हैं	:	उन्हें
चाहिये	:	चाहिए
हुवा	:	हुआ
बिचारे	:	बेचारे
संदेशा	:	संदेश
समाधी	:	समाधि
पैहले	:	पहले
गयी	:	गई
गंधारी	:	गांधारी

शब्द संशोधन

लेखक द्वारा प्रयुक्त मूल शब्द		द्विवेदी जी द्वारा संशोधित रूप
प्रगट	:	प्रकट
चुनाओ	:	चुनाव
क्यूँकि	:	क्योंकि
दुनियां	:	दुनिया
नैन	:	नयन
बादर	:	बादल
सिंघासन	:	सिंहासन
जोत	:	ज्योति
कुच्छ	:	कुछ
कोठड़ी	:	कोठरी
अतर्ध्यान	:	अतंर्धान

वाक्य संशोधन

लेखक द्वारा प्रयुक्त मूल रूप	:	द्विवेदी जी द्वारा संशोधित रूप
उनके अभिमान का चकनाचूर हो गया ।	:	उनका अभिमान चकनाचूर हो गया।
समझी जानी लगी है।	:	समझी जाने लगी है।
आपको कष्ट ही होगा।		आपको व्यर्थ कष्ट होगा।

अनुच्छेद संशोधन

लेखक द्वारा प्रयुक्त मूल रूप	द्विवेदी जी द्वारा संशोधित रूप
1. यदि साधनों के दुष्प्राप्यता के कारण अभी तक यह शोचनीय स्थिति थी तो पुराण काल के लोगों की क्या हालत होगी? तो भी धन्य है उन महात्माओं को जिन्होंने भोज पत्र पर भारतवर्षीय अमूल्य ग्रंथ भांडार लिख डाला है। ताड़पत्र पर भारत के कितने ग्रंथ लिखे गये होंगे यह यदि हम निश्चयात्मक नहीं जानते तो भी पाठक इसका तर्क कर सकते हैं।	यदि साधनों की दुष्प्राप्यता के कारण अब तक यह दशा थी तो पुराने समय की असुविधाओं का क्या पूछना है। अतएव धन्य है उन भारतवर्षीय महात्माओं को जिन्होंने भोजपत्र पर अमूल्य ग्रंथ लिख डाले हैं। ताड़पत्र पर भारत में लाखों ग्रंथ लिखे गये हैं।
2. जगत के ग्रंथों में तथा पुस्तकों में चमड़े ने अपने तरफ से बहुत सेवा की है और अभी भी कर रहा है। एक समय जगत के सर्वप्राचीन देश चमड़े पर लिखा करते थे परन्तु अहिंसा परमों धर्मः का प्रचार जोर शोर से शुरू होने के कारण चमड़े का व्यवहार लिखने में कम होते चला।	एक समय था जब चमड़े पर भी पुस्तकें लिखी जाती थीं। विद्वानों का अनुमान है कि किसी समय संसार के सारे प्राचीन देश चमड़े पर लिखा करते थे । भारत वर्ष में भी प्राचीन समय में चमड़े का उपयोग इस काम के लिए होता था पर 'अहिंसा परमो धर्मः' का उपदेश शुरू होने के कारण चमड़े का व्यवहार लिखने के काम में कम हो चला। ऐसे हज़ारों प्रयोग द्विवेदी जी ने शुद्ध करके खड़ी बोली हिंदी को व्याकरण सम्मत मानक भाषा बनाया। इनके इस अविस्मरणीय योगदान के कारण ही उन्हें 'हिंदी भाषा का पाणिनी' कहना अतिशयोक्ति न होगी। ■

हिंदी जगत के उत्कृष्ट साहित्यकार–पं. चंद्रधर शर्मा गुलेरी

–प्रवीण कुमार*

पंजाब का कांगड़ा प्रांत प्राचीनकाल में त्रिगर्त कहलाता था। वहाँ के सोमवंशी राजा जब मुलतान छोड़कर पहाड़ों में आए थे तब अपने साथ पुरोहितों को भी लेते आए थे। उसी वंश के राजा हरिचंद्र ने गुलेर में राज्य स्थापित कर सन् 1410 में हरिपुर को अपना राज्यनगर बनाया था। उक्त राजा ने अपने कुछ पुरोहितों को 'जडोट' ग्राम जागीर की भाँति दे दिया था, वही पुरोहित 'जडोटिए' कहलाए। उन्हीं पुरोहितों के वंश में सन् 1855 में पंडित शिवराम जी का जन्म हुआ था जिन्होंने काशी आकर श्री गौड़ स्वामी तथा अन्य कई विद्वानों से व्याकरण आदि शास्त्रों की बहुत अच्छी शिक्षा पाई थी। उनकी योग्यता और विद्वता से प्रसन्न होकर जयपुर के महाराज सवाई रामसिंह जी ने उन्हें अपने पास रख लिया । पंडित शिवराम जी ने जयपुर में रहकर सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ाए थे और अच्छा यश प्राप्त किया था । सन् 1911 में उनका परलोकवास हो गया।

पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पंडित जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 7 जुलाई सन् 1883 को जयपुर में हुआ था। बाल्यावस्था में इन्होंने अपने पिता जी से ही शिक्षा पाई थी। उसी समय इन्हें संस्कृत का विशेष अभ्यास कराया गया था। बहुत ही छोटी अवस्था में इन्हें संस्कृत बोलने का अच्छा अभ्यास हो गया था। जिस समय ये छह वर्ष के थे उस समय इन्हें चार सौ श्लोक और अष्टाध्यायी के दो अध्याय कंठस्थ थे। दस वर्ष की अवस्था में एक बार इन्होंने संस्कृत का छोटा सा व्याख्यान देकर भारत-धर्म-महामंडल के कई उपदेशकों को चकित कर दिया था। प्रसिद्ध मासिक पुस्तक 'काव्यमाला' के संपादक महामहोपाध्याय पंडित दुर्गाप्रसाद जी की कृपा से इनके हृदय में देश-सेवा, साहित्य प्रेम, हिंदी सेवा आदि कई उपयोगी विचारों के अंकुर उत्पन्न हुए थे।

सन् 1893 में इन्होंने जयपुर के महाराज कालेज में अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया। छह ही वर्ष में सन् 1899 में ये प्रयाग विश्वविद्यालय की एंट्रेंस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इनकी इस सफलता के कारण जयपुर-राज्य ने इन्हें एक स्वर्ण पदक दिया था। उसी वर्ष इन्होंने महाभाष्य पढ़ना आरंभ किया। सन् 1902 में इन्होंने जयपुर के मानमंदिर के जीर्णोद्धार में सहायता दी और 'सम्राट सिद्धांत' नामक ज्योतिष-ग्रंथ के कई अंशों का बहुत योग्यता पूर्वक अनुवाद किया, जिसके लिए उस कार्य के अध्यक्ष दो अंग्रेज सज्जनों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। उसी समय लेफ्टिनेंट गैरट के साथ इन्होंने अंग्रेजी में "दी जयपुर आबजरर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर" नामक ग्रंथ लिखा था। दूसरे वर्ष सन् 1903 में ये प्रयाग विश्वविद्यालय की बी.ए. परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और इसके लिये इन्हें जयपुर राज्य से एक स्वर्ण पदक और बहुत सी पुस्तकें मिलीं। साथ ही ये वेद और प्रस्थानत्रय का भी अभ्यास कर रहे थे। इनका विचार दर्शनशास्त्र में एम.ए. की परीक्षा देने का था, परंतु जयपुर-राज्य के आग्रह से खेतड़ी के राजा साहब के संरक्षक बनकर इन्हें अजमेर के मेयो कालेज में जाना पड़ा। आपने वहाँ संस्कृत के प्रधान अध्यापक पद को सुशोभित किया था। सन् 1917 में आप जयपुर-राज्य के समस्त सामंतों के अभिभावक बनाए गए। मेयो कालेज में कश्मीर के महाराज हरिसिंह, प्रतापगढ़ के नरेश राम सिंह, ठाकुर अमर सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह तथा ठाकुर दलपत सिंह इनके प्रिय शिष्यों में थे। सन् 1920 में ये काशी विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष होकर काशी आए। यहाँ इन्होंने दो वर्ष के लगभग कार्य किया होगा कि 12 सितंबर सन् 1922 को 39 वर्ष की अल्प आयु में इनका स्वर्गवास हो गया।

पाठक एवं अधिकांश आलोचक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी को एक कहानीकार के रूप में जानते-पहचानते हैं। लेकिन बहुत कम पाठकों को यह पता होगा कि उन्होंने कविताएं भी लिखी और निबंध भी। गुलेरी जी कि गणना द्विवेदी (महावीरप्रसाद द्विवेदी) युग के प्रख्याता निबंध

*डी-1209, डबुआ कालोनी, फरीदाबाद-121001 (हरियाणा)

कारों में होती है। उनकी ऐसी प्रभावकारी एवं रोचक रचनाएं समालोचक, सरस्वती, मर्यादा, इंदु, प्रतिभा और नागरी प्रचारणी पत्रिका आदि प्रसिद्ध जनप्रिय पत्रिकाओं में छपा करती थी। आपके कुछ एक चर्चित एवं रोचक निबंध, शोधपरख आलेख एवं टिप्पणियां पर्याप्त भावप्रधान, ललित और व्यक्ति-व्यंजक माने जाते हैं, जिनके शीर्षक हैं–कछुआ धरम, मारेसि मोहि कुठाऊ, काशी, देवकुल, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, जय जमुना मइया की, संगीत, पुरानी पगड़ी, न्याय घंटा, आत्मघात, सांप के काटे का विलक्षण उपाय, देवानांप्रिय, राजाओं की नीयत से बरकत। कुछ एक आलेख यथा वेद में पृथ्वी की गति, जयसिंह प्रकाश, पृथ्वीराज-विजय महाकाव्य, संस्कृत की टिपरारी पुरानी हिंदी, आंख, सिंहलद्वीप में महाकवि कालिदास का समाधिस्थल, पंच महाशब्द, अवंति सुंदरी और पाणिनि की कविता गुलेरी जी के शोधपूर्ण एवं आलोचनात्मक आलेख कहे जाएंगे। सुनते हैं जिस समय 'मर्यादा' (सन् 1911-12) में उनके पुराने राजाओं की गाथाएं 'पृथुवैन्य का अभिषेक', 'मनु वैवस्वत', 'राजसूर्य' एवं 'शुनः शेष की कहानी', 'सुकन्या की वैदिक कहानी' और 'सोत्रामणी का अभिषेक' नामक ऐतिहासिक-वैदिक शोध प्रकाशित हुए तब उनके परम मित्र श्रीरायकृष्ण दास जी ने गुलेरी जी को पत्र लिखा। उस पत्र (दिनांक 25-4-1912) में राय कृष्ण दास ने अपनी ओर से श्लाघामिश्रित आश्चर्य दर्शाते लिखा–'इधर 'मर्यादा' के एक संस्करण में आपके कितने ही लेख निकले हैं। इरादे क्या हैं आपके? कहीं कोई वैदिकैतिहासिक पुस्तक लिखने तो नहीं जा रहे हो? यदि हां, तो बड़े ही हर्ष का विषय है, अवश्य ही वैदिक ग्रंथों को मथ-मथ कर नए-नए तत्व निकालिए। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि वैदिक साहित्य से नई-नई ऐतिहासिक बातों को निकालकर दरिद्रिनी हिंदी को धनवती बनाएं।' गुलेरी जी के समकालीन निबंधनकारों में पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी, पं. माधव प्रसाद मिश्र, बाबू बाला मुकुंद, पं. गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदरदास, पं. जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, बाबू गुलाबराय, अध्यापक पूर्णसिंह आदि नामों को शुमार कर सकते हैं। शायद इसलिए यह वह समय था जब हिंदी के निबंध–साहित्य में एक ओर विषय विस्तार आया, वहीं साथ-साथ निबंधों के साहित्यिक रूप में या शैली में भी विविधता और समृद्धि आई। इनमें गुलेरी जी का एतदर्थ योगदान महत्वपूर्ण आयाम जोड़ता है।

आमतौर पर पढ़े-लिखे लोग भी गुलेरी जी की तीन कहानियों के नाम जानते हैं : 'सुखमय जीवन', 'बुद्धू का कांटा' और 'उसने कहा था', जबकि उनकी पहली कहानी है 'घंटाघर', जो कार्लाईल की रचना से प्रेरित है। एक अन्य कहानी 'धर्मपरायण रीछ' महाभारत की कथा पर आधारित है और उनकी अपूर्ण कहानी 'हीरे का हीरा' ने तो उनके उपन्यास लेखन की ओर प्रवृत्त होने का भी संकेत कर दिया है। काश! गुलेरी जी कुछ दिन और जीवित रहते। तब शायद हिंदी कथा साहित्य के इतिहास में उनका स्थान कुछ और होता। बावजूद इसके 'उसने कहा था' हिंदी कहानी के इतिहास में मील का ऐसा पहला पत्थर है, जो विश्व कथा के संदर्भ में तो भारतीय कहानी का है, भारत के संदर्भ में हिंदी का, हिंदी के संदर्भ में पंजाब-हिमाचल का और हिमाचल के संदर्भ में धुर कांगड़े–गुलेर का, जो तमाम हिंदी कथाकारों के लिए आज भी दिशा-निर्देश का काम करती है और शायद आगे भी करती रहेगी।

गुलेरी जी की इस बहुपठित कहानी में एक ऐसा समाज है, जो सामुदायिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर तो सक्रिय है ही, भोगवाद और आध्यात्मिकता के द्वंद्व से दो-चार होता हुआ भी नज़र आता है, जो निरा कल्पनाशून्य समाज नहीं है, वहां रोमांच का भी कोई अभाव नहीं है, लेकिन वह समाज दिवा-स्वप्नों में खोया रहने वाला जड़ समाज नहीं है, जीवन के कठोर यथार्थ से दो-चार होता हुआ वह एक जीवंत समाज है। व्यापक सत्ता तंत्र के समक्ष असहाय और निरुपाय होते हुए भी 'उसने कहा था' के मनुष्य ने न अपना साहस खोया, न मानवीय गरिमा, न ही उसका हँसना-गाना छूटा, न ही छूटा अपने कौल पर जीने और मरने का उसका संकल्प। और उसका मरना कोई मामूली मरना नहीं है, वह मरना ऐसा मरना है, जिसे दुनिया याद करती है, सदियों तक। 1915 में सृजित गुलेरी जी की यह अमर कहानी 'उसने कहा था' अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति के लिए छटपटाते भारतीय मनुष्य के उदार, उदात्त और शौर्यमय जीवन की गौरव गाथा कहती, ने अपने समय के मनुष्य को तो शक्ति दी ही थी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बड़े काम की सिद्ध हुई। इसीलिए आज भी सबके गले का हार है और लोग उसे गर्व से धारण किए हुए हैं।

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के 'उपन्यासकार' रूप की तरह श्रीचंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंधकार रूप भी अप्रतिम है, खासकर उस युग में, जब आधुनिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली अपना भाषा-रूप गढ़ रही थी। आज हम गुलाबराय, रामवृक्ष बेनीपुरी, अध्यापक पूर्णसिंह, महादेवी वर्मा, हजारीप्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, अज्ञेय, भारती, निर्मल वर्मा, कुबेरनाथ राय, रमेशचंद्र शाह, श्रीराम परिहार, वेदप्रकाश अमिताभ तथा मूलचंद गौतम आदि निबंध कारों के जो ललित निबंध पढ़ते हैं, उनकी जमीन गुलेरी जी ने ही तैयार की थी। वे जितने बड़े निबंधकार थे, उतने बड़े व्यंग्यकार भी। न सिर्फ निबंधकार के रूप में, बल्कि अपने समय के प्रकांड विद्वान, भाषाशास्त्री, समालोचक, इतिहासकार, जीवनीकार, पुरातत्ववेता, कला समीक्षक और प्रखर संपादक के रूप में राजपूताने से लेकर वाराणसी तक गुलेरी जी की धाक थी। वे हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी लिखते थे। इसके अलावा पाली, अपभ्रंश, बृज, अवधि, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, लैटिन तथा फ्रेंच में भी उनकी गति थी। दर्शन, ज्योतिषि, काव्यशास्त्र, वैदिक-पौराणिक साहित्य, धर्म तथा राजनीति का भी उन्हें गहरा ज्ञान था। आज की हिंदी पत्रकारिता में जिस 'इंटरव्यू' विधा का बोलबाला है, हिंदी में उसका सूत्रपात करने का श्रेय भी गुलेरी जी को ही है। गांधर्व महाविद्यालय, लाहौर के संस्थापक तथा अध्यक्ष पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का गुलेरी जी ने इंटरव्यू किया था, जो 'संगीत की धुन' शीर्षक से 'समालोचक में' सितंबर, 1905 में छपा था। वस्तुतः वही है हिंदी की पहली भेंटवार्ता, जिसे कुछ लोग साक्षात्कार भी कहते हैं।

कथा-कहानी, कविता, निबंध-लेख, संस्मरण, शोध, इंटरव्यू, कला, वैदिक-पौराणिक, और लोक साहित्य, संगीत, राजनीति, धर्म, जीवन चरित, इतिहास, पुरातत्व, विज्ञान, भाषा शास्त्र, आलोचना, अनुवाद तथा संपादन आदि साहित्य और पत्रकारिता का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था, जिसमें गुलेरी जी की पैठ न रही हो और उसमें उन्होंने साधिकार कलम न चलाई हो। सनातनी ब्राह्मण होते हुए भी निर्भीक होकर गुलेरी जी ने रुढ़ियों पर निरंतर प्रहार किया और बिना किसी घोषणा के सामान्य जन का पक्षधर होते हुए उच्च जीवन मूल्यों की वकालत की। इसकी ओर संकेत करते हुए डा. नामवर सिंह ने कहा है : 'एक कहानी से अमर हो जाने वाले लेखक कम ही हैं, शायद नहीं के बराबर। गुलेरी जी इस दृष्टि से अद्वितीय हैं। सदी का यह एक ही चमत्कार है, लेकिन इस चमत्कार से क्षति भी हुई है। गुलेरी जी की अन्य रचनाओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया। गुलेरी जी हिंदी में न सिर्फ एक नया गद्य या शैली गढ़ रहे थे, वस्तुतः वे एक चेतना का निर्माण कर रहे थे और यह नया गद्य नई चेतना का सृजनात्मक साधन है। संस्कृत के पंडित उस जमाने में और भी थे, लेकिन 'उसने कहा था' जैसी कहानी और 'कछुआ धरम' जैसा लेख लिखने का श्रेय गुलेरी जी को ही है। इसलिए वे हिंदी के लिए बंकिमचंद्र हैं और ईश्वरचंद्र विद्या सागर भी हैं।'

किशोरीलाल गोस्वामी तथा देवकीनंदन खत्री आदि के तिलिस्मी-अय्यारी प्रधान उपन्यासों से हिंदी का प्रचार-प्रसार और व्यापार तो बढ़ सकता है, मगर समृद्ध भाषा के रूप में उसका विकास नहीं हो सकता। गुलेरी जी के इस भाषाई चौकन्नेपन को रेखांकित करते हुए गिरधर राठी ने ठीक ही कहा है: 'गुलेरी अनेक भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे और अनेक विषयों के अध्येता, ज्ञाता और लेखक। हिंदी भाषा के बनते बिगड़ते हुए रूप पर उनकी तीखी टिप्पणियां चौंकाती हैं, इसलिए कि जिस रोग का निदान उन्होंने बीसवीं सदी के आरंभ होने से ही बता दिया था, वह आज महारोग बन गया है। वे एक तरह से संस्कृत भाषा में जन्मे, अंग्रेजी माध्यम से पढ़े और हिंदी के रचनाकार बने, लेकिन न तो वे पंडिताई हिंदी के पुरोधा हैं, न ही अंग्रेजी के बैसाखी वाली हिंदी के। उनकी भाषा में अनोखा चुलबुलापन है, जिसे विदेशी भाषाओं से सीखने में उज्र नहीं हैं, पर वह उनकी जूठन नहीं बनना चाहती। इसी तरह संस्कृत से संबंध ऐसा है कि हिंदी का स्वतंत्र व्यक्तित्व बना रहे।'

'मारेसि मोंहि कुठाऊ', 'कछुआ धरम', 'आँख', 'संगीत', 'पुरानी हिंदी' और 'शैशुनाक की मूर्तियाँ' जैसे निबंधों का जिक्र कभी-कभार पढ़े-लिखे लोग गुलेरी जी की अन्य रचनाओं के रूप में करते रहे हैं, पर उनका विस्तृत साहित्य प्रायः यत्र-तत्र बिखरा ही रहा। मुक्ति बोध की तरह अपने जीवनकाल में गुलेरी जी अपनी कोई छपी हुई किताब नहीं देख सके। देखने की लालसा ही शायद न रही हो, कोशिश भी शायद उन्होंने न की हो और संभव है कि लिखने-पढ़ने और संपादन की व्यस्तता में किताब छापने के बारे में सोचने का अवकाश ही न मिला हो और इतनी अल्प आयु में अपने स्मृतिशेष हो जाने की कल्पना वे न कर सके हों।

1394 HA/06-7

हमें आभारी होना चाहिए डॉ. मनोहरलाल का, जिन्होंने गुलेरी युग की जीवित विभूतियों से मेल-मुलाकात और खतो-किताबत करके पत्र-पत्रिकाओं में बिखरी गुलेरी जी की सैकड़ों रचनाएं ढूंढीं और एक हजार पृष्ठ की 'गुलेरी रचनावली' प्रकाशित करवाकर हमारी आँखें खोल दीं। गुलेरी जी के साहित्य को बचाकर रखने और उसे पुनः प्रकाश में लाने के काम में गुलेरी जी के अंतरंग मित्र और पत्रकार झाबरमल्ल शर्मा की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही। गुलेरी जी के पौत्र विद्याधर गुलेरी तथा वंशज पीयूष गुलेरी ने भी इस दिशा में काफी काम किया है। गुलेरी जी की और भी कुछ रचनाओं के मिलने की हालांकि संभावना है, लेकिन जहां मात्र 'एक कहानी के लेखक गुलेरी' जैसा मिथ्या प्रचार चल निकला था, वहां गुलेरी जी के लिखे हजार पृष्ठ उस मिथ्या प्रचार को खत्म कर देने के लिए काफी हैं, लेकिन गुलेरी जी की शेष रचनाएं भी ढूंढ़ी जानी चाहिएं जिनमें चंद्रनाथ बसु रचित बांग्ला ग्रंथ 'हिंदुत्व' तथा 'शकुंतला तत्व' के गुलेरी कृत हिंदी अनुवाद आदि भी शामिल हो सकते हैं।

गुलेरी जी की कुछ कहानियां, कुछ निबंध तथा कुछ पुस्तकों की उनकी भूमिकाएं अभी भी अनुपलब्ध हैं, पर जो चीजें उपलब्ध हो गई हैं, वे भी कम नहीं हैं। खासकर उनके लिए, जो गुलेरी जी के इतने बहुविध साहित्य के बावजूद उन्हें सिर्फ एक कहानी 'उसने कहा था' के लेखक के रूप में प्रचारित-प्रतिष्ठित करते रहे हैं। यह मिथ्या प्रचार 'गुलेरी रचनावली' छपने के बाद स्वतः ध्वस्त हो गया है। अब हम गुलेरी जी के आधे-अधूरे परिचय के पार उनके रचना संसार को संपूर्णता में देख-समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि भारतेंदु हरिशचंद्र की तरह इतनी कम आयु (मात्र 39 वर्ष) पाकर भी हिंदी का यह महारथी क्या-क्या रच गया है। रच गया है इसलिए इतने मिथ्या प्रचार के बावजूद अभी तक बचा रह गया है, और आगे भी बचा रहेगा। सही और सार्थक सृजन का यही चमत्कार है कि वह अपने रचनाकार को पाताल से भी निकाल कर एक न एक दिन उसके उचित स्थान पर प्रतिष्ठित कर ही देता है। ■

हिंदी तब बढ़ेगी जब उसमें केवल उपन्यास या कहानी ही न लिखे जाएँ बल्कि उन नए-नए विषयों, नई-नई विचारधाराओं पर पुस्तकें लिखी जाएँ जो आधुनिक दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदी को ऐसा बनाना है। हम चाहते हैं कि लोग इन विषयों पर पुस्तकें लिखें जिससे दूसरे राज्यों के लोग तुरंत यह चाहें कि इसका अनुवाद उनकी भाषा में हो। इसी प्रकार से जो बाहर की किताबें निकलती हैं उनका जल्दी से हिंदी में भी अनुवाद होना चाहिए। अनुवाद अगर बहुत साल बाद होगा जो उससे ज्यादा लाभ नहीं होगा। कुछ किताबें तो हमेशा की होती हैं, और उनका अनुवाद हमेशा ही उचित रहता है, लेकिन बहुत-सी ऐसी नई विचारधाराएँ होती हैं जो लहर की तरह आती हैं, अपना प्रभाव डालती हैं और कुछ प्रभाव छोड़कर वह लहर खत्म हो जाती है। इस लहर के बारे में बहुत दिन बाद में पढ़ने में वो बात नहीं रहती।

–इंदिरा गांधी

जयशंकर प्रसाद के साहित्य में भारतीय राष्ट्रीय भावना का विकास

–डॉ. रुकमणी तिवारी*

प्रसाद जी का साहित्य राष्ट्रीयता की भावना से अनुप्राणित है। राष्ट्रीयता का मूल-भूत आधार भावात्मक तथा मानसिक है। राष्ट्रीयता का संबंध संपूर्ण राष्ट्र से ममत्व रखने में है। राष्ट्रीयता संबंधी भारतीय दृष्टिकोण एवं उसका पाश्चात्य विचारों से समन्वय द्रष्टव्य है।

भारतीय राष्ट्रीय भावना राजनीतिक कम सांस्कृतिक एवं धार्मिक अधिक रही है उसको परिवेश पाश्चात्य संस्कृति ने ही दिया है। भारतीय राष्ट्रीय चेतना का श्रोत वैदिक ग्रंथ हैं। वेदों में 'स्वराज्य' शब्द का परिचय कराया गया है। ऋषिगण ऐसे स्वराज्य का निर्माण करना चाहते थे जो सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय हो।

"आयदवामीय चक्षसा मित्र वयं च सूरया
व्यचिकं बहुपायुये यतेमहि स्वराज्ये।"

ऋग्वेद-5-666

बाल्मीकि रामायण में अराजक राष्ट्र को नष्ट करने के लिए राम को अलौकिक गुणों से युक्त न मानकर मानवीय गुणों से ही संपन्न स्वीकार किया गया है। बाल्मीकि ने राम को 'देवता' के रूप में नहीं 'नर' के रूप में कर्मक्षेत्र में उतारा।

इसी प्रकार महाभारत, शतपथ ब्राह्मण, बौद्धकाल, कोटिल्य के अर्थशास्त्र में राष्ट्रीयता संबंधी भारतीय दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं।

मध्य युग में शंकराचार्य ने भारत में सांस्कृतिक एकता के प्रयत्न किए, जो उनके अद्वैतवाद में विद्यमान हैं। राजपूत युग में राष्ट्रीय भावना की व्यापकता है। महाकवि सूरदास एवं तुलसीदास जी के काव्य में आध्यात्मिक राष्ट्रीयता का स्थान है। लेकिन 19वीं शताब्दी से राष्ट्रीयता के प्राचीन स्वरूप में ह्रास होने लगा और नयी चेतना का विकास होने लगा।

अंग्रेज 'फूट डालो-राज करो' की नीति अपनाए हुए थे। भारत उनके लिए क्रीड़ास्थल बना था। प्रतिक्रियास्वरूप, एक नूतन जागृति की लहर आई और इस लहर में पाश्चात्य राष्ट्रीय भावना का भी मिश्रण था। पूर्व और पश्चिम के विचारों के आदान-प्रदान से भारत में नवजागरण का प्रभात हुआ। गतानुगति के बंधन शिथिल पड़ने लगे। जड़ता, अंधविश्वास, रूढ़ियों और धार्मिक तथा सामाजिक बंधनों के स्थान पर युक्ति की भावना का अभिनंदन होने लगा।

19वीं शताब्दी के प्रथम चरण तक गतिशील होने वाले इन सुधारात्मक आंदोलनों ने समग्र भारतीय जीवन को अपनी नव्य चेतना से अनुप्राणित कर दिया। नवीन धर्म और संस्कृति समाज-सुधार और स्वातंत्र्य प्रेम के जो बीज इन सुधारकों ने इस शताब्दी में बोए वह आगे चलकर 20वीं शताब्दी में स्वातंत्र्य आंदोलन के रूप में लहलहा उठे।

बीसवीं शताब्दी में जन आंदोलन द्वारा राष्ट्रीय भावना को व्यापक रूप मिला। भारतीय वीर स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। गांधी जी जैसे श्रद्धेय पुरुष ने आध्यात्मिकता की डोरी का सहारा लिया तथा सुभाषचंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने विद्रोहात्मक कार्यों का। पहली विचारधारा भारतीय थी दूसरी पाश्चात्य जो अंग्रेजों से ही सीखी गई थी। इस प्रकार राष्ट्रीयता के भावों का भारतीय जनमानस में क्रमशः विकास हुआ है। इसके आयाम आज भी किसी निश्चित पैमाने पर नहीं नापे जा सकते। फिर भी राष्ट्रीयता के स्वरूप में एक वाक्य यह है कि राष्ट्रवाद का संस्कारगत भाव ही राष्ट्रीयता है।

*हिंदी विभागाध्यक्ष, माधव महाविद्यालय, नई सड़क, ग्वालियर-475001

अभी तक हमने ऊपर राजनीति क्षेत्र में राष्ट्र में राष्ट्रीय चेतना का आकलन किया है तथापि प्रसाद जी के साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के विकास को खोजना हमारा प्रधान विषय है। प्रसाद मूलतः आंतरिक अनुभूतियों के और संवेदनाओं के कलाकार हैं। अतः प्रसाद साहित्य में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तत्वों पर विचार आवश्यक हैं क्योंकि साहित्य मूलतः आंतरिक उद्वेलन का लेखाजोखा प्रस्तुत करता है। प्रसाद जैसे, संवेदनशील कलाकार की रचना में आंतरिक उद्वेलन का सूक्ष्म निरीक्षण अधिक महत्व प्राप्त करे तो कोई आश्चर्य नहीं। इन संवेदनाओं को बाह्य सामाजिक और राष्ट्रीय परिस्थितियों ने उद्वेलित किया है। तथापि, प्रसाद जी का संचरण अधिकतर आंतरिक क्षेत्रों में दिखाई देता है।

साहित्यकार हृदय की विवेचना करता है। पत्रकार बाहर की स्थितियों का लेखा-जोखा देता है, परंतु साहित्यकार हृदय की अनुभूतियों का सूक्ष्म निरीक्षण करता है। हृदय की अनुभूतियों को टटोलता है। साहित्यकार राष्ट्र की शक्तियों का भी आकलन करता है। राष्ट्र की शक्तियां उसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना में निवास करती हैं। क्योंकि राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य उसके इतिहास और संस्कृति के माध्यम से होता है। जिस राष्ट्र की संस्कृति रीति-रिवाज़, धार्मिक एकता, भाषा, साहित्य, एक हैं उसकी गणना शक्तिशाली राष्ट्रों में की जाती है, वही राष्ट्र अपना एक अलग अस्तित्व रखने में सक्षम हो सकता है। उदाहरणस्वरूप, हम बंगला देश को ले सकते हैं। वर्तमान समय में बंगला देश अपनी सांस्कृतिक शक्ति को लेकर ही स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म ले सका है। उसकी शक्ति अपनी ही आंतरिक शक्ति है, भले ही बाहर के शुभचिंतकों से उसको सहायता अवश्य मिली। ऐसा राष्ट्र ही स्वाधीन राष्ट्र होने का गौरव पाता है तथा अन्ततः ऐसा ही राष्ट्र मानवता के विकास में सहायक हुआ करता है।

स्पष्ट है कि सांस्कृतिक एकता राजनैतिक एकता से अधिक महत्वपूर्ण होती है। सांस्कृतिक एकता के सूत्र राजनैतिक एकता के सूत्रों से अधिक दृढ़ होते हैं। इसी कारण प्रसाद जी ने बार-बार कहा है-हम एक संस्कृति के अनुयायी हैं। हमारा इतिहास, संस्कृति तथा समस्याएं एक हैं। वह चेतना जो कि सांस्कृतिक आध्यात्मिक तथा धार्मिक एकता का निर्माण करती है वह ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। समगतः प्रसाद जी ने आंतरिक राष्ट्रीयता को अधिक महत्व दिया है। उनके साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का आंतरिक पक्ष ही पुष्ट हुआ है। बाह्य के स्थान पर उन्होंने अंतरंग को महत्व दिया है। यह स्वाभाविक तथा उचित है क्योंकि प्रसाद जी साहित्यकार थे, राजनीति के व्यक्ति नहीं। ■

प्रजातंत्रीय देश में अधिकतम जनसमुदाय द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा का कार्य सम्पादित कर सकती है उस दृष्टि से हिंदी इस कसौटी पर पूरी उतरती है।

—अनन्त रायनम् आयंगर

"सदियों की परतंत्रता ने हमारी जातीयता की बुद्धिधी को मंद कर दिया है। हम लज्जा की बात पर भी लज्जित नहीं होते।"

—क्षेत्रेश चन्द्र चट्टोपाध्याय, अंग्रेजी की भक्ति पर

हिंदी में जासूसी साहित्य के प्रणेता: पत्रकार प्रवर गोपाल राम गहमरी

–शुकदेव प्रसाद*

मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि भारतीय विज्ञान कथाओं के उत्स की खोज तिलस्मी या कि जासूसी साहित्य में करनी चाहिए। यह ठीक है कि हिंदी और हिंदीतर भारतीय भाषाओं में आधुनिक कथा साहित्य के उद्भव काल में ऐयारी-तिलस्मी/जासूसी कथाओं का प्राबल्य था लेकिन इनसे सर्वथा अप्रभावित विज्ञान गल्प का भी समांतर रूप से प्रस्फुटन हो चुका था।

हिंदी में ऐयारी और तिलस्मी उपन्यासों के जनक देवकी नंदन खत्री जब 'चंद्रकांता' (1892) के साथ हिंदी में प्रकट हुए तो प्राय: उसी काल में अंबिका दत्त व्यास विरचित 'आश्चर्य-वृतांत' ने भी हिंदी में विज्ञान-गल्प लेखन की नयी सरणि निर्मित की। 'पीयूष प्रवाह' पत्रिका में 1884-88 के मध्य धारावाहिक रूप में इसका प्रकाशन हो चुका था। 'आश्चर्य वृतांत' विशुद्ध रूप से विज्ञान गल्प था जो तिलस्मी और जासूसी प्रभावों से सर्वथा मुक्त था।

उधर बांग्ला में पंच कौड़ी डे जब जासूसी साहित्य- 'घटना-घटाटोप' (1913) 'जय-पराजय' (1913), 'जीवन-रहस्य' (1913), 'नील वसना सुंदरी' (1913), 'मायावी' (1913), के निर्माण में प्रवृत्त थे तो उसी काल में विज्ञान कथाएं भी लिखी जा रहीं थीं बल्कि कहना यह चाहिए कि बांग्ला में विज्ञान गल्प का उन्मेष इससे पूर्व में हो चुका था। पौधों में जीवन के विश्लेषक और बेतार के आविष्कारक आचार्य जगदीश चंद्र बसु ने 'तूफान पर विजय' शीर्षक से प्रथम बांग्ला विज्ञान गल्प 1897 में ही लिखा था। अनादिधन बैनरजी (बंद्योपाध्याय) ने 'वन कुसुम' (1914), 'चम्पा फूल' (1916), 'चोर' (1920) जैसे उपन्यासों के साथ-साथ 'मंगल ग्रह' (1915) जैसा विज्ञान गल्प भी प्रस्तुत किया और मराठी में श्रीधर बालकृष्ण रानाडे ने पहली विज्ञान कथा 'तारे के रहस्य' शीर्षक से 1915 में लिखी थी।

देवकी नंदन खत्री ने मिर्जापुर के अरण्यों की पृष्ठभूमि में जो ऐंद्रजालिक संसार रचा, उससे हिंदी पाठक विस्मित और विमूढ़ रह गया और उसने खत्री जी को हाथों हाथ लिया। खत्री प्रणीत 'नरेंद्र मोहिनी' (1893), 'वीरेंद्र वीर' (1895), 'चंद्रकांता संतति' (1896), 'कुसुम कुमारी' (1899), 'नवलखा हार' (1899), 'गुप्तगोदना' (1902), 'काजर की कोठरी' (1902), 'अनूठी बेगम' (1905), 'भूतनाथ' (1909) ने लोकप्रियता की सारी हदें पार कर लीं। देवकी नंदन खत्री के इंद्रजाल का जादू पाठकों के सिर पर चढ़कर बोलने लगा । आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास' में लिखा है कि खत्री के तिलस्मी साहित्य का आनंद लेने के लिए उर्दू भाषियों ने हिंदी सीखी तो ऐसा था खत्री का ऐंद्रजालिक संसार !

पाठक ही क्या, समकालीन लेखक भी इस जादू के मोहपाश में आबद्ध हुए बिना न रह सके। फिर तिलस्मी साहित्य रचने के सार्थक प्रयास आरंभ हुए और प्रभूत मात्रा में ऐसी चीजें सामने आने लगीं और हिंदी पाठक उसमें सराबोर हो गया। इस काल खंड (1912-1915) में ऐसे लेखकों की समृद्ध परंपरा दिखायी पड़ती है। देवी प्रसाद उपाध्याय कृत 'सुंदर-सरोजनी' (1993), जैनेंद्र किशोर कृत 'कमलिनी' (1894), मदन-मोहन पाठक कृत 'माया-विलास' (1899), जगन्नाथ चतुर्वेदी कृत 'बसंत' मालती (1899), हरे कृष्ण जौहर कृत 'कुसुम लता' (1899), 'भयानक प्रेम' (1900), सरस्वती गुप्ता कृत 'राजकुमार' (1900), बाल मुकुंद वर्मा कृत 'कामिनी' (1900), राजेंद्र मोहिनी (1901), हरे कृष्ण जौहर कृत 'नारी पिशाच' (1901), 'मयंक-मोहिनी' (1901), 'जादूगर' (1901), तथा 'कमल कुमारी' (1902), मदन मोहन पाठक कृत 'आनंद सुंदरी' (1902), मुन्नी लाल खत्री कृत 'सच्चा बहादुर' (1902), हरे कृष्ण जौहर कृत

*34, एलनगंज, इलाहाबाद-211002

1394 HA/06-8

'निराला नकाबपोश' (1902) तथा 'भयानक खून' (1903), किशोरी लाल गोस्वामी कृत 'कटे मूड़ की दो-दो बातें' (1905), विश्वेश्वर प्रसाद वर्मा कृत 'वीरेंद्र कुमार' (1906), किशोरी लाल गोस्वामी कृत 'याकूती तख्ती' (1906), रामलाल वर्मा कृत 'पुतली महल' (1908), रूप किशोर जैन कृत 'सूर्य कुमार संभव' (1912), चतुर्भुज औदीच्य कृत 'हवाई महल' (1914), और चंद्रशेखर पाठक कृत 'हेमलंता' (1915) आदि इसी साहित्य की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। आगे भी यह परंपरा चलती रही लेकिन यहीं से तिलस्मी साहित्य का प्रायः अवसान माना जाना चाहिए। यह भी विचित्र संयोग है कि तिलस्मी साहित्य के साथ-साथ जासूसी साहित्य की भी अचानक बाढ़ आ गयी और उसे भी पाठकों ने सराहा और अपनाया।

हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रणेता गोपाल राम गहमरी हैं। देवकी नंदन की 'चंद्रकांता' (1892) और 'नरेंद्र मोहिनी' (1893) के थोड़े समयांतराल बाद 'अद्भुत लाश' (1896) और 'गुप्तचर' (1899) के साथ गहमरी भी उदित हुए। इन जासूसी उपन्यासों की बढ़ती लोकप्रियता से प्रेरित होकर गहमरी ने प्रभूत मात्रा में ऐसा साहित्य रचा-'बेकसूर की फांसी' (1900), 'सरकती लाश' (1900), 'खूनी कौन है?' (1900), 'बेगुनाह का खून' (1900), 'डबल जासूस' (1900), 'जमुना का खून' (1900), 'मायाविनी' (1901), 'जादूगरनी मनोरमा' (1901), 'लड़की चोरी' (1901), 'जासूस की भूल' (1901), 'थाना की चोरी' (1901), 'भयंकर चोरी' (1901), 'अंधे की आंख' (1902), 'जाल राजा' (1902), 'जाली काका' (1902), 'जासूस की चोरी' (1902), 'माल गोदाम में चोरी' (1902), 'घर का भेदी' (1903), 'डाके पर डाका' (1903), 'डाक्टर की कहानी' (1903), 'जासूस पर जासूस' (1903), 'देवी सिंह' (1904), लड़का गायब (1904), 'जासूस चक्कर में' (1906), 'खूनी का भेद' (1910), 'भोजपुर की ठगी' (1911), 'बलिहारी बुद्धि' (1912), 'योग महिमा' (1912), 'गुप्त भेद' (1913) आदि। जासूसी साहित्य के प्रभाव से समकालीन हिंदी लेखक भी अपने को विरत न रख सके और इसी अवधि में ऐसी अनेकानेक रचनाएं सामने आईं। यथा-रुद्रदत्त शर्मा कृत 'वर सिंह दरोगा' (1900), किशोरी लाल गोस्वामी कृत 'जिंदे की लाश' (1906), जयराम गुप्त कृत 'लंगड़ा खूनी' (1907), माधव केसीट कृत अद्भुत रहस्य (1907), ईश्वरी प्रसाद शर्मा कृत 'कोकिला' (1908), जंग बहादुर सिंह कृत 'विचित्र खून' (1909), शेर सिंह कृत 'विलक्षण जासूस' (1911), चंद्रशेखर पाठक कृत 'अमीर अली ठग' (1911), 'शशि बाला' (1911) और शिव नारायण द्विवेदी कृत 'अमर दत्त' (1915) आदि।

लेकिन यहीं से यह परंपरा समाप्तप्राय है। कारण यह कि हिंदी में यह परंपरा नवीन थी और आंग्ल साहित्य से पूर्णतः प्रभावित भारतीय वातावरण के अनुरूप न होने के कारण पाठक जल्दी इससे ऊब गया। पाठकों की अरुचि ने तिल्लमी, ऐयारी और जासूसी साहित्य का अचिर में ही गर्भलोपन भी कर दिया। प्रेमचंद के अवतरण के साथ ही चित्रपट पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। 1917-18 के आस-पास तिलस्मी और जासूसी साहित्य नेपथ्य में चले गये।

बीसवीं शती के तीसरे दशक में मनोवैज्ञानिक और घटना प्रधान उपन्यासों ने दस्तक दी। पाठक वर्ग नएपन की तलाश में था। वह फार्मूलाबद्ध साहित्य से निजात पाना चाहता था। ऐसे में किशोरी लाल गोस्वामी के 'गुप्त गोदना' (1923) ने संजीवनी का काम किया। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो औरंगजेब द्वारा उनके भाइयों के विरुद्ध किये गये षड्यंत्रों की कथा है। विश्वंभर नाथ शर्मा ने 'तुर्क तरुणी' (1925) नामक शृंगारिक उपन्यास प्रस्तुत किया तो भगवती चरण वर्मा ने 'पतन' (1927) में वाजिद अली शाह की विलासिता को अपनी कथा का आधार बनाया। ऋषभचरण का 'गदर' (1930) हिंदी उपन्यासों में एक नयी करवट का प्रतीक है। इस परंपरा को आगे बढ़ाया वृंदावन लाल वर्मा ने, उन्होंने 'विराटा की पद्मिनी' (1930) और 'गढ़ कुंडार' (1930) जैसे ऐतिहासिक उपन्यासों के सृजन के लिए बुंदेलखंड के भूखंडों, संस्कृति और वहां के वीरों के परस्पर वैमनस्य, प्रेम प्रसंगों को अपना आधार बनाया। कृष्णानंद गुप्त की 'केन' (1930) भी इसी कोटि की रचना है। भगवती चरण वर्मा ने 'चित्रलेखा' (1934) में पाप और पुण्य की विशद व्याख्या की। प्रेम चंद्र के 'दुर्गादास' (1938) और चतुरसेन शास्त्री के 'राणा राज सिंह' (1939) ने तो ऐयारी-तिलस्मी-जासूसी साहित्य का तिरोधान करा दिया और यहीं से यह परंपरा समाप्त हो गयी।

गहमरी जी पर लेखन करते समय जासूसी साहित्य के क्षेत्र में उनके अवदानों की चर्चा तो की जाती है लेकिन उनके कृतित्व का एक अन्य पहलू उपेक्षित रह जाता है, वह है कुशल पत्रकार और संपादक के रूप में उनका अवदान।

गोपालराम गहमरी का जन्म ईस्वी सन् 1866 में गाजीपुर जनपद (उ.प्र.) के गहमर ग्राम में हुआ था। यद्यपि स्कूली जीवन में उन्होंने उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी की मामूली शिक्षा प्राप्त की थी लेकिन अपने अध्वसाय से उन्होंने उक्त भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त कर ली। इसका श्रेय उनके शिक्षा-गुरु बाबू राम नारायण सिंह को है, जिनके सान्निध्य में आकर वह लिखने-पढ़ने की दिशा में उद्यत हुए। गहमरी जी स्वाध्यायी प्रकृति के व्यक्ति थे, अत: 1884 में जब उन्होंने पटना के नार्मल स्कूल में प्रवेश लिया तो वहां के पुस्तकालय में आने वाली पत्र-पत्रिकाओं के पठन में उनकी सहज रुचि विकसित हो गई और कुछ लिखने की उमंग मन में जाग उठी। परिणामत: 1887 में नार्मल स्कूल की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत वह पूर्णत: लेखन की दिशा में ही समर्पित हो गए। इतनी ही थी उनकी स्कूली दीक्षा। जब लेखनी से उनकी आशनाई हो गई तो उन्होंने अपने गांव 'गहमर' के नाम के अनुकरण पर अपना तखल्लुस (उपनाम) 'गहमरी' रख लिया और इसी नाम से आगे चलकर प्रख्यात हो गए।

यद्यपि उन्हें नवंबर 1889 में रोहतास गढ़ के सरकारी स्कूल में हेडमास्टरी भी मिली लेकिन नियति की डोर उन्हें कहीं और ले जाने को उद्यत और सचेष्ट थी। वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई के संचालकों के बुलावे पर वह सरकारी नौकरी छोड़कर बंबई चले गए। उनके पैर में चकरी बंधी थी, अत: बंबई भी उनका अधिक दिन तक टिकना नहीं हुआ। उन्हीं दिनों कालाकांकर (प्रतापगढ़, उ.प्र.) के राजा रामपाल सिंह ने 'हिंदोस्थान' नामक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। रामपाल सिंह के बुलावे पर वह कालाकांकर चले गए और 'हिंदोस्थान' के संपादन में सहायता करने लगे।

उन दिनों कालाकांकर में 'नव रत्न प्रभा' नाम्नी एक साहित्यिक संस्था साहित्य प्रबोधन में सन्नद्ध थी जिसमें पं. प्रताप नारायण मिश्र, पं. राधारमण चौबे, चौबे गुलाब चंद्र और बाबू गुलाब राय प्रभृति साहित्य मनीषी नियमित रूप से प्रतिभाग करते थे। उक्त प्रातिभ कलाकारों का सान्निध्य मिलते ही गहमरी जी का साहित्यानुराग परवान चढ़ने लगा और तभी उन्होंने निश्चय किया कि हिंदीतर भाषाओं के अनुवाद से हिंदी के भंडार को और समृद्ध किया जाना चाहिए। इसी भावना के वशीभूत उन्होंने बांग्ला सीखी। जब वह बंग भाषा में निष्णात हो गए तो उन्होंने बंगीय साहित्य के अनुवाद की सोची और उसे कर भी दिखाया। कतिपय कारणों से उन्हें कालाकांकर प्रवास भी रास नहीं आया और 1891 में वह बंबई चले गए जहां उन्होंने 'व्यापार सिंधु' नामक पत्र के संपादन का दायित्व संभाला। बंबई प्रवास के दौरान ही उन्होंने 'भाषा भूषण' नामक पत्र का भी संपादन वहीं से आरंभ कर दिया।

'भाषा भूषण' का अचिर में ही गर्भलोपन हो गया। उसी समय मंडला (म.प्र.) रियासत के ताल्लुकेदार चौ. जगन्नाथ प्रसाद का बुलावा आया और वह मंडला चले गए। मंडला में रहते हुए उन्होंने 'माधवी कंकड़' और 'भानुमती' नामक पुस्तकों का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया और 'बसंत विकास' तथा 'नए बाबू' नामक मौलिक पुस्तकों की हिंदी में सर्जना की। उक्त चारों कृतियों को जगन्नाथ प्रसाद ने अपने ही व्यय पर प्रकाशित किया।

मंडला में रहते हुए उन्हें एक और आमंत्रण मिला मेरठ से प्रकाशित 'गुप्तकथा' नामक मासिक के संपादन का। इसे भी उन्होंने स्वीकारा और अपने उत्तरदायित्व का कुशलता से निर्वहन किया। 'गुप्त कथा' जासूसी साहित्य का प्रथम मासिक पत्र था जिसके संपादन का श्रेय गहमरी जी को है।

मंडला में भी अधिक दिनों तक आपके पैर नहीं टिके। मंडला से जबलपुर और जबलपुर से आप पाटन चले गए जहां पत्रकारिता के क्षेत्र में स्फुट अवदान करते रहे। फिर बुलावा आया वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई की ओर से। फलत: आपने 1897 में 'वेंकटेश्वर समाचार' के सहकारी संपादक के रूप में बंबई प्रस्थान किया। यहीं पर आपने 'देवरानी जेठानी', 'बड़ा भाई', 'सास-पतोहू', 'दो बहन' तथा 'गृहलक्ष्मी' आदि बांग्ला पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया, जिन्हें वेंकटेश्वर प्रेस ने ही प्रकाशित किया।

1899 में आप 'भारत मित्र' के संपादक के रूप में कलकत्ता चले गए। लेकिन यह भ्रमणशील जीव वहां भी अधिक दिनों तक न टिक सका। अंतत: थक-ऊब कर

गहमरी ने अपने घर का रुख किया और 1900 में अपनी जन्मभूमि गहमर चले आए जहां जीवनपर्यंत रहे। 20 जून, 1946 को आप गोलोकवासी हुए।

गहमर में रहते हुए आपने 'जासूस' नामक एक मासिक पत्र का संपादन-प्रकाशन आरंभ किया, जिसकी प्रेरणा उन्हें 'गुप्तकथा' से मिली थी। देखते ही देखते हिंदी पाठकों ने 'जासूस' मासिक को हाथों-हाथ लिया और उसने लोकप्रियता की सारी हदों का अतिक्रमण कर शिखर को पा लिया। 'जासूस' मासिक की लोकप्रियता से विस्मित-विमूढ़-उत्कंठित गहमरी जी ने निश्चय किया कि वह हर महीने एक जासूसी उपन्यास भी लिखेंगे। उन्होंने यावज्जीवन अपने संकल्प को पूरित भी किया और जासूसी साहित्य के प्रणेता के रूप में अपार यश अर्जित किया, भले ही साहित्यकारों की बिरादरी ने उसकी अवहेलना की और उनकी खासी लानत-मलामत भी।

जासूस का परिचय देते हुए गहमरी जी ने इसके प्रवेशांक में लिखा–'डरिये मत, यह कोई भकौआ नहीं है, धोती सरियाकर भागिए मत, यह कोई सरकारी सी.आई.डी. नहीं है? है क्या? क्या है? है यह 50 पन्ने की सुंदर सजी सजायी मासिक पुस्तक माहवारी किताब जो हर पहले सप्ताह सब ग्राहकों के पास पहुंचती है। हर एक में बड़े चुटीले, बड़े चटकीले, बड़े रसीले, बड़े गरबीले, बड़े नशीले मामले छपते हैं। हर महीने बड़ी पेचीली, बड़ी चक्करदार, बड़ी दिलचस्प घटनाओं से बड़े फड़कते हुए, अच्छी शिक्षा और उपदेश देने वाले उपन्यास निकलते हैं .... । कहानी की नदी ऐसी हरहराती है, किस्से का झरना ऐसा झर्राता है कि पढ़ने वाले आनंद के भंवर में डूबने उतराने लगते हैं।'

'जासूस' के संबंध में यह समझना भारी भूल होगी कि यह मात्र जासूसी साहित्य का प्रतिनिधित्व करता था। इसके हर अंक में जासूसी कहानियों के अतिरिक्त समालोचना साहित्य संवाद, नोट्स-न्यूज, नए-नए समाचार, नाटक आदि स्थाई स्तंभ भी होते थे। सामाजिक कुरीतियों और आडंबरों पर जैसी तीखी प्रतिक्रियाएं 'जासूस' में छपती थीं, वे अत्यंत दुर्लभ थीं। अत: कहा जा सकता है कि 'जासूस' अपनी तरह की अनूठी पत्रिका थी।

'सुदर्शन' संपादक माधव मिश्र 'जासूस' पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं .... इन दो अंकों में आश्चर्यजनक घटना लिखी हुई है कि क्या सामर्थ्य जो कोई एक बार आरंभ कर अधूरी छोड़ दे ज्यों-ज्यों पढ़ते जावोगे कौतूहल बढ़ता चला जाएगा। भाषा इसकी ऐसी सरल है कि हिंदी के अक्षर मात्र जानने वाला पढ़ सकता है .... बंगला में ऐसे कई पत्र हैं परंतु हिंदी में इसका अब तक अभाव था। आशा है कि उपन्यास प्रिय पाठक इसके ग्राहक हो बाबू गोपाल राम जी के उत्साह को बढ़ाएंगे।' गहमरी जी ने निरंतर 28 वर्षों तक 'जासूस' का प्रकाशन जारी रखा लेकिन आर्थिक मोर्चे पर वे सफल नहीं हो सके, फलत: उनका उद्यम अवसान को प्राप्त हुआ, फिर भी यह कहना युक्तिसंगत है कि 'जासूस' ने हिंदी भाषी पाठकों के बीच अपार लोकप्रियता अर्जित की।

आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने 'हिंदी साहित्य का इतिहास' में तिलस्मी-ऐयारी साहित्य के प्रणेता देवकीनंदन खत्री के साहित्यिक अवदानों को नि:श्रेयस के रूप में लिया लेकिन उन्होंने खत्री के अवदानों की चर्चा एक दूसरे अर्थ में की है। यथा–'पहले मौलिक उपन्यास लेखक, जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई, काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे। द्वितीय उत्थान काल (सं. 1950. 74) के पहले ही 'नरेंद्र मोहिनी'; 'कुसुम कुमारी'; 'वीरेंद्र वीर' आदि कई उपन्यास लिख चुके थे। उक्त काल के आरंभ में तो 'चंद्रकांता' और 'चंद्रकांता संतति' नामक इनके एयारी के उपन्यासों की चर्चा चारों ओर इतनी फैली कि जो लोग हिंदी की किताबें नहीं पढ़ते थे, वे भी इन नामों से परिचित हो गए। यहां पर यह कह देना आवश्यक है कि इन उपन्यासों का लक्ष्य केवल घटना वैचित्र्य रहा; रस संचार, भाव-विभूति या चरित्र-चित्रण नहीं। ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं, इससे ये साहित्य कोटि में नहीं आते पर हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकी नंदन का स्मरण इस बात के लिए सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए, उतने किसी और ग्रंथकार ने नहीं। 'चन्द्रकांता' पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी। 'चंद्रकांता' पढ़ चुकने पर वे 'चंद्रकांता' की किस्म की कोई किताब ढूंढने में परेशान रहते थे। शुरू-शुरू में 'चंद्रकांता' और 'चंद्रकांता संतति' पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए। 'चंद्रकांता' पढ़कर वे हिंदी की अन्य प्रकार की साहित्यिक पुस्तकें भी पढ़ चले और अभ्यास हो जाने पर कुछ लिखने भी लगे।'

मेरा अपना अभिमत है कि हिंदी की संक्रमण बेला में जो कार्य हिंदी के संवर्धन हेतु बाबू देवकीनंदन खत्री ने किया, वही कार्य और त्वरा के साथ गहमरी ने किया, उसे पुष्पित और पल्लवित किया और हिंदी का एक विशाल पाठक वर्ग निर्मित किया, भले ही साहित्य के पुरोधाओं की दृष्टि में उसका कोई साहित्यिक मोल न हो। हिंदी के संवर्धन की दिशा में गहमरी जी का योगदान महनीय है जिसका उल्लेख रेखांकित किया जाना चाहिए।

औपन्यासिक कृतियों के अतिरिक्त आपने बहुत सी जासूसी कहानियां भी लिखी हैं। उनकी जासूसी कहानियों के दो संकलन 'जासूस की डाली' (1927) और 'हंसराज की डायरी' (1941) उपलब्ध हैं। जासूसी साहित्य में अति वैशिष्ट्य के कारण उन्हें हिंदी जगत का आर्थर कानन डॉयल होने का सौभाग्य प्राप्त है। खासा साहित्य तो गहमरी का मौलिक है, कुछेक बंगभाषा से हिंदी में अनूदित भी है, जिनकी चर्चा यथास्थाने की गई है। गहमरी जी ने बांग्ला उपन्यासों के हिंदी में पर्याप्त अनुवाद भी किए हैं जिसकी अनदेखी की गई लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके अनुवादों की नोटिस ली।

आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 'हिंदी साहित्य का इतिहास' में हिंदी के प्रथम वैज्ञानिक उपन्यासकार पं. अंबिका दत्त व्यास के वैदुष्य को प्रतिष्ठित तो किया है लेकिन उन्होंने व्यास प्रणीत 'आश्चर्य वृत्तांत' की नोटिस तक नहीं ली। परंतु शुक्लजी ने गहमरी जी को स्मरण करते हुए उनके बंगीय उपन्यासों के हिंदी अनुवादों और उनकी मनोरंजक लेखन शैली की सराहना अवश्य की है—द्वितीय उत्थान के आरंभ में हमें बाबू गोपालराम (गहमर) बंगभाषा के गार्हस्थ उपन्यासों के अनुवाद में तत्पर मिलते हैं। उनके कुछ उपन्यास तो इस उत्थान (सं. 1957) के पूर्व लिखे गए। जैसे-चतुर चंचला (सं. 1950); भानमती (सं. 1951); नए बाबू (सं. 1951); और भी बहुत से इसके आरंभ में। जैसे-बड़ा भाई (सं. 1957); देवरानी जेठानी (सं.1958); दो बहिन (सं. 1959); तीन पतोहू (सं. 1961); और 'सास पतोहू'। भाषा उनकी चटपटी और वक्रतापूर्ण है। ये गुण लाने के लिए कहीं-कहीं उन्होंने पूरबी शब्दों और मुहावरों का भी बेधड़क प्रयोग किया है। उनके लिखने का ढंग बहुत ही मनोरंजक है।

गहमरी जी पर लेखन करते समय लोग उन्हें हिंदी में जासूसी साहित्य का प्रणेता तो मानते हैं लेकिन उनके कृतित्व के अन्य पहलू अनछुए रह गए हैं। कुशल पत्रकार और कई पत्र-पत्रिकाओं के संपादक के रूप में उन्होंने जो अन्यान्य विषयों पर नानाविध लेखन किया है, वह उल्लेख की मांग करता है। कालाकांकर (उ. प्र.) में रहते समय उन्होंने 'बभ्रवाहन', 'देश दशा' और 'विद्या विनोद' आदि नाटकों के रचनाकर्म के अतिरिक्त 'सौभद्रा' नामक एक औपन्यासिक कृति का भी सृजन किया। गहमरी प्रणीत 'होम्योपैथिक चिकित्सा का भैषज्य तत्व और चिकित्सा प्रणाली' नामक ग्रंथ भी प्रख्यात है।

अपनी वक्रतापूर्ण गद्य शैली की विशिष्टता के कारण गहमरी जी स्मरणीय हैं। समीक्षकों का कथन है कि उनकी गद्य शैली पर बंकिम चंद्र चटर्जी का जहां स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित है, वहीं सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित गहमरी जी के निबंध उनकी मौलिक गद्य शैली की भंगिमा के उत्कृष्ट उदाहरण भी हैं। ■

केंद्रीय सरकार के कार्यों की भाषा के रूप में हिंदी कटिबद्ध है विधान सभाओं तथा क्षेत्रीय सरकारों में आपसी व्यवहार व केंद्र सरकार से व्यवहार की भाषा के रूप में हिंदी आवश्यक है।

—चक्रवर्ती राजगोपालचारी

1394 HA/06–9

प्रवासी हिंदी साहित्य में भारत

—प्रो. त्रिभुवननाथ शुक्ल*

प्रवासी भारतीय अपनी ही भारतीय संस्कृति के पंच-तत्त्वों से बने भारतीय मन के जन हैं। घर से लेकर मंदिर तक, रहन-सहन से लेकर बोली-बानी में वे आज भी भारतीय हैं। भारतीय संस्कृति की शक्ति को भारत देश के बाहर रह रहे प्रवासी भारतीयों की जीवन-शैली में देखा व महसूस किया जा सकता है। विश्व के अन्य देशों में भारतीय संस्कृति को जीवित रखने में, हिंदी मात्र मातृभाषा या मूल भाषा ही नहीं, प्राण भाषा भी है। हिंदी भाषा प्रवासी भारतीयों के लिए भारतीय संस्कृति की संवाहिका है। उनका घर-मंदिर यदि भारतीय संस्कृति से सजा-धजा है, तो उनका मन-प्राण भारतीय-भक्ति की शक्ति से संबल पाता है। उनके आचरण, व्यवहार, साहित्य में भारतीय संस्कृति व भारत का ही यशोगान होता है। प्रवासी भारतीयों ने भारत की आत्मा में बसी भारतीय संस्कृति की पवित्र-धारा को भागीरथी की तरह प्रवाहित किया है। प्रवासी भारतीयों की आत्मा आज भी भारतीय है।

चन्द्रमोहन रणजीत सिंह, रामदेव रघुवीर, हरदेव सहतू, सुशीला बलदेव, अभिमन्यु, 'अनत' ब्रजेंद्रभगत, मधुकर आदि जैसे अनेक प्रवासी भारतीय साहित्यकार हैं, जिन्होंने सुदूर देशों में भारतीयों को संगठित रखने के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाए रखने के लिए कविता, नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास आदि साहित्यिक विधाओं के माध्यम से अपनी कल्पना को साकार किया है। प्रवासी भारतीयों के मन में भारत के प्रति अगाध प्रेम है, भारतीय संस्कृति के प्रति अपूर्व निष्ठा उनके मन में है। उनका यह प्रेम व सांस्कृतिक निष्ठा उनके द्वारा सृजित साहित्य में कूट-कूट कर भरी हुई है।

प्रवासी भारतीय अपनी माँ भारत भूमि से कभी भी अपने आप को दूर नहीं पाते हैं, उनको अपनी परछाई में भारत मां ही दिखाई देती है :

"मैं,
छोड़ आया था "माँ"
पर छूटी नहीं, तुम
जहाज भर साथ रही
मैंने,
पहचाना नहीं—
सूरनीम नदी तट पर
देश में
तुम मेरे साथ हो
अपनी परछाई में
तुम्हें ही देखता हूं "मां"।

प्रवासी भारतीय अपनी मूल भारतीय संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें भारत की प्राचीन परंपरा पर गर्व है:

"भारत ने
कभी नहीं छोड़ी
अपनी प्राचीनता
सूरीनाम में
कैसे छोड़ दें—मूल भारतीय
अपनी मौलिकता
और संस्कृति।"

प्रवासी हिंदी साहित्य में भारत को श्रेष्ठ देश के रूप में वर्णित किया गया है। प्रवासी भारतीय उस देश को भी, जहां वे निवास करते हैं, भारत जैसा ही बनाने की कामना करते है। :

भारत से निकला हीरा-मोती अपनी कीमत भूल गया,
माटी में बिताई ज़िंदगी, अब फांसी का फंदा खुल गया
विद्या सागर कहलाए कई, पर मैं निपट अज्ञानी हूं
माटी के पुतले हैं हम, और माटी हो जाना है,

*आचार्य एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, रानी दुर्गावती, विश्वविद्यालय, जबलपुर।

इस देश की माटी को भारत सा श्रेष्ठ बनाना है
मौत भी आज तो आए, पर देश पर बलिदान हो जाना है।

हिंदी के प्रवासी साहित्यकारों ने हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं, पौराणिक पात्रों को आधार बनाकर अपना भक्ति-परक साहित्य रचा है :

तूने अहिल्या को मुक्त किया
सबरी का बेर भी खा लिया
सूरदास को तार दिया, उनके तार बजाने में,
बड़ी देर कर दी भगवान, मेरे घर आने में,
गणिका की भक्ति अपार
कुबेर का भर दिया भंडार
हनुमान को कर दिया पार, उनका शीष झुकाने में
बड़ी देर कर दी भगवान, मेरे घर आने में

संत तुलसीदास की कथा सुनाते हुए प्रवासी कवि सुरजन परोही, भारत को अद्‌भुत लीलाओं का देश तथा तुलसीदास को भारत का महाकवि स्वीकार करते हैं :

"संत तुलसीदास की कथा सुनो
जो भारत के महाकवि कहलाते हैं
भारत एक देश है जहां अद्‌भुत लीलाएं होती रहती हैं
ऐसे ही, एक विचित्र पुरुष की कहानी हमें भी मिलती है
बांदा जिला, राजापुर गांव में जन्मा एक बालक गुमनाम
माता थी तुलसी देवी और पिता ब्राह्मण आत्माराम
जिनकी महिमा भारत के इतिहासों में
गौरव गान सुनाते हैं।"

प्रवासी कवि श्री चंद्रमोहन रणजीत सिंह सूरीनाम के हिंदी के महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित कवि हैं। पूर्वजों के द्‌वारा लाई गई भारतीय संस्कृति ही उनकी पूँजी है और उसका संरक्षण और प्रचार-प्रसार ही उनका अपना धर्म है। अपनी मातृभाषा के ज्ञान से ही अपने अतीत का ज्ञान होता है। इसीलिए इन्होंने लिखा है :-

निज भाषा सीखे बिना क्या जानोगे खास।
समझोगे कैसे बना, तुम्हारा अपना इतिहास।।
हे सपूत सिरनाम के, कर हिंदी का मान।
खुद पढ़िए पुनि और को, कर आकर्षित ध्यान।।

कवि चंद्रमोहन रणजीत सिंह की आस्था हिंदू धर्म के श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीहनुमान, गीता, वेद, रामायण, शास्त्र, उपनिषद्, आदि आधार स्तंभों के प्रति है। कवि के मन में ईश्वर भक्ति का प्राधान्य है। "ईश्वर की भक्ति" "भक्तों की पुकार" "प्रभु से प्रार्थना", "दयालु", "भगवान्", "प्रभु है आस तेरी", "लीला पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण", "गुण राम लेना क्या जाने", "मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु-राम", "अपनी विनय सुनाएं", आदि जैसी अनेक भक्ति परक रचनाओं में उनकी भक्ति पद्‌धति तथा भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा उद्‌भासित होती है। "कहां मिलेंगे" कविता में उन्होंने कृष्ण, राम, सीता, हनुमान, हरिश्चंद्र, अर्जुन, ध्रुव आदि की क्रीड़ा-स्थली भारत का सुंदर वर्णन किया है। वे कहते हैं :

"देश-देश में ढुंढ़ फिरो, जहं तक सारा संसार।
सब इतिहास ढूंढ़ कर देखो, है जितना विस्तार।
कहां राम सम व्रत धारी, कहां मात सिया सम नार।
कहां मिले बजरंगबली सम अद्‌भुत वीर अपार।
हरिश्चंद्र सम दानी, संकट, सहे सहित परिवार।
धर्मपुत्र सम सत्यव्रती था, जिनका सत्याचार।
कहां अर्जुन सम सात्विक योधा, साक्षी है संसार।
बालक ध्रुव सम भक्त बनाया, प्रभु को निज आधार।"

प्रवासी हिंदी कविताओं में भारत के महान संतो, वीर पुरुषों, नेताओं जैसे राणा-प्रताप, शिवाजी, सूरदास, तुलसीदास, रहीम,, लक्ष्मीबाई, रामकृष्ण परमहंस, बापूजी, टैगोर, सरोजनी नायडू, तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहर लाल नेहरू, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, लाला लाजपत राय, लालबहादुर शास्त्री आदि की जन्मतिथि, जन्म स्थान, जीवनी, यशोगान का रमणीय चित्रण किया गया है। इस संदर्भ में एक उदाहरण द्रष्टव्य है :

"पंद्रह सौ चालीस मई, तारिख नव शुभ ठौर।
राणा प्रताप के जन्म दिन वीरों के शिर मौर।
तीन दिसंबर अट्‌ठारह सौ चौरासी सन जान।
श्री राजेन्द्र प्रसाद के जन्म दिवस पहचान।
अट्‌ठारह सौ तिहत्तर, बाईस अक्टूबर मास।
स्वामी रामतीर्थ कर, जन्म दिवस प्रकाश।
वीर शिवाजी" का सजीव चित्रण द्रष्टव्य है:
"छत्रपती श्री वीर शिवा की, निशिदिन जै जैकार करो"
ऐसे महाबली योधा को मन से जै जैकार करो।।
हाथों में तलवार उठाकर, लाज बचाली भारत की।
सफल बनाया अपना जीवन उनकी जै जैकार करो।।

प्रवासी भारतीय, भारतीय संस्कृति की मूल भक्ति भावना को अपने हृदय में छुपाए हुए, यहां से सुदूर देशों में गए और इसी भक्ति की असीम शक्ति से अपने संघर्षों को सहने में समर्थ हुए हैं। फलतः भक्ति एवं भाषा पैतृक विरासत में प्राप्त होने के कारण उनका इस ओर लगाव होना स्वाभाविक है। प्रवासी हिंदी साहित्य में सामाजिक जीवन के रीति-रिवाजों के प्रति भी गहरा लगाव दिखाई देता है। होली, बसंत वर्णन, तुलसीदास, सूरदास आदि की रचनाएं उनके सामाजिक जीवन संबंधों को ही द्योतित करती हैं।

सुंदर भारत देश को, किसने सुंदर और बनाया।
है स्वभावतः इसका उत्तर, रितु बसंत अब आया।।
बिथिन में पुष्पों में, नवल-नवेली में है छाया।
हर मलिंद के गुन्जन, कुंजन में शान दिखाया।।
हर प्रभात रवि प्रभा बहन के आगे शीश झुकाया।
स्मित मुस्कान अधर पर रख के शोभा और बढ़ाया।

जब मानव ही मानवता का दुश्मन बन जाता है, तब भारत में जिस प्रकार कबीर की याद आती है, उसी प्रकार सूरीनाम में रहमान खान और महादेव खुनखुन को याद किया जाता है। कबीर की ही भांति महादेव खुनखुन जी की स्पष्ट मान्यता है, कि सभी मनुष्य एक ही ज्योति से उत्पन्न हुए हैं। सबमें एक ही ईश्वर व्याप्त है। प्रकृति ने सबके साथ समानता का व्यवहार किया है :

पांच तत्त्व के शरीर बनकर जब हो गया तैयार।
मल मूत्र के मकान में महादेव बैठे थे करे विचार।।
जात-पात जनम से है नहीं, भगवान रचा समान।।
मानव जाति में है मानव सभी, जाने दुनिया जहान।।

भक्तिकाल के भारतीय संत कवि महादेव के आराध्य हैं। वे उन्हें ईश्वर के समानांतर महत्त्व देते हैं :

तुलसीदास, कबीरदास, विश्वामित्र शुद्ध मुख से
नाम लिया जाए।
गाली देवे मुख में कीड़ा पड़े, रोई-रोइ नरक में
जाए।।
तुलसीदास महान कवि, धरती पर दूसरा ना कोई।
रत्ना को रत्ना मिली, विधाता का लिखा सब होई।।
प्रवासी हिन्दी कवि मुंशी रहमान ने "स्वराज और
गिरमिट" शीर्षक कुंडलियां में नौरोजी, गोखले,
मोतीलाल, मालवीय, सुभाषचंद्र, गांधी, जिन्ना आदि
भारतीय महापुरुषों का पुण्य स्मरण किया है :

नौरोजी, मिस्टर गोखले, गंगाधर आजाद।
मोतीलाल, पति, मालवी इनकी रही मर्याद।।
इनकी रही मर्याद बीज इनहीं कर बोयो।
भारत लह्यों स्वराज्य नाम गिरमिट का खोयो।
करें रहमान कार्य शूरन के कीन्ह साज बिनु फौजी।
मुहम्मद, शौकत अली, अरु चंद्र बोस नौरोजी।।
*   *   *

गांधी जिन्ना नेहरू अद्भुत कीन्हों काम।
सारे जग डंका बज्यो, अमर कीन्ह निज नाम।।

प्रवासी हिंदी साहित्य में जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, शिवाजी, झांसी की रानी, सती पद्मिनी, रानी दुर्गावती, राणा प्रताप, जोरावर सिंह आदि भारतीय सपूतों व वीरांगनाओं को सदैव स्मरण रखने की बात कही गई है, जो कि उनके भारत प्रेम को ही द्योतित करता है :

कभी न भूलना कभी न भुलाना, जो करना है तुमको
कभी न भुलाना
नेता को देखो जवाहर को देखों, कदम आगे-आगे
बढ़ाते ही जाना
अगर हो सके तो भगत सिंह को देखो जिसे भूल
पाता कभी ना जमाना।
शिवाजी का साहस समझना है तुमको, सदा सीखना
देश ऊंचा उठाना।।
अगर जान बाकी है तन में तुम्हारे, तो झांसी की रानी
को मन में बिठाना।।
सती पद्मनी रानी दुर्गावती को, बता कैसे भूलो न
भूला जमाना।।
न आयी कभी याद राणा की करतब, तो जी कर के
हम मर गए ऐसे माना।
दीवारों में कोमल बदन को चुनाकर, हुवे वीर
बालक धर्म पर दीवाना।।

भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का पुण्य स्मरण करते हुए, भारत मां की वंदना भी की गई है, तथा 'दुर्गा-अवतारी', 'राष्ट्र-बांसुरी', 'भारत की तान' आदि विशेषणों से इंदिरा का स्तुति गान किया गया है :

"ज्ञान शक्ति सौभाग्य प्रदायिनि, जै जै भारत माता।
करत वंदना मातृभूमि की, अतुलित शक्ति प्रदाता।।
प्रगट भई श्री नेहरू कुल में, भारत धन्य कहायो।
विद्या वारिधि पुनि प्रबुद्ध लखि, जन समाज सुख पायो।।

ज्ञान शक्ति में रही ब्राह्मणी, साहस में क्षत्राणी थी।
सिह वाहिनी दुर्गा थी वह, वह मनुज नहीं अवतारी थी।।
भारत के हर जनता की, अरमान इंदिरा गांधी थी।
प्रिय राष्ट्र बांसुरी की सुंदर, मृदुतान इंदिरा गांधी थी।।

प्रवासी हिंदी कवि श्री हरिशंकर 'आदेश' ने 'शकुंतला' नामक महाकाव्य की रचना की है। शकुंतला का कथानक चिर प्राचीन होते हुए भी, चिर नवीन है। इसका मूल स्रोत 'महाभारत' का आदि पर्व है, जो 'शकुंतलोपाख्यान' नाम से वर्णित है। विश्व-प्रसिद्ध संस्कृत-नाटककार महाकवि कालिदास ने इसी से प्रेरणा ओर आधार लेकर 'अभिज्ञात शाकुंतलम्' नाटक की रचना की थी, जो कि आज तक संपूर्ण विश्व में श्रेष्ठता, उच्चता, महानता और लोकप्रियता का स्थान बनाए हुए है। शकुंतला का कथानक भारतीय जनमानस की धड़कनों में व्याप्त है, इसी धड़कन की अनुभूति कवि हरिशंकर आदेश को हुई और उन्होंने अपने भारत प्रेम को व्यक्त करने के लिए ही 'शकुंतला' महाकाव्य की रचना की है।

'शकुंतला' महाकाव्य के उत्तर खंड में कश्यप ऋषि के द्वारा दुष्यंत व शकुंतला को द्वापर से कलियुग तक की भावी कथा सुनवाकर, कवि ने भारत के नामकरण, भारत के गौरवशाली अतीत, व सुनहरे भविष्य का सुंदर चित्रण किया है :

यह सर्वदमन ही भरत नाम
से, कुल की कीर्ति बढ़ाएगा।
इसकी संज्ञा-अनुसार देश
यह, भारतवर्ष कहाएगा।।

मथुरा में श्रीकृष्ण के जन्म व पालन गोकुल में होने की बात भी कश्यप ऋषि के द्वारा कवि ने कहलायी है :

होगा श्रीकृष्ण नाम उसका।
नव युग का आवर्तन होगा।
मथुरा में जो अवतरित किंतु
गोकुल में जा पालन होगा।

कश्यप ऋषि द्वारा कलियुग वर्णन कराते हुए भारत में भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, मूर्ति-पूजा विरोध, अंध -विश्वास, हिंदू साम्राज्य की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना, अंग्रेजों के आगमन, भारत की पराधीनता, विवेकानंद, महात्मा गांधी, भारत-विभाजन, भारत में प्रजातंत्र की स्थापना, ज्ञान-विज्ञान में भारत की प्रगति, आदि का संकेत कवि ने अपने छंदों में किया है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं :

ज्ञान और विज्ञान-वीणा
पुनि भारत वर्ष बजाएगा।
सत्य-अहिंसा-देवदूत
गोली से भूना जाएगा।।
विकसित हो सिद्धांत दशमलव,
मानव शशि तक पहुंचेगा
अन्य नक्षत्रों की परिक्रमा
करने की विधि सोचेगा।।

कवि आदेश भारत को पौराणिक युग से हटाकर अणु युग और कंप्यूटर युग तक लाकर खड़ा कर देते हैं। यह उनका दिवास्वप्न नहीं हैं, अपितु युग की मांग हैं कि विश्व के साथ सामंजस्य स्थापित कर अपने अस्तित्व की रक्षा की जाए। वे नि:संकोच कहते हैं :

सुख सुविधाएं बढ जाएंगी,
कंप्यूटर-युग आएगा।
मानव-जीवन मात्र यंत्र-
चलित-सा बनता जाएगा।।

वे भारत में धर्म जाति, व्यक्तिगत स्वार्थ से परे राष्ट्र धर्म, राष्ट्र चिंतन के भाव के प्रति आशान्वित हैं :

जागेगा भारतवासी, फिर
हो संगठित व्यवस्थित ढंग से
शासन पुन: संभालेगा।।
धर्म, जाति व्यक्तिगत स्वार्थ से
बढ़कर सदा राष्ट्र होगा।
भारत जात प्रत्येक व्यक्ति को,
भारत ही स्वराष्ट्र होगा।।

इक्कीसवीं सदी में भारत विश्व में सबसे आगे होगा, इस तथ्य से कवि का भारत के प्रति अनन्य प्रेम ही अभिव्यक्त होता है :

इक्कीसवीं शती आते-
आते एक नया रूप होगा।
भारत जग की महाशक्तियों
में सबसे आगे हो।।

1394 HA/06-10

शोर भी बढ़ता है। वाहनों से निकलने वाला विषैला धुआँ वातावरण को प्रदूषित करता है। सारे वातावरण का संतुलन यों निरंतर बिगड़ता जाता है। आक्सीजन के बिना मनुष्य का जीवन तो क्या किसी प्रकार के जीवन की परिकल्पना करना भी कठिन है । किंतु जनसंख्या वृद्धि से, और लगातार हो रहे नगरीकरण से आक्सीजन तथा अन्य गैसों का संतुलन बिगड़ने लगा है। वातावरण में ज़हरीली गैसों की मात्रा बढ़ रही है और प्रदूषण का उत्कर्ष हो रहा है। दिन-प्रतिदिन नए-नए नगर उभर रहे हैं।। पहले बसे नगरों का बेतहाशा विस्तार हो रहा है। जंगलों के स्थान पर पत्थर की इमारतें खड़ी हो रही हैं। उद्योगों और कारखानों की संख्या बढ़ रही है। उनकी चिमनियों से अजस्र निकलता धुंआँ इस समस्या को और उग्र बना रहा है कारखानों की सारी गंदगी और ज़हरीले पदार्थ नदियों में जा रहे है। हमारी पवित्र, स्वच्छ, शुद्ध जल प्रदान करने वाली नदियां विषैली होकर लोगों में नए-नए रोग उत्पन्न करने का साधन मात्र बनकर रह गई हैं। उनके द्वारा दिया गया पानी क्लोरीन से साफ करके प्रयोग में लाया जा रहा है। पानी को पीने योग्य बनाने के लिए क्लोरीन का उपयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। परिणामस्वरूप जल का प्राकृतिक रूप विनष्ट हो जाता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त जल में जो खनिज एवं उपयोगी तत्व होते है, उनका क्लोरीन द्वारा साफ किए गए पानी में अभाव होता है। हम जो पानी पी रहे हैं वह प्राकृतिक न रह कर कृत्रिम हो गया है। सबसे शुद्ध पानी प्रकृति मां हमें वर्षा द्वारा उपलब्ध कराती है।

विज्ञान दोधारी तलवार है जहां इसने मनुष्य जीवन को सुगम, सुखमय बनाया है। वहां कितने ही कष्ट भी इसके लिए पैदा कर दिए है। विषैले युद्धस्त्रों के अविष्कार और परमाणु बमों के विस्फोटों एवं प्रयोगों ने रही-सही कसर पूरी कर दी है। इन सबसे वातावरण दूषित हुआ है। उपयोग और जहरीली गैसों में संतुलन बिगड़ा है और अभी यह क्रम जारी है। यदि यह सब इसी तरह जारी रहा तो प्रदूषण की समस्या जटिल से जटिलतर होती जाएगी। यह निश्चित है। वाहनों और उद्योगों की भीड़ ने शोर की समस्या खड़ी कर दी है। शोर से मनुष्यों का स्नायु-तंत्र प्रभावित होता है और यह मनुष्य के शरीर को अस्वस्थ करता है। मन की शान्ति को भंग करता है। नींद भाग जाती है। आराम और गहरी नींद के अभाव से अनेक शारीरिक एवं मानसिक व्याधियाँ पनपने लगती है। इन सबके अतिरिक्त वाहन सड़कों पर जो धुंआँ छोड़ते हैं उससे वायु सर्वथा प्रदूषित हो जाती है। ज़हरीले कण मनुष्यों के शरीर में प्रवेश कर उसे रुग्ण बनाते हैं और तरह-तरह की बीमारियाँ उत्पन्न करते हैं। मनुष्य अनेक असाध्य रोगों का शिकार बनता है।

वृक्षों और मनुष्यों का चोली-दामन का साथ है। दिन के प्रकाश में वृक्ष आक्सीज़न छोड़ते और कारबनडाइआक्साइड ग्रहण करते हैं। रात को यह क्रम उलट जाता है। वे तब आक्सीज़न ग्रहण करते हैं और कारबनडाइआक्साइड छोड़ते हैं। पुराने लोग बच्चों को रात के समय वृक्षों के पास जाने की मनाही यह कहकर करते थे कि वहां रात को भूत होते हैं। वास्तव में रात के समय उनका ज़हरीली गैस त्यागना ही भूत तुल्य है । नगरीकरण से वृक्षों का काटना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के समान है । वृक्ष हमारे मित्र हैं । उनका विनाश कर हम स्वयं अपना विनाश कर रहे हैं । मल-मूत्र के रूप में हम उन्हें खाद देते हैं और वे हमें स्वादिष्ट फल फूल तथा वायु प्रदान करते हैं । हमारे द्वारा विसर्जित गंदगी उनका आहार है । इस प्रकार हम एक-दूसरे के सहायक हैं । बल्कि हमारा जीवन एक दूसरे पर निर्भर करता है । वृक्ष नष्ट हुए तो हमारा विनाश अवश्यमभावी है । प्रदूषण की समस्या का हल केवल एक है कि हम फिर प्रकृति की ओर लौटें । विकास और प्राकृतिक साधनों के बीच संतुलन एवं सामांजस्य स्थापित हो । विकास के लिए प्राकृतिक साधनों की बरबादी बंद करें । लकड़ी प्रयोग का विकल्प तालाश करें ताकि लकड़ी प्रयोग कम हो, नगरीकरण की गति धीमी करें । परमाणु विस्फोट तथा प्रयोग नितांत समाप्त किए जाएं ।

सबसे आवश्यक बात यह है कि हम अपने बच्चों तथा भावी संतति को जागरूक बनाएं । इस समस्या की भयंकरता से उन्हें अवगत कराएं । अपनी शिक्षा-प्रणाली में उचित परिवर्तन कर प्रदूषण एवं परिवार नियोजन की ओर सभी का ध्यान आकृष्ट करें । स्कूलों और कालिजों में इस प्रकार की शिक्षा देनी होगी जो विद्यार्थियों को प्रदूषण की समस्या से अवगत कराए । मनुष्य के जीवन-दर्शन में मूलभूत परिवर्तन लाएं । उनका सोचने का ढंग बदले । उनकी मानसिकता में तबदीली हो । शिक्षा ऐसी हो जो इन समस्याओं के कारणों एवं समाधानों की ओर ध्यान आकृष्ट करे । भावी संतति को जागरूक करे । आज के विद्यार्थी कल के नागरिक हैं उन्हें आने वाले खतरों से हमें आगाह करना होगा । प्रदूषण की समस्या को पाठ्य-क्रम का एक अनिवार्य अंग बनाना होगा । वृक्षों की उपादेयता और उनके संरक्षण का दायित्व सर्वसाधारण को समझाना होगा । प्रत्येक व्यक्ति वृक्षों का

रोपन, उनका पालन-पोषण करना अपना धर्म एवं पहला कर्तव्य समझे । वृक्षों की रक्षा करने का हमारा वैसा ही दायित्व है, जैसा हमारा अपनी संतान की रक्षा करने का है । प्रत्येक विदयार्थी वृक्ष लगाना तथा उनका पालन-पोषण करना सीखे और यह समझे कि इस प्रकार वह अपनी, अपने परिवार की तथा मनुष्य जाति की रक्षा कर रहा है । वृक्षों की रक्षा में मानव-जीवन की रक्षा निहित है । इस प्रकार का ज्ञान हमें अपनी भावी संतति को देना है ।

हमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करनी है ताकि बच्चे बचपन से ही ऐसे संस्कार ग्रहण करें । वे वृक्षों के महत्व को समझ गए तो अपने जीवन की रक्षा कर पाएंगे अन्यथा आने वाले 50 वर्ष में मनुष्य जीवन को भयंकर खतरों का सामना करना होगा । यदि अब न चेते तो देर हो ज्ञाएगी । सब समस्याओं का रामबाण हल एक ही है कि वापस प्रकृति मां की गोद में चलें । प्रकृति से अपनी दूरी समाप्त कर अपने जीवन को जितना हो सके, प्राकृतिक और सादा बनाएं तथा अपनी समस्याओं का हल प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधनों में तलाश करें । प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग इनके नैसर्गिक रूप में करें । विकृत या कृत्रिम रूप में नहीं । प्रकृति हमारी मां है, हमारा कल्याण इसका संरक्षण फिर से प्राप्त करने में है । प्रकृति से शत्रुता और उसके विरुद्ध कार्य करना हमें मंहगा पड़ेगा । ■

लेखक कृपया ध्यान दें

'राजभाषा भारती' में प्रकाशनार्थ ज्ञान-विज्ञान की सभी विधाओं पर स्तरीय लेख आमंत्रित किएं जाते हैं। लेख पर उचित मानदेय देने की भी व्यवस्था है। लेख ए-4 आकार के कागज पर टाइप किया हुआ होना चाहिए जो सामान्यतः तीन हजार शब्दों से अधिक का न हो। कृपया नोट करें कि हस्तलिखित लेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लेख साथ इस आशय का घोषणा पत्र भी होना चाहिए कि यह लेख/रचना लेखक की मौलिक कृति है और यह इससे पहले प्रकाशित नहीं हुई है।

यदि किसी कारणवश किसी लेख को पत्रिका में शामिल करना संभव न हुआ तो उसे लौटाया नहीं जाएगा। कृपया इस संबंध में पत्राचार न करें। कृपया लेख निम्नलिखित पते पर भेजे :-

संपादक/उप संपादक
राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)
कमरा सं. ए-4, द्वितीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

1394 HA/06-11

पर्यावरण मित्र अपारंपरिक ऊर्जा एवं ग्रामीण महिलाएं

–किशोर तारे*

भारत कृषि प्रधान देश है । जिसकी आधे से ज्यादा आबादी गांवों में निवास करती है । ग्रामीण जीवन अत्यंत पिछड़ा हुआ होने के कारण गांवों के लोग रोजगार की तलाश में शहर की ओर पलायन करते हैं । सारी सुविधाओं का लाभ सिर्फ शहरों तक ही सीमित होकर रह गया है । हमारे देश में महिलाओं की स्थिति खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी ही गंभीर है । वह अनपढ़, मानसिक तथा भावनात्मक रूप से कोमल एवं विरोध न कर पाने की प्रकृति के कारण हमेशा शोषित होती रहती है । ग्रामीण महिलाओं का घर और बाहर दोनों जगह समान रूप से शोषण होता है । ग्रामीण महिलाओं का सारा जीवन घर और खेती के कार्यों में ही व्यतीत हो जाता है ।

ऐसी स्थिति में अक्षय ऊर्जा का उपयोग ग्रामीण महिलाओं के लिए एक कल्याणकारी तथा विकास की दशा में सराहनीय पहल है । अक्षय ऊर्जा को भारत के गांव-गांव तक पहुंचाया जाना चाहिए, जिससे ग्रामीण महिलाएं अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें । समय बचा कर कुटीर उद्योगों में लग सकें जिससे वे आर्थिक रूप से सम्पन्न हो सकें । कहते हैं किसी भी देश का विकास उस देश की आर्थिक नीतियों पर तथा वहां के संसाधनों पर निर्भर करता है । अत: यह आवश्यक है कि हमारी नीतियां ग्रामीण जीवन के कल्याणार्थ हों जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उचित विकास हो सके ।

प्रत्येक देश की आर्थिक नीतियों के अंतर्गत ऊर्जा एक महत्वपूर्ण घटक है । सारी अर्थव्यवस्था का आधार ऊर्जा होता है । परिवहन, भारी उद्योग, कुटीर उद्योग, घरेलू कार्यों पर होने वाली बिजली की खपत, ये सब ऊर्जा पर निर्भर होने से आर्थिक विकास का चक्र इसी के इर्द-गिर्द घूमता रहता है ।

वैसे तो आज लगभग सारा विश्व ऊर्जा के गंभीर संकट से गुजर रहा है । विकसित देश भी ऊर्जा की कमी को महसूस कर रहे हैं । ऐसे में विकासशील देशों को इस समस्या से जूझने में अत्यधिक प्रयासरत रहने की जरूरत है । वे ऊर्जा की नई-नई तकनालॉजी तथा क्षेत्र विकसित करने में लगे हुए हैं । जिससे ऊर्जा की कमी को घटाया जा सके तथा विश्व को बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण से भी मुक्त रखा जा सके । इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अपारंपरिक ऊर्जा ही विकल्प के रूप में हमारे सामने आशा लेकर आई है । अक्षय ऊर्जा का अर्थ है, नि:शुल्क, प्रकृतिदत्त, प्रदुषण मुक्त, सहज और सरलता के साथ उपलब्ध होने वाली ऊर्जा । ऐसी ऊर्जा जो कभी भी क्षय न होती हो और जिसका भण्डार भी कभी समाप्त न होता हो ।

भारत सरकार के अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस उद्देश को लेकर जो कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए हैं । वे ग्रामीण महिलाओं के हित, पर्यावरण की रक्षा तथा ग्रामीण अंचलों के विकास को देखते हुए तैयार किए गए हैं । ग्रामीण महिलाओं के लिए आज अक्षय ऊर्जा क्यों आवश्यक है, उसके निम्नलिखित कारण हैं ।

1. ग्रामीण महिलाओं को पीने के पानी के लिए दूर-दूर तक पैदल जाना पड़ता है । गहरे कुओं से पानी खिंचना तथा फसलों को पानी देने की व्यवस्था करना, जिसके कारण वे शरीरिक रूप से थक जाती है एवं सदैव बीमार रहती हैं ।

2. ग्रामीण महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण एवं नियमित कार्य है घर में खाना पकाने के लिए ईंधन ढूढंना । ईंधन प्राप्ति हेतु उन्हें गर्मी, ठंड और बरसात में दूर-दूर तक भटकना पड़ता है जिससे उनका बहुत समय बर्बाद होता है ।

3. पारंपरिक खाना पकाने के अविकसित साधन तथा दैनिक रसोई पकाने के लिए अधिक समय खर्च होने के

*ई-4/319, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016 (म.प्र.)

साथ घंटों विषैले धुएं में बैठे रहना पड़ता है । जिसके कारण पर्यावरण तो दूषित होता ही है, महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है और स्वच्छ पर्यावरण के अभाव में वे अक्सर बीमार रहती हैं । इन सब कष्टों से तथा समस्याओं से बचने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा के कई कार्यक्रम तैयार किए गए हैं ।

1. उन्नत चूल्हा–ग्रामीण महिलाएं उन्नत चूल्हे का उपयोग कर अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकती हैं । यह पर्यावरण को दूषित नहीं करता । इसमें ऊर्जा का अधिकतम उपयोग होता है । तकनीकी दृष्टि से जांचा, परखा होने से ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती । खाना कम समय में तैयार होता है । कुछ चूल्हे ऊठाऊ होने के कारण उनको कहीं भी रखा जा सकता है । यह चूल्हे मिट्टी और लोहे में उपलब्ध हैं ।

उन्नत चूल्हा के प्रमुख लाभ

1. बहुमूल्य लकड़ी की बचत
2. ऊर्जा का अधिकतम उपयोग
3. सांस एवं आँखों की बीमारी से सुरक्षा
4. जंगल की कटाई रुकने से पर्यावरण की रक्षा
5. जलाने वाले ईंधन की सुगमता से प्राप्ति
6. खाना कम समय में तैयार

2. गोबर गैस–बायोगैस एक स्वच्छ, धुंआ और प्रदूषण रहित ईंधन है । इसमें 55 से 70% तक मीथेन गैस होती है जो प्रज्वलनशील होती है । बायोगैस पशुओं के गोबर, मानव मल, घास-फूस आदि से तैयार होती है । जिसे बोलचाल की भाषा में गोबरगैस कहा जाता है । यह गैस सीधे ग्रामीण महिलाओं को गैस स्टोव पर प्राप्त हो जाती है । इससे समय की तथा पैसे की बचत होती है । लकड़ी, कंडा जलाने की झंझट से मुक्ति मिलती है । विषैले धुएं के कारण आँख और सांस संबंधी रोग नहीं होते । गांव का पर्यावरण हमेशा शुद्ध बना रहता है । इस बायोगैस संयंत्र के दो प्रचलित डिज़ाइन हैं, ईटों से बना स्थिर डोम वाला दीनबंधु मॉडल तथा दूसरा फलोटिंग मेटल ड्रम वाला खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग वाला मॉडल ।

बायोगैस के प्रमुख लाभ

1. ईंधन की प्राप्ति
2. प्रकाश की व्यवस्था
3. खेती के लिए उत्तम खाद
4. रोजगार के अवसर
5. गांव में स्वच्छ वातावरण और पर्यावरण की रक्षा

3. सोलर कुकर–सोलर कुकर सूर्य की किरणों से चलने वाला उपकरण है । जिसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है । यह कुकर खाना पकाने के लिए बहुत ही उत्तम साधन है । इसमें महिलाएं एक ही बार में चार वस्तुएं पका सकती हैं । गांवों में जगह की सुविधा होने के कारण ग्रामीण महिलाएं तो इसका उपयोग बहुत अच्छी तरह कर सकती हैं । इससे कोई धुआं नहीं होता और न इससे आग लगने का डर होता है । यह आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है । पर्यावरण का यह एक सच्चा मित्र है ।

सोलर कुकर के प्रमुख लाभ

1. धन की बचत
2. भोजन की पौष्टिकता
3. सहज एवं सरलता से उपयोग
4. रोजगार के अवसर
5. पर्यावरण मित्र
6. समय की बचत

4. पवन ऊर्जा–हवा से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं । इससे कुओं से पानी खींचने के अलावा बिजली भी तैयार की जा सकती है, जिससे ग्रामीण महिलाओं के लिए गहरे कुओं से पानी खींचने के यंत्रणादायक काम से मुक्ति मिलती है । पवन, ऊर्जा (पवन चक्की) द्वारा बिजली तैयार होने से दूर-दराज गांवों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी उजाला फैलाया जा सकता है । जिससे विषैले जीव-जंतुओं से बचाव हो सके ।

पवन ऊर्जा के प्रमुख लाभ

1. बिजली का उत्पादन
2. गहरे कुंओं से पानी खींचने से मुक्ति
3. दूर-दराज के गांवों को बिजली
4. पर्यावरण की शुद्धता
5. गांव के लोगों को रोजगार के अवसर
6. पारंपरिक बिजली जैसी दुर्घटनाएं नहीं

5. बायोमास–घास-फूस, कचरा, पेड़, पौधों के अपशिष्ट तथा खेती से निकले अपशिष्ट द्वारा भी ऊर्जा बनाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिससे बिजली तैयार कर ग्रामीणों को दी जा सके। इस ऊर्जा तकनीक द्वारा भी ग्रामीण महिलाएं अपने कष्टों को कम कर सकती हैं। अक्षय ऊर्जा प्रकृतिदत है। सर्व सुलभ तथा सहज उपलब्ध तथा बहुपयोगी है। अक्षय ऊर्जा मुख्य रूप से देश की पारंपरिक ऊर्जा साधनों की बचत करती है तथा पर्यावरण की रक्षा करती है। इसके द्वारा हम ग्रामीण महिलाओं के उत्थान हेतु आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। उनको मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिला सकते हैं। उनके स्वास्थ्य की बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं।

बायोमास के प्रमुख लाभ

1. गांव में गंदगी से मुक्ति
2. घास-फूस, कूडा-करकट, का इस्तेमाल होने से गांव में स्वच्छ वातावरण
3. खेती के बेकार भाग का उपयोग
4. पर्यावरण की रक्षा
5. सरलता एवं सर्व सुलभ ऊर्जा साधन
6. ऊर्जा की सरल तकनीक

आज अक्षय ऊर्जा की तकनालॉजी बहुत विकसित हो गई है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से संबंधित कई नए साधन हमारे सामने आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे उपयोग में लाए जाने पर अच्छे परिणाम सामने आए हैं। ग्रामीण महिलाएं अब रसोई के लिए उन्नत चूल्हा एवं गोबर गैस का उपयोग कर रही हैं। घर में रेड़ियो, टेलीविजन तथा लाईट गोबर गैस की ऊर्जा से चल रहे हैं। कुओं से पानी खींचने के लिए सौर ऊर्जा तथा पवन चक्की का उपयोग हो रहा है फसलें, फलों और मिर्ची आदि सुखाने के लिए सोलर रेफ्रीजेरेशन का उपयोग हो रहा है। गांवों में रोशनी के लिए सोलर लालटेन आदि का इस्तेमाल हो रहा है।

यह सब देख कर कहा जा सकता है कि अक्षय ऊर्जा का उपयोग सभी के लिए लाभदायक है। यह पर्यारण के अनुकूल है, प्रदूषण रहित है। विशेषत: ग्रामीण महिलाओं के लिए परिवर्तन की नई राह लेकर आई है और उनके लिए सुखी, सम्पन्न, निरोगी जीवन का मंत्र लेकर आई है। ■

हिंदी के माध्यम से सारे भारत को एकता के धागे में पिरोया जा सकता है।

–दयानन्द सरस्वती

जब तक इस देश का राजकाज अपनी भाषा में नहीं चलेगा तब तक यह नहीं कह सकते कि देश में स्वराज्य है।

–मोरारजी भाई देसाई

हिंदी सीखे बिना भारतीयों के दिल तक नहीं पहुंचा जा सकता।

–डा. लूथर, जर्मन विद्वान

हिंदी के बिना भारत की राष्ट्रीयता की बात करना व्यर्थ है।

–वी. वी. गिरि

रामचरित मानस : तुलसीदास का कीर्ति स्मारक

—डॉ. पन्ना प्रसाद*

तुलसीदास ने सन् 1574 ई. में रामचरितमानस की रचना की थी। रचना-क्रम की दृष्टि से मानस तुलसीदास की पांचवीं रचना है। इसके पूर्व वह रामलला नहछू, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी की रचना कर चुके थे। मानस तक आते-आते तुलसीदास का रचना-कौशल अपने शीर्ष पर पहुँच चुका था। काव्य के अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों पक्षों पर तुलसीदास का अधिकार स्थापित हो चुका था। मानस की रचना से पूर्व तुलसीदास ने काशी में श्री शेषसनातन के यहाँ पंद्रह वर्षों तक वेदांग की विधिवत् शिक्षा ग्रहण की थी। वेदांग के सभी अंगों – शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष – का उन्हें सम्यक् ज्ञान था। इनमें से कल्प और ज्योतिष को छोड़ दें तो शेष चारों शास्त्र भाषा से संबंधित हैं। मानस की रचना की आधार-भूमि भी संस्कृत के ग्रंथों से निर्मित थी – "नानापुराणनिगमागमसम्मत"। इसीलिए मानस का कलापक्ष उच्चकोटि का बन पड़ा है। अनुभूति पक्ष के अंतर्गत अनेक प्रकार की भावदशाओं, मनोवृत्तियों एवं रस-निरुपण का सम्यक् चित्रण हुआ है – छओ शास्त्र सब ग्रथनि को रस। सभी शास्त्रों और महान संस्कृत ग्रन्थों का सार-तत्व मानस की रचना में सहायक है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण रामचरितमानस गृहस्थों, वैरागियों, भक्तों और कवियों के लिए समान रूप से प्रासंगिक और उपयोगी बना हुआ है।

रामचरितमानस एकमात्र ऐसी रचना है, जिसकी चार सौवीं जयंती 'मानस चतुश्शती' के रूप में धूम-धाम से पाँच वर्ष तक मनाई गई। देश-विदेश के विश्वविद्यालयों, शिक्षण-संस्थाओं, साहित्यिक प्रतिष्ठानों, विद्वत् समारोह, संगोष्ठियाँ, परिचर्चाएं, परिसंवाद आदि आयोजित किए गए। तुलसीदास और मानस से जुड़ी अनेक विभूतियों की मूर्ति व स्मारक आदि निर्मित किए गए। तुलसी की प्रासंगिकता को रेखांकित करने वाली अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई। पत्रिकाओं ने अपने विशेषांक निकाले। यह सब अकारण ही नहीं था। विश्व के किसी भी देश में तुलसी की समानता का शायद ही कोई व्यक्तित्व होगा जिसकी रचना शताब्दियों तक उस देश के निवासियों को अनुप्राणित करती रही हो। रामचरितमानस एक संपूर्ण सामाजिक दर्शन है। यदि गीता हिंदू-संस्कृति का विचार-ग्रंथ है तो रामचरित मानस उस का आचार-ग्रंथ है।

हिंदी भाषी जनता में भारतीय संस्कृति की जिस मर्यादा का स्वरूप दिखाई देता है वह रामचरितमानस के कारण ही अक्षुण्ण है। माता-पुत्र, पिता-पुत्र, पति-पत्नी, भाई-भाई, गुरू-शिष्य, स्वामी-सेवक के बीच स्वार्थरहित जिस सामाजिक संबंध का आदर्श रूप भारतीय समाज में विद्यमान है उसके मूल में रामचरितमानस के पात्रों का आदर्श चरित ही है। रामचरितमानस अपने प्रभाव-क्षेत्र में देश और काल की सीमाओं का अतिक्रमण कर जाता है। मारीशस, फीजी, सूरीनाम, गुयाना में अंग्रेजों द्वारा ले जाए गए गिरमिटिया मजदूरों की गठरी में अपने थाली-लोटे के अलावा यदि कोई संपत्ति थी तो वह मानस और हनुमानचालीसा की पोथियाँ ही थीं। उन बिराने-बेगाने देशों में अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़े रहने का यही एक साधन उनके पास था। रामचरितमानस से प्रभावित होकर हजारों मील दूर बेल्जियम में बसे फादर कामिल बुल्के भारत चले आए और यहीं के होकर रह गए (बेल्जियम में रहते हुए बुल्के ने रामचरितमानस के कुछ अंशों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था। अयोध्या कांड की निम्नलिखित चौपाई का उनके ऊपर अमित प्रभाव पड़ा –

धन्य जनमु जगतीतल तासू। पितहिं प्रमोदु चरित सुनि जासू॥
चारि पदारथ करतल ताके। प्रिय पितु-मातु प्रान सम जाके॥

उन्होंने कहा है, "पिता और पुत्र का ऐसा आदर्श संबंध, ऐसी उदात्त कल्पना मेरे देश में नहीं थी। यूरोपीय

*क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जनपथ यूनिट-9 भुवनेश्वर – 751022

1394 HA/06–12

गया है। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञानुसार लड़ तो रहे थे कौरवों की ओर से परंतु उनका पूरा ध्यान रहता था पांडवों पर। दुर्योधन इससे बहुत चिंतित हुए, उन्होंने युधिष्ठिर के पास जाकर पूछा कि भीष्म पितामह ऐसा क्यों कर रहे है। युधिष्ठिर ने सत्य बात कह दी कि इनको किसी नीच व्यक्ति के घर का भोजन खिलाया जाए ताकि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और इन्हें सत्य-असत्य, अच्छे-बुरे का ज्ञान ही न रहे, तब वे कौरवों की ओर से लड़ सकते हैं। दुर्योधन ने पूछा कि किस नीच व्यक्ति के घर का भोजन मंगाया जाए। इस पर युधिष्ठिर ने पुनः सत्य बात कह दी कि भाई तुमसे नीच और कौन हो सकता है। दुर्योधन ने वैसा ही किया और भीष्म पितामह ने पांडवों पर प्रहार करना शुरु कर दिया। अन्न का प्रभाव हमारे विचारों पर बहुत जल्दी पड़ता है।

इस प्रकार यदि हम कुछ बातों को ध्यान में रखें तो ज़ीवन सुखद बन सकता है। जिस वक्त हम एक विचार कर रहें हों तो दूसरे विचार को मन में न आने दें। यदि पढ़ने बैठें तो चाय या क्रिकेट की बात न सोचें। दफ्तर या कार्यस्थल पर जाकर घर की बात न सोचें। इससे हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है। नेपोलियन की सफलता का रहस्य भी यही था कि वह अपने विचारों को इस तरह वश में रखता था कि उसने जब नींद का विचार कर लिया तो वह अन्य किसी भी विचार को अंदर नहीं आने देता था। इससे एक कार्य को पूरी शक्ति मिल जाती है और कार्य में सफलता ही सफलता हाथ लगती है।

प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक मुखाकृति होती है। अपना एक रंग-रूप होता है। इतनी बड़ी दुनिया में किसी भी शक्ल दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलती। ठीक इसी प्रकार किसी एक व्यक्ति के विचार भी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलते, चाहे दोनों भाई-बहन हों या पिता-पुत्र हों। हम सभी के नाक, कान, मुंह, आंखें हैं परंतु किसी से मेल नहीं खातीं। सभी के अंगों की आकृति भिन्न-भिन्न है। ठीक इसी प्रकार सभी का सोचने का विचारने का ढ़ंग अलग-अलग है। परिणामस्वरूप प्रायः मित्रों में, भाइयों में अनायास ही मतभेद हो जाता है। एक व्यक्ति दूसरे के दृष्टिकोण को ठीक से समझ नहीं पाता। अतः एक क्षण भर में ही मित्रता शत्रुता में तबदील जो जाती है। रिश्तों में दरार पड़ जाती है। अतः हमें सदैव एक-दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि अपने सगे-संबंधियों के साथ हमारे रिश्ते मजबूत बन सकें और हम सभी तनाव और संघर्ष से बच सकें।

प्रत्येक व्यक्ति अपने कल्पना-लोक में खोया रहता है। अपनी दुनिया में रमा रहता है। उसके लिए कोई भी व्यक्ति भला या बुरा नहीं होता। केवल उसकी बुद्धि उसे उस व्यक्ति के प्रति अच्छी या बुरी धारणा बनाने पर मजबूर करती है। कौन हमारा शत्रु है, कौन मित्र, उसमें क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, ये सब हमारे मन में समाया हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति से अपने सुख-दुःख की दुनिया बना लेता है। शेक्सपीयर ने ठीक ही कहा है कि "कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता बल्कि हमारा दृष्टिकोण ही उसे वैसा बना देता है।" किसी व्यक्ति को आप अपना सच्चा मित्र मान कर विचार कीजिए तो उसके सभी गुण आपके सामने आने लगेंगे। उसी को अपना शत्रु मान कर विचार कीजिए तो मन आपको यही प्रमाणित कर देगा कि वह व्यक्ति आपका शत्रु ही है। स्वतः ही उसकी सभी बुराइयां आपको दिखाई देने लगेंगी। यदि आप अपने मन में सभी के प्रति मित्र-भाव रख कर सभी के गुणों को देखेंगे, उनसे प्रेम करेंगे तो उनके प्रति आपके मन में अनुराग पैदा होगा। आप उनसे प्रेम करने लगेंगे। वे आपको प्रिय लगने लगेंगे। वे आपके अपने हो जाएंगे। आप आनंदमय हो जाएंगे। आपकी सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। आप सुखी हो जाएंगे। आपको चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई देगी। आप धन्य हो जाएंगे। आप कल्पना-लोक में खो जाएंगे। विचार मग्न हो जाएंगे। पूर्ण आनंद पा जाएंगे। यह है विचारों की दुनिया। ■

❋ ❋ ❋

राजभाषा संबंधी गतिविधियां

(क) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

संपदा निदेशालय

संपदा निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 99वीं बैठक अपर संपदा निदेशक श्री एन०एन० माथुर की अध्यक्षता में 13 दिसंबर, 2005 को सांय 3.45 बजे संपदा निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई।

बैठक के प्रारंभ में संपदा निदेशक II, अपर संपदा निदेशक तथा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की गई। इस बैठक के दौरान ही सितंबर, 2005 में संपदा निदेशालय हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार व प्रमाण-पत्र भी दिए गए।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रत्येक अनुभाग हिंदी पत्राचार को और बढ़ाने का प्रयत्न करे ताकि वार्षिक कार्यक्रम 2005-2006 के अनुसार हिंदी पत्राचार का लक्ष्य जो कि 'क' तथा 'ख' क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत तथा 'ग' क्षेत्र के लिए 65 प्रतिशत है, पूरा किया जा सके। 21-10-2002 को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा संपदा निदेशालय के निरीक्षण के दौरान निदेशालय द्वारा समिति को यह आश्वासन दिया गया था कि निदेशालय द्वारा हिंदी पत्राचार के 100 प्रतिशत के लक्ष्य को शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा इसलिए जिन अनुभागों का हिंदी पत्राचार 70 प्रतिशत से कम है वे विशेष रूप से सुधार करें। कार्यालय अनुभाग को अपना हिंदी पत्राचार बढ़ाने का विशेष प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक अनुभाग प्रभारी की यह जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि अनुभाग के हिंदी पत्राचार में गिरावट न आए।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट केवल हिंदी अनुभाग की जिम्मेदारी नहीं है, सभी अनुभाग प्रभारियों का यह दायित्व है कि रिपोर्ट समय से तैयार करके हिंदी अनुभाग को भेज दी जाए। सभी उप निदेशक इस बात पर ध्यान दें कि प्रत्येक अनुभाग अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट तिमाही की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर हिंदी अनुभाग को भेज दें ताकि बार-बार अनुस्मारक भेजने की आवश्यकता न पड़े।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि विभिन्न मदों के बारे में जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, वह वास्तविक भी हैं या नहीं। यह भी देख लिया जाए कि हिंदी पत्राचार की स्थिति क्या है, कहीं पिछली तिमाही से कम तो नहीं।

अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी यथासंभव हिंदी में ही दिए जाएं (विशेष रूप से 'क' और 'ख' क्षेत्र में) क्योंकि निदेशालय द्वारा संसदीय राजभाषा समिति को यह आश्वासन दिया गया है और इसे पूरा करना सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का कर्त्तव्य है।

सभी सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां अनिवार्यता हिंदी में की जाएं। लीव नोटिफिकेशन, पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि की स्टैम्प द्विभाषी बनवा ली जाएं। सभी रजिस्टरों में प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं। सभी रबड़ स्टैम्प द्विभाषी हों। बैठक में एन०आई०सी० के प्रतिनिधि ने बताया के GAMS के द्विभाषी करण का कार्य बी०एच०यू० द्वारा किया जा रहा है। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारी/कर्मचारी अधिक से अधिक नोटिंग हिंदी में करें परंतु लिखावट स्पष्ट हो अथवा नोट टाइप किया हो ताकि उच्चाधिकारियों को इसे पढ़ने में अतिरिक्त समय लगाने की आवश्यकता न हो। निदेशालय से अधिकारी कम-से-कम 75% नोटिंग हिंदी में अवश्य करें।

पूर्व रेलवे कार्यालय, महाप्रबंधक (राजभाषा) 17, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001

क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 19-12-2005 को महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे श्री श्याम कुमार

की अध्यक्षता में संपन्न हुई। अपने संबोधन में महाप्रबंधक ने कहा कि हिंदी समिति की नियमित बैठकों से रेलवे में हिंदी के व्यवस्थित प्रयोग-प्रसार के प्रति अच्छा माहौल बन रहा है। हमें काम मूलतः हिंदी में करना चाहिए। जहां कोई कठिनाई है, वहां हिंदी विभाग के कार्मिक जाकर मुश्किलों का हल खोजने में मदद करें। इसी तरह, कंप्यूटरों के जरिए हिंदी का प्रयोग बढ़ाने में भी हिंदी विभाग डेस्कों पर संपर्क कर सामान्य धारा के कार्मिकों को इस दिशा में प्रेरणा दें। अभी लगभग 85% रेल कर्मी हिंदी जानते हैं। इनके हिंदी ज्ञान का उपयोग करने के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम संपन्न किए जाने चाहिए। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि सार्वजनिक स्थलों पर संवादहीनता की स्थिति पैदा न हो। हर जनोपयोगी सूचना/फार्म आदि हिंदी व अंग्रेजी में होना चाहिए। रेलवे के बंगलाभाषी क्षेत्र में यह जानकारी बंगला में भी उपलब्ध रहे। संरक्षा/ट्रेन संचालन विषयक आदेश/संदेश भी हिंदी द्विभाषी हों। स्टेशनों के हिंदी जानने वाले कार्मिकों के लाभार्थ हिंदी कार्याशालाएं आयोजित की जाएं।

हिंदी विभाग, रेलवे के अन्य कार्यपालक विभाग की तरह अपनी कार्यप्रणाली को ढाले। हिंदी विभाग को अब सहायता/मार्गदर्शन जैसे पैसिव (Passive) भूमिका को त्याग कर रेल संचालन में सक्रिय योगदान (Active Contribution) देना चाहिए। तभी राजभाषा विषयक/नियमगत प्रावधानों का सही मायने में अनुपालन होगा और होता हुआ नजर भी आएगा।

दक्षिण पूर्व रेलवे कार्यालय, महाप्रबंधक (राजभाषा) गार्डनरीच, कोलकाता-43

क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 77वीं बैठक दिनांक 29-12-2005 को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता अपर महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे, श्री एस० आर० ठाकुर ने की। अपर महाप्रबंधक ने 14 सितंबर, 2005 से 28 सितंबर, 2005 तक मुख्यालय, मंडलों एवं कारखानों में चलाए गए हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों का ध्यान राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 33 के अंतर्गत आने वाले कागजातों की ओर आकृष्ट करते हुए, रांची मंडल, भंडार एवं सिगनल विभाग के विभागाध्यक्षों का ध्यान उनके मंडल/विभाग की कमियों की ओर खींचा। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को यह सुनिश्चित करना है कि धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजात दोनों भाषाओं में ही जारी हों। वर्ष 2005 के दौरान (जन., 2005 से नव., 2005 तक) मुख्यालय के 787 कर्मचारियों को हिंदी प्रवीण एवं हिंदी प्राज्ञ का प्रशिक्षण देने पर उन्होंने मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं राजभाषा विभाग को बधाई दी। उन्होंने सभी मंडलों के अमुराधियों से आग्रह किया कि जिन मंडलों में काफी बड़ी संख्या में कर्मचारी अभी भी भाषा प्रशिक्षण के लिए शेष हैं, वे वर्ष 2006 के दौरान 600 कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखें।

पूर्व मध्य रेल महाप्रबंधक (राजभाषा), हाजीपुर

क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 12वीं बैठक 23-12-2005 को महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर श्री के०सी० जेना की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर महाप्रबंधक श्री प्रवीण कुमार ने महाप्रबंधक एवं समिति के अध्यक्ष श्री के०सी० जेना एवं उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि सितंबर माह में पूरे पूर्व मध्य रेल के कार्यालयों में हिंदी सप्ताह आयोजित किया गया। इस दौरान राजभाषा संबंधी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यालय में 14 सितंबर से 22 सितंबर, 2005 के दौरान साहित्यिक गोष्ठी, कंप्यूटर विषयक तकनीकी गोष्ठी, हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता, अधिकारियों की राजभाषा क्विज प्रतियोगिता, मुक्तिबोध हिंदी पुस्तकालय का उद्घाटन, नाटक, कवि सम्मेलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यालय में आयोजित राजभाषा प्रदर्शनी का महाप्रबंधक महोदय ने रिबन काटकर उद्घाटन किया था। इस प्रदर्शनी में क्रमशः प्रशासन को प्रथम, सिगनल व दूर संचार को द्वितीय और विद्युत तथा भंडार विभाग को संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। प्रतियोगिताओं तथा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 103 अधिकारियों व कर्मचारियों को सप्ताह के अंत में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित किया गया। पूर्व मध्य रेल के मंडलों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यालय से भी शीघ्र "वैशाली" पत्रिका प्रकाशित की जानी है। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों व सदस्यों से विभागीय लेख शीघ्र भेजने का

अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने सभी से आवधिक रपटें समय पर भेजने, राजभाषा बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने, नामपट्ट, सूचनापट्ट तथा सरकारी वाहनों पर विवरण द्विभाषी सुनिश्चित करने को कहा।

महाप्रबंधक श्री के.सी. जेना ने क्षेत्रीय रेल के विभिन्न कार्यालयों में हिंदी में किए जा रहे कामकाज, गोष्ठियों, कार्यक्रमों आदि की सराहना की। उन्होंने सभी से अपने आंकड़ों की क्रास जांच कर भेजने पर बल देते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपने दैनिक जारी पत्रों में से कम से कम 50% हिंदी में जारी करें। सरकारी कामकाज में सरल हिंदी का प्रयोग करने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी में किए जा रहे कार्यों के दौरान एक समान प्रचलित द्विभाषी सॉफ्टवेयर व फॉन्ट का प्रयोग किया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे अन्य कार्यालयों आदि में आसानी से देखा जा सके।

रेलवे स्टाफ कालेज, वडोदरा-390004

महानिदेशक श्रीमती शोभना जैन की अध्यक्षता में दिनांक 08-12-2005 को रेलवे स्टाफ कालेज राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 93वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महानिदेशक द्वारा मूल हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता-2004-05 के पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए गए।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्रीमती शोभना जैन ने कहा कि रेलवे स्टाफ कालेज, रेल अधिकारियों के लिए सर्वोच्च प्रशिक्षण केंद्र है, जहां अधिकारी न सिर्फ रेल कार्यप्रणालियों से संबंधित विषयों में महारत हासिल करते हैं बल्कि शिष्टाचार के उच्च-सोपान भी चढ़ते हैं। राजभाषा हिंदी के माध्यम से हम अपने इस उद्देश्य को कारगर ढंग से प्राप्त कर सकते हैं और राजभाषा के महत्व के बारे में सभी रेलों को यहां से सकारात्मक संदेश भेजा जा सकता है। अत: पाठ्य सामग्री में तो राजभाषा का व्यावहारिक उपयोग किया ही जाए साथ ही साथ इतर गतिविधियों में इसे समुचित स्थान प्रदान किया जाए। उन्होंने राजभाषा के सत्र बढ़ाने की बात पर जोर देते हुए कहा कि हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ाने के लिए समुचित वातावरण तैयार करने हेतु राजभाषा प्रश्न मंच, राजभाषा गोष्ठियां, कवि-सम्मेलन आदि का भी समय-समय पर आयोजन किया जाए। उन्होंने सूक्तिपरक वाक्य भी प्रमुख स्थानों पर समुचित ढंग से लगाने की बात की तथा कंप्यूटरों पर हिंदी के अनुप्रयोग और अधिक बढ़ाने की बात पर जोर दिया। आगे उन्होंने कर्मचारियों/अधिकारियों को हिंदी के व्यवहार में सिद्धहस्त बनाने के लिए कार्यशालाएं तथा टेबल-प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों के नियमित आयोजन पर भी बल दिया।

महाप्रबंधक/राजभाषा पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

दिनांक 12-12-2005 को महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे श्री आर. मोहनदास की अध्यक्षता में रा.भा.का. समिति की बैठक संपन्न हुई।

अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक श्री राकेश त्रिपाठी ने बैठक में उपस्थित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि भारत का संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच-विचार कर सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा को संविधान में राजभाषा का स्थान दिया था। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है, जिसमें विभिन्न भाषाओं के शब्दों को शामिल कर लेने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की राजभाषा उसकी अस्मिता, गौरव, एकता एवं अखंडता से जुड़ी हुई होती है इसलिए किसी भी देश की अपनी एक राजभाषा का होना अति आवश्यक होता है। इसी दृष्टिकोण से संविधान निर्माताओं ने हिंदी को देश की राजभाषा का स्थान दिया था। किसी भी भाषा की प्रगति उसके इस्तेमाल एवं जनसाधारण के द्वारा आसानी से समझ लिए जाने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि इंजन, प्लेटफार्म, नट-बोल्ट जैसे अंग्रेजी के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम अपने कामकाज में करते रहते है। हमें इनके अनावश्यक हिंदीकरण पर नहीं जाना चाहिए बल्कि उन्हें यथावत हिंदी में प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने विगत 10 एंव 11 नवंबर को संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति द्वारा किए गए निरीक्षण की तरफ ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि महाप्रबंधक महोदय के कुशल मार्ग-निर्देशन में समिति ने पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय का निरीक्षण किया था। आपको यह जानकर गर्व और प्रसन्नता होगी कि पूर्वोत्तर रेलवे पर राजभाषा की प्रगति के बारे में समिति के माननीय सदस्यों

ने इसकी सराहना की। अनेक अच्छाईयों के साथ-साथ उन्होंने कुछ कमियां भी बताई जिसके बारे में आप सभी को अवगत कराया जा चुका है।

महाप्रबंधक, श्री आर. मोहनदास ने सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों एवं मंडलों के अपर मुख्य राजभाषा अधिकारियों/उप मुख्य राजभाषा अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति दिनांक 10 एवं 11 नवंबर, 2005 को पूर्वोत्तर रेलवे के निरीक्षण दौरे पर आई थी। आप सभी के प्रयासों से माननीय सदस्यों का निरीक्षण दौरा कार्यक्रम काफी सफल रहा, इसके लिए महाप्रबंधक महोदय ने सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए अवगत कराया कि उक्त समिति के संयोजन माननीय श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय, संसद सदस्य जी का इस संबंध में प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ है जिसे पढ़कर प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का सफल बनाने में जिन कार्मियों ने सक्रिय योगदान दिया है उन्हें राजभाषा विभाग द्वारा पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया जाए।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वितीय मध्य प्रदेश, ग्वालियर

दिनांक 28-10-2005 की कार्यालय के सभाकक्ष में श्री राकेश जैन महालेखाकार (लेखा एवं हक)- II म. प्र. की अध्यक्षता में त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम गत् तिमाही बैठक के कार्यवृत्त को सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने पत्रिका विमोचन तथा द्वितीय पुरस्कार प्राप्ति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने सारगर्भित उदबोधन में कहा कि हिंदी का सरलतम रूप ही प्रयोग में लाया जाए। यदि कहीं अंग्रेजी शब्द का प्रयोग आवश्यक होता हो तो उसे देव नागरी में भी लिखा जा सकता है, इससे हमारी राष्ट्रभाषा का और अधिक विकास होगा।

कार्यालय आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, गाजियाबाद

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, गाजियाबाद की माह 01 अक्टूबर से 30 दिसंबर, 2005 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही की बैठक 16-02-2006 को अपराह्न 4.00 बजे आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा आयुक्तालय, गाजियाबाद के मंडलों एवं शाखाओं से प्राप्त माह 01 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2005 तक की 'हिंदी तिमाही प्रगति' आख्याओं की समीक्षा की गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में वार्षिक कार्यक्रम 2005-06 के निर्देशानुसार फाईल नोटिंग में 75 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु हिंदी में कार्य करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को इस ओर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है।

आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गए हैं कि फाईलों पर हिंदी में लिखे जाने वाले ऐसे शब्दों, जो प्रतिदिन फाईलों में उपयोग किये जाते हैं लेकिन उनको लिखना कठिन है, को सभी फाईल कवरों पर छपवाया जाए, ताकि कार्य करने में आवश्यकता पड़ने पर इनकी सहायता ली जा सके।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि ऐसी दशा में जहाँ अंग्रेजी में पत्र लिखना अनिवार्य है, उस पत्र पर कवरिंग लैटर हिंदी में लगा कर हिंदी कार्य को बढ़ाया जा सकता है।

माह अक्तूबर, 2005 से दिसंबर, 2005 की तिमाही रिपोर्ट में हिंदी का मूल पत्राचार 49.00 प्रतिशत् रहा है, जो कि पिछले तिमाही से 5 प्रतिशत् ज्यादा पाया गया। इसके लिए अध्यक्ष महोदय ने संतोष प्रकट करते हुए अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने तथा पत्रावलियों में टिप्पणी 75 प्रतिशत से अधिक हिंदी में लिखने का निर्देश दिया।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय ई.डी.सी. कांपलैक्स, पाटो पणजी-गोवा 403001

दिनांक 31-12-2005 को, समाप्त हो रही तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 16-01-2006 को अपराह्न 4.00 बजे श्री सुनील कुमार साहनी, आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, गोवा की अध्यक्षता में मुख्यालय, पणजी (गोवा) के कार्यालय में आयोजित की गई।

हिंदी पत्रचार की समीक्षा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने यह निदेश दिया कि, हिंदी पत्रचार रिपोर्ट में दिखाए गए आंकड़े सही होने चाहिए। इसके लिए हिंदी पत्राचार का आवक/जावक अलग से रजिस्टर में नोट करना चाहिए और संबंधित अनुभाग के सहा. आयुक्त/उप आयुक्त/संयुक्त आयुक्त के अनुमोदन से और हस्ताक्षर के बाद हिंदी अनुभाग में भेजना चाहिए। इसी से हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति मालूम हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय ने सभी अनुभाग प्रमुखों को यह निदेश दिया कि सभी अनुभागों में जितने अग्रेषण पत्र भेजे गए हैं, वह सभी पत्र हिंदी में अनुवाद करके अग्रेषित किए जा सकते हैं, उन सभी पत्रों को, हिंदी में भेजने का प्रयास करें। अध्यक्ष महोदय ने अधीक्षक सीमा शुल्क, तकनीकी और सतर्कता को निदेश दिया कि ऐसे अग्रेषण पत्रों की जांच करें जिन्हें हिंदी में भेजा जा सकता है।

मार्मागोवा सीमा शुल्क भवन के हिंदी कार्य की समीक्षा करते हुए अध्यक्ष ने यह निदेश दिया कि व्यक्तिगत सुनवाई सूचना, कारण दिखाओ नोटिस/आय.जी.एम. प्रपत्र नमूना द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं। इससे हिंदी पत्राचार प्रतिशत् में बढ़ोतरी हो सकती है। गोपनीय अनुभाग द्वारा किए गये पत्रचार के प्रतिशत की पुनरीक्षा करते समय अध्यक्ष ने निदेश दिया कि सी.सी.आर (गोपनीय रिपोर्ट) फ्रोल्डर्स के संचालन के मानक प्रपत्र तथा अन्य रिपोर्ट के अग्रसारण पत्र हिंदी में बनवाए जाएं, इससे अनुभाग का हिंदी पत्राचार प्रतिशत् बढ़ेगा।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय पो. बो. नं 81 तेलंगखेड़ी मार्ग सिविल लाइन्स नागपुर

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय नागपुर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 26-12-2005 को केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त श्री हरजिंदर सिंह की अध्यक्षता में मुख्यालय कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। आयुक्त कार्यालय में दिनांक 30-9-2005 को समाप्त तिमाही में प्रभागीय कार्यालय एवं शाखा वार हिंदी पत्रचार की जानकारी समिति के समक्ष रखी गई। समिति को बताया गया कि नागपुर आयुक्तालय के लिए निर्धारित लक्ष्य 90 प्रतिशत् हैं, जब कि प्राप्त लक्ष्य 77 प्रतिशत् है।

आयुक्त महोदय ने मुख्यालय के अनुभागों एवं प्रभागीय कार्यालयों के हिंदी पत्रचार के स्थिति की समीक्षा करते हुए सहायक निदेशक (रा. भा.) को निर्देश दिए कि मुख्यालय की शाखाओं द्वारा जारी हिंदी पत्रों की जांच करें।

उन्होंने मुख्यालय की विधि शाखा, सांख्यिकी शाखा, न्याय निर्णयन शाखा, समीक्षा एवं अधिकरण शाखा, सीमा शुल्क तकनीकी शाखा एवं सी.आय.यू. शाखा के प्रतिनिधि सदस्यों की अनुपस्थिति पर अपना असंतोष प्रकट किया तथा अनुपस्थित सदस्यों से स्पष्टीकरण मांगने के संबंध में कहा।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय मेरठ

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय मेरठ-I की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 14-9-2005 को श्री विजय कुमार शर्मा, आयुक्त केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, मेरठ-I की अध्यक्षता में आयुक्तालय के सभा कक्ष सं. 104 में आयोजित की गई।

दिनांक 28-09-2005 को हिंदी पखवाड़े के समापन के अवसर पर कविता पाठ प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मंडल कार्यालयों को भी तदनुसार हिंदी पखवाड़ा मनाने के निर्देश जारी किए गए है।

अध्यक्ष महोदय ने सर्व प्रथम "हिंदी दिवस" के अवसर पर सबको बधाई दी और हिंदी दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए राजभाषा हिंदी की संवैधानिक व्यवस्था एवम् इसकी सार्वभौमिकता एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के बारे में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को विस्तार से अवगत कराया और कहा कि सरकारी सेवकों को सभी प्रकार के सरकारी कार्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, अधिनियमों का अनुपालन करते हुए करने होते है, अत: भारत सरकार के सरकारी कामकाज की भाषा के प्रयोग के लिए भी राजभाषा अधिनिमन, 1963 एवं राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत निर्धारित व्यवस्था का भी सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शत प्रतिशत् अनुपालन करना अनिवार्य है। अत: सभी अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

करनाल

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 42वीं बैठक दिनांक 29.12.2005 को अपराह्न 2.30 बजे लघु उद्योग सेवा संस्थान; करनाल के सभागार में आयोजित की गई।

अध्यक्ष नराकस श्री सुरेश यादवेंद्र ने मुख्य अतिथि एवं समस्त कार्यालय प्रमुखों का स्वागत किया और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम लोगों को अपना ज्यादा से ज्यादा काम हिंदी में ही करना चाहिए। इसे फाइलों पर हस्ताक्षर से शुरू करना चाहिए और इसके लिए हम लोगों ने पिछली बैठक में निर्णय लिया था। यदि हम अपना काम हिंदी में करेंगे तो झिझक दूर होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

श्री जसंवत सिंह, प्रतिनिधि, भारत सरकार; क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर), गाजियाबाद ने कहा कि यदि कोई नगर समिति अच्छा कार्य करती है तो उसके क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के अधिकारियों की प्रशंसा भी गृह मंत्रालय में होती है। नराकास करनाल के अंर्तगत विभिन्न कार्यालय राजभाषा में अच्छा कार्य कर रहे हैं। यह मुझे यहां पर राजभाषा संबंधी किए गए निरीक्षण के दौरान पता चला और इसके परिणामस्वरूप नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति करनाल को पूरे उत्तर क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है। उन्होंने कार्यालयों की छमाही रिपोर्टों का भी अवलोकन किया।

मुख्य अतिथि श्री विकास नारायण राय, अपर महानिदेशक (हरियाणा पुलिस), हरियाणा सरकार ने कहा कि हिंदी में ईमानदारी एवं बेईमानी दोनों शब्द नहीं हैं ये शब्द अंग्रेजों की देन हैं। हिंदी में सच्चाई एवं सत्यनिष्ठा शब्द हैं। उन्होंने कहा कि समाज इस समय अर्थव्यवस्था की प्रगति के दौरान बढ़ोतरी की ओर बढ़ रहा है और बराबरी की ओर जा रहा है। जहां हम सब को बराबरी की भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा इसके लिए सबसे उपयुक्त भाषा हिंदी ही है। उन्होंने अदालतों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर जो न्याय होता है वह अंग्रेजी में होता है। जो भारत की ग्रामीण जनता समझ नहीं पाती है और इसके लिए उनको एक वकील करना पड़ता है। न्यायिक प्रक्रिया अंग्रेजी में ही चल रही है। इसके लिए उन्होंने बताया कि एक बार ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्ग की बात न्यायाधीश समझ नहीं पा रहे थे तो उन्होंने उनको सलाह दी कि आप एक वकील कर लें, इस पर उस बुजुर्ग ने माननीय न्यायाधीश से कहा कि यदि आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ही वकील क्यों नहीं कर लेते। अत: हमें लोगों की भाषा में कार्य करना होगा। इस अवसर पर साहित्य उपक्रम की ओर से पुस्तकों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। बैठक में राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु 6 बिन्दुओं पर चर्चा भी की गई।

इस अवसर पर वर्ष 2004-05 के दौरान राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों हेतु कार्यालयों के अधिकारियों को मुख्य अतिथि एवं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा शील्ड व प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

मंडी

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति मंडी की सातवीं बैठक दिनांक 24-01-2006 आयकर अपर आयुक्त मंडी श्री सुनील वर्मा की अध्यक्षता में विस्को रिजोर्टस के सभा कक्ष में आयोजित की गई। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक का संचालन श्री आर. पी. शर्मा, सहायक निदेशक (रा.भा.) मुख्य आयकर आयुक्त, कार्यालय, शिमला ने किया।

अध्यक्ष महोदय ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि यह एक बिडंबना है कि आज भी हमें अपनी राजभाषा हिंदी को सही दर्जा देने के लिए इस प्रकार के प्रयत्न करने पड़ रहे हैं लेकिन कड़वी सच्चाई भी यही है कि इन प्रयत्नों के बगैर हम राजभाषा को जीवित और जीवंत शायद न रख पाएं।

हिंदी पत्रचार की समीक्षा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने यह निदेश दिया कि, हिंदी पत्रचार रिपोर्ट में दिखाए गए आंकड़े सही होने चाहिए। इसके लिए हिंदी पत्राचार का आवक/जावक अलग से रजिस्टर में नोट करना चाहिए और संबंधित अनुभाग के सहा. आयुक्त/उप आयुक्त/संयुक्त आयुक्त के अनुमोदन से और हस्ताक्षर के बाद हिंदी अनुभाग में भेजना चाहिए। इसी से हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति मालूम हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय ने सभी अनुभाग प्रमुखों को यह निदेश दिया कि सभी अनुभागों में जितने अग्रेषण पत्र भेजे गए हैं, वह सभी पत्र हिंदी में अनुवाद करके अग्रेषित किए जा सकते हैं, उन सभी पत्रों को, हिंदी में भेजने का प्रयास करें। अध्यक्ष महोदय ने अधीक्षक सीमा शुल्क, तकनीकी और सतर्कता को निदेश दिया कि ऐसे अग्रेषण पत्रों की जांच करें जिन्हें हिंदी में भेजा जा सकता है।

मार्मागोवा सीमा शुल्क भवन के हिंदी कार्य की समीक्षा करते हुए अध्यक्ष ने यह निदेश दिया कि व्यक्तिगत सुनवाई सूचना, कारण दिखाओ नोटिस/आय.जी.एम. प्रपत्र नमूना द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं। इससे हिंदी पत्राचार प्रतिशत् में बढ़ोतरी हो सकती है। गोपनीय अनुभाग द्वारा किए गये पत्रचार के प्रतिशत की पुनरीक्षा करते समय अध्यक्ष ने निदेश दिया कि सी.सी.आर (गोपनीय रिपोर्ट) फ्रोल्डर्स के संचालन के मानक प्रपत्र तथा अन्य रिपोर्ट के अग्रसारण पत्र हिंदी में बनवाए जाएं, इससे अनुभाग का हिंदी पत्राचार प्रतिशत् बढ़ेगा।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय पो. बो. नं 81 तेलंगखेड़ी मार्ग सिविल लाइन्स नागपुर

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय नागपुर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 26-12-2005 को केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त श्री हरजिंदर सिंह की अध्यक्षता में मुख्यालय कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। आयुक्त कार्यालय में दिनांक 30-9-2005 को समाप्त तिमाही में प्रभागीय कार्यालय एवं शाखा वार हिंदी पत्रचार की जानकारी समिति के समक्ष रखी गई। समिति को बताया गया कि नागपुर आयुक्तालय के लिए निर्धारित लक्ष्य 90 प्रतिशत् है, जब कि प्राप्त लक्ष्य 77 प्रतिशत् है।

आयुक्त महोदय ने मुख्यालय के अनुभागों एवं प्रभागीय कार्यालयों के हिंदी पत्रचार के स्थिति की समीक्षा करते हुए सहायक निदेशक (रा. भा.) को निर्देश दिए कि मुख्यालय की शाखाओं द्वारा जारी हिंदी पत्रों की जांच करें।

उन्होंने मुख्यालय की विधि शाखा, सांख्यिकी शाखा, न्याय निर्णयन शाखा, समीक्षा एवं अधिकरण शाखा, सीमा शुल्क तकनीकी शाखा एवं सी.आय.यू. शाखा के प्रतिनिधि सदस्यों की अनुपस्थिति पर अपना असंतोष प्रकट किया तथा अनुपस्थित सदस्यों से स्पष्टीकरण मांगने के संबंध में कहा।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय मेरठ

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय मेरठ-I की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 14-9-2005 को श्री विजय कुमार शर्मा, आयुक्त केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, मेरठ-I की अध्यक्षता में आयुक्तालय के सभा कक्ष सं. 104 में आयोजित की गई।

दिनांक 28-09-2005 को हिंदी पखवाड़े के समापन के अवसर पर कविता पाठ प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मंडल कार्यालयों को भी तदनुसार हिंदी पखवाड़ा मनाने के निर्देश जारी किए गए है।

अध्यक्ष महोदय ने सर्व प्रथम "हिंदी दिवस" के अवसर पर सबको बधाई दी और हिंदी दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए राजभाषा हिंदी की संवैधानिक व्यवस्था एवम् इसकी सार्वभौमिकता एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के बारे में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को विस्तार से अवगत कराया और कहा कि सरकारी सेवकों को सभी प्रकार के सरकारी कार्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, अधिनियमों का अनुपालन करते हुए करने होते है, अत: भारत सरकार के सरकारी कामकाज की भाषा के प्रयोग के लिए भी राजभाषा अधिनिमन, 1963 एवं राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत निर्धारित व्यवस्था का भी सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शत प्रतिशत् अनुपालन करना अनिवार्य है। अत: सभी अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए

प्रोत्सहित करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी नियमों का शत् प्रतिशत अनुपालन हो ।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय नं.1, विलियम्स रोड, कन्टोनमेंट, तिरुच्चिराप्पल्लि-620001

दिनांक 28-10-2005 को श्री मैथ्यु जान, आयुक्त की अध्यक्षता में मुख्यालय, तिरुच्चि के वोर्डस कक्ष में रा. भा.का. समिति की बैठक संपन्न हुई।

अध्यक्ष महोदय ने अपवंचन-रोधी, न्याय निर्णयन, समीक्षा एवं लेखा परीक्षा अनुभागों से मुख्य आयुक्त के कार्यालय को भेजी जा रही आवधिक रिपोर्ट, आदि को द्विभाषी बनाने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि द्विभाषी पत्रों के इस्तेमाल की अनुवीक्षण प्रेषण स्तर पर की जाए।

वेबसाइट का होम पेज हिंदी में भी उपलब्ध किया जाए तथा नागरिक अधिकार पत्र का हिंदी रूपांतर भी वेब-साइट में उपलब्ध किया जाना चाहिए।

कार्यशाला के भागीदारों द्वारा प्रकट बोलचाल की हिंदी सीखने की अभिलाषा को ध्यान में लेते हुए अध्यक्ष महोदय ने 2 कार्य दिवस या 4 अर्ध दिवस के लिए बोलचाल की हिंदी पर एक हिंदी कार्यशाला चलाने के लिए सहमति दी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उप-क्षेत्रीय कार्यालय, बैरकपुर 14 व 15, बी.टी. रोड, टीटागढ़, कोलकाता-119

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 23वीं बैठक श्री एस. बंद्योपाध्याय, सहायक भविष्य निधि आयुक्त (प्रशा.) की अध्यक्षता में दिनांक 25-10-2005 को उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित हुई।

अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक की कार्रवाई आरंभ करने के लिए सदस्य सचिव को निदेश दिया।

पिछली बैठक के कार्यवृत की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

दिनांक 01 सितंबर 05 से 30 सितंबर 05 तक 'हिंदी माह' का आयोजन किया गया। 'हिंदी माह' के दौरान 05 सितंबर, 2005 से 06 सितंबर, 2005 तक 'हिंदी कार्यशाला' तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मुख्य कार्यालय के निदेशानुसार राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक तिमाही समाप्ति के अगले माह की 10 तारीख से पहले आयोजित कर ली जाए तथा दिसंबर 2005 समाप्त तिमाही की बैठक दिनांक 05-01-2006 को आयोजित की जाए। साथ ही राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन की तिथि संबंधी 'एक्शन प्लान' बना लिया जाए।

आकाशवाणी, कटक

श्रीमती रशिम प्रधान, केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, कटक की अध्यक्षता में दिनांक 27-10-2005 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक संपन्न हुई। दिनांक 14-07-2005 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की सर्व-सम्मति से पुष्टि की गई। अध्यक्ष महोदया ने सुझाव दिया कि ज्यादा से ज्यादा नोटिंग एवं पत्राचार हिंदी में करें। प्रधान लिपिक को कंप्यूटर में तुरंत हिंदी सॉफ्टवेयर डलवाने के लिए आवयश्क कार्रवाई करने हेतु आदेश दिया। सभी केंद्रों को लेख भेजने के लिए अनुस्मारक भेजा जाए एवं पत्रिका के प्रकाशन के लिए आवश्यक कदम उठाया जाएं।

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद-121003, हरियाणा

एनएचपीसी में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए श्री एस. के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी की अध्यक्षता में दिनांक 30-01-2006 को एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में निगम के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया।

निदेशक (मानव संसाधान) ने अपने स्वागत संबोधन में हिंदी के संवैधानिक दायित्व की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि हिंदी संघ की राजभाषा है। राजभाषा के दायित्वों को पूरा करने हेतु सरकार एवं संविधान द्वारा हिंदी में कार्य करने के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा भी समय-समय पर राजभाषा संबंधी आदेश जारी किए जाते हैं। इन सबका पालन करना हमारे सेवा कार्यों में शामिल है। राजभाषा विभाग द्वारा

प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम में हिंदी पत्राचार, हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना, हिंदी में टिप्पण, हिंदी प्रशिक्षण, हिंदी पुस्तकों की खरीद इत्यादि मदों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु हमें अपने निगम में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में कारगर प्रयास करने हैं। निदेशक (मानव संसाधन) महोदय ने यह भी कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन की प्राप्ति में उच्च अधिकारीगण अपना विशेष योगदान दे सकते हैं। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि जब उच्च अधिकारीगण निगम के विभिन्न कार्यालयों में दौरा यात्रा पर जाएं तो वे उन कार्यालयों में राजभाषा हिंदी में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी अवश्य करें। ऐसा करने से कार्मिकों में हिंदी में कार्य करने की प्रवृति को और अधिक बढ़ावा मिलेगा और हम निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे।

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय ने इस बात पर विशेष बल दिया कि हमारे कार्यालयों द्वारा संसदीय समिति को दिए गए शेष आश्वासन भी शीघ्र पूरे कर लिए जाएं। राजभाषा कार्यान्वयन के लक्ष्य एवं पूर्ति में जो अंतर है उसे भी शीघ्र ही पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि हिंदी 100 करोड़ भारतवासियों को जोड़ती है। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम दिन-प्रतिदिन की बोलचाल में तथा कार्यालयीन कार्य में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। हमारे हिंदी विभाग द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्तम प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया कि सभी उच्च अधिकारी, अपना अधिक से अधिक कार्य राजभाषा हिंदी में करें।

तीस्ता चरण-V जल विद्युत परियोजना, बालुटार (पूर्वी सिक्किम)

तीस्ता चरण-V जल विद्युत परियोजना, बालुटार (पूर्वी सिक्किम) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2005-2006 की तीसरी तिमाही बैठक श्री एस के मित्तल, महाप्रबंधक व अध्यक्ष, रा. भा. का.स. की अध्यक्षता में दिनांक 26-12-2005 को संपन्न हुई। इस बैठक में सभी विभागों/परिसरों के विभागाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव श्री अजय कुमार बक्सी, प्रबंधक (राजभाषा) उपस्थित हुए।

महाप्रबंधक व अध्यक्ष, रा. भा. का. स. श्री एस. के. मित्तल ने सर्वप्रथम सभी सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें राजभाषा हिंदी में काम करने के प्रति प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हम राजभाषा को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए इसके प्रयोग के प्रति हम सब हमेशा सचेत रहें। राजभाषा का बहुलता से प्रयोग करना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है।

उसके पश्चात् पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों और उसमें हुई प्रगति पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

परियोजना में राजभाषा के प्रति रूचि जाग्रत करने के उद्देशय से राजभाषा से संबंधित विषयों पर मासिक प्रतियोगिताओं के आयोजनों, मासिक विभागीय बैठकों के आयोजनों, हिंदी भाषा प्रशिक्षण, कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण, जाँच बिंदुओं पर अनुवर्ती कार्यवाई, प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को हिंदी दिवस के रूप में पालन संबंधी रिपोर्ट प्रेषण, परियोजना में तैनात अशिक्षित कर्मचारियों को साक्षर बनाए जाने संबंधी योजना प्रारंभ किए जाने आदि विषयों के अलावा निगम मुख्यालय की पिछली तिमाही बैठक में लिए गए निर्णयों पर चर्चा की गई और अध्यक्ष महोदय द्वारा उन पर अनुवर्त्ती कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए।

परियोजना की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई और पत्राचार का प्रतिशत बढ़ाए जाने के लिए अध्यक्ष महोदय ने यह निर्देश दिया कि छोटे-छोटे पत्र हिंदी में भेजे जाने के प्रयास किए जाएं और आंतरिक पत्राचार केवल हिंदी में किए जाएं। उसके अलावा बाहर भेजे जाने वाले अंग्रेजी पत्रों के साथ उसका हिंदी रूपांतर भी भेजा जाए। इसके साथ ही साथ धारा 3 (3) के सख्ती से अनुपालन किए जाने के निर्देश दिए गए।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को-दि-गामा, गोवा

राजभाषा हिंदी को यथोचित महत्व देने की दृष्टि से 30 जून, 2005 को समाप्त तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सत्ताईसवीं बैठक दिनांक 30 जुलाई, 2005 को गोशिलि के परिषद् कक्ष में रियीर ऐडमिरल संपथ पिल्लै, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। तिमाही बैठक के दौरान कंपनी के आंतरिक कार्य व्यापार में हिंदी की प्रगति बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की स्थिति की तथा कार्यालय से अग्रेषित हिंदी पत्राचार की विभागवार स्थिति की समीक्षा की गई। राजभाषा विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी रूपरेखा के अनुसार माह सितंबर, 05 में हिंदी सप्ताह मनाने तथा तत्संबंधी हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए प्रतियोगिताएं, हिंदी में कामकाज करने में कर्मचारियों की झिझक दूर करने के लिए हिंदी अनुकूलन और हिंदी अभिमुखीकरण आदि कार्यक्रम के आयोजन पर विचार विमर्श हुआ।

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

करनाल

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 42वीं बैठक दिनांक 29.12.2005 को अपराह्न 2.30 बजे लघु उद्योग सेवा संस्थान, करनाल के सभागार में आयोजित की गई।

अध्यक्ष नराकस श्री सुरेश यादवेंद्र ने मुख्य अतिथि एवं समस्त कार्यालय प्रमुखों का स्वागत किया और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम लोगों को अपना ज्यादा से ज्यादा काम हिंदी में ही करना चाहिए। इसे फाइलों पर हस्ताक्षर से शुरू करना चाहिए और इसके लिए हम लोगों ने पिछली बैठक में निर्णय लिया था। यदि हम अपना काम हिंदी में करेंगे तो झिझक दूर होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

श्री जसंवत सिंह, प्रतिनिधि, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर), गाजियाबाद ने कहा कि यदि कोई नगर समिति अच्छा कार्य करती है तो उसके क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के अधिकारियों की प्रशंसा भी गृह मंत्रालय में होती है। नराकास करनाल के अंर्तगत विभिन्न कार्यालय राजभाषा में अच्छा कार्य कर रहे हैं। यह मुझे यहां पर राजभाषा संबंधी किए गए निरीक्षण के दौरान पता चला और इसके परिणामस्वरूप नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति करनाल को पूरे उत्तर क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है। उन्होंने कार्यालयों की छमाही रिपोर्टों का भी अवलोकन किया।

मुख्य अतिथि श्री विकास नारायण राय, अपर महानिदेशक (हरियाणा पुलिस), हरियाणा सरकार ने कहा कि हिंदी में ईमानदारी एवं बेईमानी दोनों शब्द नहीं हैं ये शब्द अंग्रेजों की देन हैं। हिंदी में सच्चाई एवं सत्यनिष्ठा शब्द हैं। उन्होंने कहा कि समाज इस समय अर्थव्यवस्था की प्रगति के दौरान बढ़ोतरी की ओर बढ़ रहा है और बराबरी की ओर जा रहा है। जहां हम सब को बराबरी की भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा इसके लिए सबसे उपयुक्त भाषा हिंदी ही है। उन्होंने अदालतों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर जो न्याय होता है वह अंग्रेजी में होता है। जो भारत की ग्रामीण जनता समझ नहीं पाती है और इसके लिए उनको एक वकील करना पड़ता है। न्यायिक प्रक्रिया अंग्रेजी में ही चल रही है। इसके लिए उन्होंने बताया कि एक बार ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्ग की बात न्यायाधीश समझ नहीं पा रहे थे तो उन्होंने उनको सलाह दी कि आप एक वकील कर लें, इस पर उस बुजुर्ग ने माननीय न्यायाधीश से कहा कि यदि आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ही वकील क्यों नहीं कर लेते। अतः हमें लोगों की भाषा में कार्य करना होगा। इस अवसर पर साहित्य उपक्रम की ओर से पुस्तकों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। बैठक में राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु 6 बिन्दुओं पर चर्चा भी की गई।

इस अवसर पर वर्ष 2004-05 के दौरान राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों हेतु कार्यालयों के अधिकारियों को मुख्य अतिथि एवं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा शील्ड व प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

मंडी

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति मंडी की सातवीं बैठक दिनांक 24-01-2006 आयकर अपर आयुक्त मंडी श्री सुनील वर्मा की अध्यक्षता में विस्को रिजोर्टस के सभा कक्ष में आयोजित की गई। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक का संचालन श्री आर. पी. शर्मा, सहायक निदेशक (रा.भा.) मुख्य आयकर आयुक्त, कार्यालय, शिमला ने किया।

अध्यक्ष महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह एक बिडंबना है कि आज भी हमें अपनी राजभाषा हिंदी को सही दर्जा देने के लिए इस प्रकार के प्रयत्न करने पड़ रहे हैं लेकिन कड़वी सच्चाई भी यही है कि इन प्रयत्नों के बगैर हम राजभाषा को जीवित और जीवंत शायद न रख पाएं।

व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं की सही और सटीक अभिव्यक्ति अपनी ही भाषा में सहज रूप से कर सकता है। अत: यह नितांत आवश्यक है कि अंग्रेजी भाषा के साथ -2 हिंदी भाषा का भी सही ज्ञान, प्रचार-प्रसार और प्रयोग हो। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया होगा और शत-प्रतिशत लक्ष्य के करीब होंगे। आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप अपना यह प्रयास जारी रखेंगे।

समिति सदस्यों से विचार विमर्श के बाद ज्ञात हुआ कि कुछ कार्यालयों में हिंदी में अच्छा कार्य हो रहा है। वह बधाई के पात्र हैं। कुछ कार्यालयों द्वारा राजभाषा नियम एवं अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है। वह इस ओर पर्याप्त ध्यान दें तथा राजभाषा नियम/अधिनियम एवं संसदीय समिति के निदेशों का किसी भी स्तर पर उल्लंघन न हो।

डलहौजी

30-12-2005 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, डलहौजी की दूसरी छमाही बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डलहौजी व बनीखेत स्थित केंद्र सरकार के लगभग 20 कार्यालयों/स्कूलों/उद्यमों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का शुभारंभ कार्यपालक निदेशक महोदय के स्वागत के साथ हुआ। श्री दिनेश त्रिपाठी, प्रमुख (भू-विज्ञान) एवं प्रभारी (राजभाषा) ने सर्वप्रथम राजभाषा हिंदी संबंधी एक संक्षिप्त प्रेजेन्टेशन के माध्यम से सभी सदस्य कार्यालयों को राजभाषा नीति, राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंधों, राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा नियम 1976 की जानकारी दी तथा इसके साथ ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजभाषा को व्यवसाय, व्यापार, सूचना एवं प्रसारण की भाषा के रूप में बढ़ते वर्चस्व के रूप में प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् सभी सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने अपने कार्यालयों में राजभाषा प्रगति के लिए किए जा रहे कार्यों की रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय के सामने प्रस्तुत की। अध्यक्ष महोदय ने सदस्य कार्यालयों को राजभाषा में अधिकाधिक कार्य करने पर बल दिया।

रायपुर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रायपुर की छमाही बैठक दिनांक 28 नबंबर, 2005 को आदरणीय श्री आर. के. शर्मा, आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, रायपुर की अध्यक्षता में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क भवन, टिकरापारा, रायपुर के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। इस अवसर पर श्री सुनील सरवाही, उपनिदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल (म. प्र.)। अपने सम्बोधन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 की भावना का आदर करते हुए हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाने पर जोर दिया। उन्होंने सूचना (प्राप्त करने) का अधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने का जिक्र करते हुए कहा कि इस अधिनियम के लागू हो जाने से राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति हमारी सजगता बढ़ गई है अत: राजभाषा संबंधी प्रावधानों को हमें गंभीरता से लेना है और तद्नुसार कार्यान्वयन का कार्य करना है।

रिपोर्टों की समीक्षा के दौरान उन्होंने हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर एवं राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी कागजातों पर सदस्यों का ध्यान विशेष रूप से दिलाया और अपेक्षा की कि सदस्यगण इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत प्राप्त करने पर समुचित ध्यान देंगे। रिपोर्टों की समीक्षा के समय कुछ कार्यालयों के प्रतिनिधि अनुपस्थित पाए गए जिस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ऐसे कार्यालयों को उनकी तरफ से पत्र लिखा जाए।

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में अध्यक्ष महोदय ने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने सरल हिंदी के प्रयोग पर जोर दिया। उन्होंने राजभाषा नीति को भी उसी गंभीरता से लेने का आग्रह किया जिस गंभीरता से हम अन्य सरकारी नियमों, अधिनियमों आदि को लेते हैं। सदस्य कार्यालयों द्वारा भेजी जाने वाली रिपोर्टों के संबंध में उन्होंने सदस्यों से अपेक्षा की कि वे अपनी रिपोर्टें ठीक समय पर समिति कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें, जिससे उनके संबंध में आवश्यक कार्रवाई समिति कार्यालय द्वारा ठीक समय पर की जा सके।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रायपुर द्वारा प्रकाशित की जाने वाली हिंदी पत्रिका "छत्तीसगढ़ दर्पण" के प्रकाशन पर अपना विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि पत्रिका में प्रकाशित रचनाएं स्तरीय हों एवं उसमें अधिक से अधिक सदस्य कार्यालयों का प्रतिनिधित्व हो।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि पत्रिका के प्रकाशन के संबंध में सदस्य कार्यालयों का हर संभव योगदान मिलेगा।

भुवनेश्वर

भुवनेश्वर नगर राजभाषा-कार्यान्वयन समिति (केंद्रीय सरकारी कार्यालय व उपक्रम) की अर्धवार्षिक बैठक दिनांक 17-11-2005 को राजस्व विहार स्थित आयकर भवन के सम्मेलन कक्ष में वरिष्ठतम आयकर आयुक्त एवं राजभाषा अधिकारी श्री ए. के. बसु, की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

अध्यक्ष महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि किसी देश की पहचान उसकी राष्ट्रभाषा होती है और हमें गर्व है कि हिंदी हमारी राजभाषा है। सभी को इसकी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। बैठक में कम उपस्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने आगामी बैठकों में अधिक सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा द्वितीय एवं तृतीय स्थान के लिए चल-शील्ड प्रायोजित करने की घोषणा की अत्यंत सराहना की एवं उनके प्रति आभार व्यक्त किया। तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा पर सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि लक्ष्य से अधिक कार्य करने वाले कार्यालय तो बधाई के पात्र हैं ही, परंतु जो कार्यालय लक्ष्य से पीछे रह गए हैं उन्हें इस दिशा में हरसंभव प्रयास जारी रखना चाहिए।

शिलचर

32वीं बैठक संयोजक कार्यालय-हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, कछार पेपर मिल, पंचग्राम (असम) के अतिथि गृह में 02 दिसंबर, 2005 को मिल के मुख्य अधिशासी श्री द्विजेंद्र देव अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर श्री अधिकारी ने कहा कि संघ की राजभाषा नीति का आधार भले ही प्रेरणा और प्रोत्साहन है किंतु राजभाषा संबंधी आदेशों-अनुदेशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी के प्रभारी उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री अशोक कुमार मिश्र ने कहा कि प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा नीति के अनुसार पद भरे जाएं ताकि राजभाषा कार्यान्वयन सुचारू रूप से चल सके। इसकी जिम्मेदारी कार्यालय प्रधान की है।

बैठक में उपस्थित भारत सरकार, भारी उद्योग विभाग की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य श्री कुंज बिहारी ग्वाला ने बैठक के मामलों को सलाहकार समिति की बैठक में उठाने का आश्वासन दिया।

हासन

डॉ. सी. जी. पाटिल, अध्यक्ष, नराकास एवं निदेशक, एम.सी.एफ की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन. समिति, हासन की 22वीं बैठक मुख्य नियत्रंण सुविधा में संपन्न हुई। नराकास के तत्वावधान में दिनांक 30 जनवरी 2006 को वर्ष 2004-2005 के दौरान हिंदी में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए अध्यक्ष नराकास/निदेशक, एम.सी.एफ. द्वारा अधिक से अधिक सदस्य कार्यालयों को राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु केंद्र सरकार, बैंक एवं उपक्रम की तीनों श्रेणी में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में तीन-तीन चल-वैजयंती (Rolling Shield) प्रदान की गई। सभी 09 चल-वैजयंती मुख्य नियत्रंण सुविधा, हासन (एम.सी.एफ.) द्वारा प्रायोजित की गई।

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की दिशा में वर्ष 2004-05 के दौरान उत्कृष्ट निष्पादन के लिए केंद्र सरकार की श्रेणी में एम.सी.एफ. को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

अंबाला छावनी

दिनांक 18-01-2006 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अंबाला छावनी की बैठक मंडल रेल प्रबंधक, कार्यालय उत्तर रेलवे, अंबाला छावनी में संपन्न हुई। इस बैठक में अंबाला छावनी व अंबाला शहर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों व बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता श्री राकेश टंडन, मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर रेलवे, अंबाला छावनी ने की। उन्होंने सभी सदस्यों को धारा 3 (3) के कागजात, हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देने तथा मूल पत्राचार शत्-प्रतिशत हिंदी में करने का आग्रह किया। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से आए अनुसंधान अधिकारी (का.), श्री जसवंत सिंह ने नराकास की बैठकों के आयोजन के

उद्देश्य पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात् राजभाषा अधिकारी श्री जितेन्द्र पाल सिंह, ने गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि के बाद सभी मदों के आंकड़ों की समीक्षा की। सभी सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने कार्यालयों में राजभाषा की मदों की प्रगति का विवरण दिया।

श्री ए.के. गुप्ता, अपर मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर रेलवे, अंबाला के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

एलूरु

दिनांक 21-11-2005 को बी.एस.एन.एल. के वेंगी भवन के सम्मेलन कक्ष में श्री एल. अनंतराम, अध्यक्ष, न.रा.का.स. एवं महाप्रबंधक दूरसंचार जिला एलूरु की अध्यक्षता में न.रा.का.स. की द्वितीय बैठक आयोजित की गई।

श्री एल. अनंतराम ने अपने अध्यक्षीय भाषण में, न.रा.का.स. के द्वारा एक हिंदी पत्रिका का प्रकाशन, हिंदी कार्यशाला का अयोजन एवं हिंदी प्रतियोगिताएं चलाना आदि कार्यक्रम मुख्य रूप में करने के लिए कहा। इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने घोषित किया कि न.रा.का.स. के सदस्य कार्यालयों के स्टाफ के लिए बी.एस.एन.एल. की तरफ से हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आपने बताया कि हिंदी कार्यान्वयन विस्तृत रूप से करने के लिए सभी के बीच में परस्पर सहयोग आवश्यक है आपने बी.एस.एन. एल. के निम्न कार्यक्रमों की जानकारी दी।

बी.एस.एन.एल. में हिंदी सम्मेलन एवं संगोष्ठी, दो हिंदी कार्यशालाएं और एक कंप्यूटर कार्यशाला आयोजित किए गए हैं। बी.एस.एन.एल. हिंदी गृह पत्रिका राजभाषा तरंगिणी प्रकाशित हुई। आकाशवाणी विजयवाडा रेडियो केंद्र से बी.एस.एन.एल. स्टाफ द्वारा प्रस्तुत हिंदी सांस्कृतिक कार्यक्रम 'रंगारंग' प्रसारित किया गया।

पटियाला

25.10.05 को नराकास, पटियाला की छमाही बैठक श्री मनजीत सिंह, संयुक्त आयकर आयुक्त, पटियाला रेंज, पटियाला की अध्यक्षता में हुई जिसमें सदस्यों ने राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय उत्तर क्षेत्र, गाजियाबाद से आए श्री रामनिवास शुक्ल, उपनिदेशक कार्यान्वयन ने भाषा के महत्व को बताते हुए कहा कि भाषा हम सब को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। पटियाला नराकास बहुत अच्छा कार्य कर रही है और उसका श्रेय इस समिति के सदस्य सचिव को जाता है। श्री मनजीत सिंह जी ने नराकास स्तर पर प्रकाशित पत्रिका "राजभाषा दर्पण" के प्रवेशांक का विमोचन किया तथा 28 अधिकारियों व कर्मचारियों को पुरस्कार दिए। अध्यक्ष पद से श्री मनजीत सिंह जी ने कहा कि भाषा कि तरक्की तभी हो सकती है जब देश को चलाने वाली सरकार/राजनैतिक सत्ता भाषा के प्रति अपने रवैये को मज़बूत करें। उत्तर भारत के लोगों की अपेक्षा दक्षिण एवं पूर्वी क्षेत्रों के लोग हिंदी अच्छी बोलते और समझते हैं। यदि हम शुद्ध/लच्छेदार भाषा का प्रयोग न करके रोजमर्रा की हिंदी का प्रयोग करेंगे तो हमारा काफी काम हिंदी में हो सकता है। उन्होंने प्रतियोगिताओं में पुरस्कार पाने वाले सदस्यों एवं उनके विभागों के अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि यह समिति गत 23 वर्षों से कार्य कर रही है और यहां आज यह देखा गया है कि कई कार्यालयों में राजभाषा में काम 100 प्रतिशत हो रहा है। वे सभी बधाई के पात्र हैं।

नवी मुंबई

भारतीय कपास निगम के प्रबंध निदेशक श्री सुभाष ग्रोवर की अध्यक्षता में नवी मुंबई नराकास की दूसरी बैठक 21 फरवरी, 2006 को कपास भवन परिसर में आयोजित की गई। इस बैठक में नामित विभिन्न सदस्य कार्यालयों यानि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, बैंकों और उपक्रमों से वरिष्ठ अधिकारी अपने राजभाषा अधिकारियों के साथ उपस्थित हुए। राजभाषा विभाग की ओर से सहायक निदेशक श्री राजेंद्र रावत, हिंदी शिक्षण योजना से श्री करन सिंह और श्री अनंत श्रीमाली ने भी भाग लिया। बैठक में विभिन्न कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गयी तथा पिछले 8 महीनों में नवी मुंबई नराकास के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गयी। इस बैठक में मुख्य रूप से नवी मुंबई और थाणे में हिंदी आशुलिपि और हिंदी टंकण प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध न होने की समस्या पर भी चर्चा की गयी।

बेंगलूर (उपक्रम)

बेंगलूर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) की बैठक और पुरस्कार वितरण समारोह कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड के समुदाय भवन में आयोजित किया

गया । बैठक की अध्यक्षता कुद्रेमुख के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा नराकास के अध्यक्ष श्री पी गणेशन ने की ।

गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के अनुसंधान अधिकारी श्री रामलाल शर्मा जी ने सभी उपक्रमों से प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा की ।

अध्यक्षीय भाषण में श्री पी गणेशन ने कहा कि "एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ । राजभाषा हिंदी हमारी अपनी भाषा है । इसमें काम करने और इसके प्रयोग और विकास करने का दायित्व हम सबका है । यह भावना हमारे मन में स्वंय अपनी इच्छा से आनी चाहिए । हमें सरकारी नियम और आदेश की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए । तभी हमारी भाषा का वास्तविक विकास होगा । नहीं तो हिंदी केवल हमारी तिमाही रिपोर्ट और उसके आकड़ों में फंस कर ही रह जाएगी। हिंदी हमारी भाषा है, यदि हम इसका महत्त्व नहीं समझेंगे, हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा"

उन्होंने बताया कि कई बार समाचार पत्रों में, बैठकों में यह प्रश्न उठाया जाता है कि यू एन ओ (UNO) में हिंदी को स्थान मिलना चाहिए । यह मांग बहुत अच्छी है, मैं भी इससे सहमत हूँ । लेकिन इससे पहले, इसे हमारे अपने घर और दफ्तर की भाषा बनाना है । जब हम अपने घर में, अपने कार्यालय में और अपने देश में राजभाषा हिंदी को स्थापित कर लेंगे, तो कोई कारण नहीं कि UNO या अन्य कोई देश इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता न दे ।

इसके लिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के साथ-साथ स्वयं भी पूरी आस्था और निष्ठा के साथ राजभाषा हिंदी को आगे बढ़ाने का संकल्प लें।

उन्होंने कहा कि मेरी मातृभाषा मलयालम है, लेकिन मैं अच्छी हिंदी जानता हूँ और हिंदी से प्रेम करता हूँ । अपने साथियों के साथ हिंदी में बात करता हूँ । हिंदी में काम करता हूँ । मुझे उस समय बहुत हैरानी होता है जब मैं तो हिंदी में बात करता हूँ और मेरे हिंदी मातृभाषा वाले साथी मुझे अंग्रेजी में उत्तर देते हैं । वे सोचते है कि शायंद अंग्रेजी बोलने से ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा । इस प्रकार की सोच हिंदी के विकास में बहुत बड़ी बाधा है । हमें अपनी मानसिकता को बदलना है । यदि हम अपनी भाषा से सच्चा प्रेम करते हैं तो इसे अपने व्यवहार में लाना है ।

गृह मंत्रालय, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के संयुक्त निदेशक श्री एस. एन. सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज विश्व के विकासशील देश अमरीका, इंग्लैंड भी हिंदी की ओर आकर्षित हो रहे हैं । बाजार की प्रतिस्पर्धा तथा वैश्विक कूटनीति के लिए हिंदी पूरे विश्व की आवश्यकता बनती जा रही है । हिंदी का विकास राष्ट्र के विकास से जुड़ा है । अतः इसमें कोई ठंडापन नहीं आना चाहिए ।

गुवाहाटी (उपक्रम)

दिनांक 30-1-06 की गुवाहाटी (उपक्रम) रिफाइनरी के प्रशिक्षण केन्द्र नूनमाटी में महाप्रबंधक (तकनीकी) श्री पी.एस. देब की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई।

राजभाषा विभाग के अनुसंधान अधिकारी श्री अशोक कुमार मिश्र ने उपस्थित सभी कार्यालय प्रधानों एवं हिंदी अधिकारियों को पूर्वोत्तर के 20 समितियों में से न रा का स (उ) को उत्कृष्ट समिति के रूप में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने हेतु हार्दिक बधाई दी। उन्होंने गुवाहाटी रिफाइनरी के कार्यपालक निदेशक श्री पी. के. चौधरी की भी उनके निस्वार्थ सहयोग तथा कुशल मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार प्रकट किया जिनके तहत गुवाहाटी रिफाइनरी को नराकास (उपक्रम) तथा गुवाहाटी कार्यालय दोनों में ही प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। अपने भाषण में श्री मिश्र ने कहा कि न रा का स एक ऐसा मंच है जहां राजभाषा कार्यान्वयन के तहत आई कठिनाइयों पर चर्चा की जा सकती है।

बैठक के अध्यक्ष श्री पी. एस. देब ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है एक बल है जिससे एक प्रांत के लोगों के साथ अन्य प्रांतों के लोग संपर्क कर सकते हैं। लोगों के हृदय तक पहुंचने के लिए हिंदी ही एक मात्र भाषा है। भारत के अन्य प्रांतीय क्षेत्रों को एकसूत्र में बांधे रखने की भाषा है। उन्होंने यह भी कहा कि भाषा के निरंतर अभ्यास तथा व्यवहार से ही उच्चारण में भी पूर्णता प्राप्त होती है। कार्यालयीन काम के अलावा उन्होंने तकनीकी/विज्ञान आदि उच्च स्तर के मौलिक हिंदी साहित्य रचना या अनुवाद करने पर जोर दिया ताकि उसे गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा "राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना" के

लिये नामित कर सकें। उन्होंने सूचना प्रौदयोगिकी के युग में आधुनिक तकनीकी का हिंदी सॉफ्टवेयर कार्यालय में उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। न रा का स (उ), गुवाहाटी को क्षेत्रीय राजभाषा प्रथम पुरस्कार मिलने पर श्री देब ने सभी सदस्य कार्यालयों को बधाई देते हुए कहा कि इसी सम्मान को बरकरार रखने के लिए आगे भी सामूहिक रूप से प्रयास जारी रखने होंगे।

अंगुल

न.रा.का.स. की सोलहवीं बैठक दिनांक 16-12-2005 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 11.00 बजे नालको नगर स्थित प्रशिक्षण संस्थान के सम्मेलन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री उमा बल्लभ पटनायक, कार्यपालक निदेशक ने की। प्रबंधक संयंत्र के प्रबंधक (राजभाषा) एवं सदस्य-सचिव, नराकास श्री सुदर्शन तराई ने अध्यक्ष तथा उपस्थित विभिन्न कार्यालय से पधारे कार्यालय प्रमुखों एवं नामित सदस्यों का स्वागत किया। अपने स्वागत संभाषण में श्री तराई ने राजभाषा विभाग द्वारा नालकों को सौंपे गए उत्तरदायित्व को सही ढ़ंग से निभाते हुए 1997 से आज तक की यात्रा का वर्णन किया।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री पटनायक ने राजभाषा हिंदी के उज्जवल भविष्य की बात करते हुए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि राजभाषा हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एक सही मंच है। नालकों को सौंपी गई जिम्मेवारी निभाने में हम लोग कभी कसर नहीं छोड़ेंगे।

बालाघाट

बालाघाट नगर के केंद्रीय रेशम बोर्ड के उपनिदेशक श्री देबाशीष दास की अध्यक्षता में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का वर्ष 2005-06 की द्वितीय बैठक दिनांक 27-02-2006 का केंद्रीय रेशम बोर्ड के कार्यालय परिसर में आयोजित हुई। इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने समिति के सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव का परिचय देते हुए हिंदी में अपने शासकीय कार्य करें, जिसका लाभ हमारे देश के हर जन को पहुंचे । सदस्य सचिव श्री के.के. सिंह ने कहा कि हमारा यह उत्तरदायित्व बनता है कि किसी भी स्थिति में हम बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें, ताकि हम हिंदी में काम करके जरुरतमंदों के आर्थिक विकास हेतु सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ नि:स्वार्थ भाव से उन तक पहुंचा सकें। क्योंकि हमारे देश के अधिकांश नागरिक अंग्रेजी भाषा से अनभिज्ञ हैं, जिन्हें अपने कार्य के लिए बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उनका शोषण भी हो सकता है। इस अवसर पर समिति के अधिकांश सदस्यों ने राजभाषा नियम के नियम संख्या 10(4) की जानकारी न होने तथा कार्यालय को उक्त नियम के तहत अधिसूचित करने हेतु आवश्यक प्रपत्र तथा तिमाही हिंदी की प्रगति संबंधी प्रपत्र की मांग की गई। अध्यक्ष महोदय ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस बैठक के कार्यावृत के साथ ही उक्त प्रपत्र उपलब्ध करवाने का भरसक प्रयास किया जावेगा। इसके अतिरिक्त बैठक के दौरान अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे उनके द्वारा अपने सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की जाने वाली हिंदी की प्रगति संबंधी वार्षिक रिपोर्ट नराकास को भी अनिवार्य रूप से माह अप्रैल, 06 के अंत तक उपलब्ध करवाएं, ताकि मूल्यांकन कर चलशील्ड प्रदान करने संबंधी कार्रवाई की जा सके।

हैदराबाद

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) की 22वीं अर्ध-वार्षिक बैठक भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भानूर में दिनांक 14 दिसंबर, 2005 को श्री देवाशीष चौधुरी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मिधानी की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत के कार्यालयों के कर्मचारियों में हिंदी सीखने और इसके इस्तेमाल के प्रति अधिक रुचि और उत्साह है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदी में सरकारी कामकाज करने में कठिनाइयां तो आती हैं परंतु प्रयास करने से ये कुछ ही समय में दूर की जा सकती हैं। अत: बेहिचक सभी को कुछ न कुछ काम हिंदी में निरंतर करते रहना चाहिए।

स्वागत उपरांत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से प्रकाशित पत्रिका "पथिक" का विमोचन श्री देवाशीष चौधुरी द्वारा किया गया। इसके बाद श्री विश्वनाथ झा ने कार्यालयों में हो रहे कामकाज की समीक्षा की और हिंदी की

(शेष पृष्ठ 72 पर)

(ग) कार्यशालाएं

लघु उद्योग सेवा संस्थान, करनाल

दिनांक 17-11-2005 को लघु उद्योग सेवा संस्थान, करनाल में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता संस्थान के श्री सुरेश यादवेंद्र ने की और बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गाजियाबाद के श्री रामनिवास शुक्ल, उपनिदेशक (कार्यान्वयन) पधारे।

श्री शुक्ल ने अपने संबोधन में बताया कि भाषा में जोड़ने की शक्ति है जब वक्ता बोलता है तो वह केवल भाषा नहीं बोलता उसके साथ उसकी संस्कृति और संस्कार भी जुड़े होते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में कोई न कोई भाषा नियोजित करनी होगी। जिस व्यक्ति के पास कोई भाषा नहीं है उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसका कोई व्यक्तित्व नहीं होता। कोई भी भाषा कठिन नहीं होती बल्कि हम लोग शब्दों से परिचित व अपरिचित होते है। यदि हम शब्दों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो वह भाषा हमें सरल लगेगी।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संस्थान के निदेशक श्री सुरेश यादवेंद्र ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा संस्थान हिंदी में काम करने का भरसक प्रयास कर रहा है और हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम अपनी राजभाषा में ही कर रहे है।

दूरदर्शन केंद्र, लखनऊ

'हिंदी में तकनीकी लेखन की समस्याएं और उनके समाधान' विषय पर 27 जनवरी, 2006 को दूरदर्शन लखनऊ के इंजीनियरी अधिकरियों/कर्मचारियों के लिए एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग से संबंधित प्रतिभागियों की शंकाओं और प्रश्नों के समाधान किए गए।

तकनीकी हिंदी लेखन के विशेषज्ञ डॉ. श्रीकृष्ण तिवारी ने पावर-प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से अपने उद्बोधन में इस बात पर बल दिया कि हिंदी को बराबर पठन-पाठन में रखने से तकनीकी क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी दुरुह नहीं मालूम पड़ेगी। डॉ. तिवारी ने भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित एवम् तकनीकी शब्दावली जैसी सहायक सामग्री के महत्व पर भी प्रकाश डाला और कहा कि ऐसे शब्दकोश प्रामाणिक एवं सुपरिभाषित हिंदी समानार्थियों के प्रयोग में सहायक सिद्ध होते हैं।

दूरदर्शन लखनऊ में इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन पहली बार किया गया, जिसमें निदेशक डॉ. अशोक त्रिपाठी एवं अधीक्षण अभियंता श्री विनोद कुमार सहित कई उच्च इंजीनियरी अधिकारियों एवं अधीनस्थों ने कार्यशाला में प्रतिभागिता की। हिंदी अधिकारी सिद्धनाथ गुप्त ने इस दो घंटा अवधि की कार्यशाला की रूप-रेखा तैयार की और उसका संचालन किया।

नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, राजभाषा विभाग, क्षेत्र-II कार्यालय, बनीखेत

क्षेत्र-II कार्यालय, बनीखेत में दिनांक 31-12-2005 को राजभाषा नियमों के अनुपालन में 1 दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में क्षेत्र-II व इसके अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के 20 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला के प्रथम सत्र का आरंभ करते हुए श्री दिनेश त्रिपाठी, प्रमुख (भू-विज्ञान) ने राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंधों, राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा नियम 1976 की जानकारी दी तथा इसके साथ ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजभाषा की व्यवसाय, व्यापार, सूचना एंव प्रसारण की भाषा के रूप में, बढ़ते वर्चस्व के रूप में प्रस्तुत किया। इसके उपरांत दूसरे सत्र में चमेरा पावर स्टेशन से विशेष रूप से आमंत्रित डॉ. देवेद्र तिवारी, वरिष्ठ पर्यवेक्षक (राजभाषा) ने हिंदी व्याकरण, टिप्पण, प्रारूपण, एवं मिलते जुलते शब्दों के पारस्परिक भेद को बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया। तीसरे सत्र में श्री नानक चंद, उप-प्रबंधक (राजभाषा) ने राजभाषा नीति, हिंदी में पत्राचार एवं मानक वर्तनी के संबंधा में विस्तार से प्रकाश डाला। अंत में उपस्थित प्रतिभागियों को श्री एम.के. रैना, कार्यपालक निदेशक क्षेत्र-II ने प्रमाण-पत्र प्रदान किए।

परमाणु ऊर्जा विभाग, भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन, तमिलनाडु

भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन में दिनांक 21-22 दिसबर 2005 को दो पूर्ण दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक श्री एम.एस.एन. शास्त्री ने किया।

इस दो दिवसीय कार्यशाला में कुल 11 व्याख्यान निम्नलिखित विषयों पर आयोजित किए थे। हिंदी व्याकरण, अनुवाद, राजभाषा अधिनिमय 1963, नियम 1976, हिंदी शिक्षण योजना एवं प्रोत्साहन योजनाएं, परमाणु ऊर्जा विभाग की गतिविधियां, सूचना का अधिकार 2005, पेंशन नियम, कार्यालयीन टिप्पणियां, हिंदी पदनाम इत्यादि।

व्याख्याता के रूप में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई से उप स्थापना अधिकारी श्री एस. एम. शिरोनमणि ने पेंशन विषय पर व्याख्यान दिया। तूतीकोरिन नगर स्थित हिंदी शिक्षण योजना के श्री ओ. शिवकुमार ने भी हिंदी शिक्षण योजना विषय पर अपने दो व्याख्यान प्रस्तुत किए।

दूसरे दिन के द्वितीय सत्र में दोनों दिनों में प्रस्तुत किए गए व्याख्यानों के आधार पर एक प्रश्नमंच कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं विजेता प्रतिभागियों को विशेष रूप से आमंत्रित चिकित्सा अधीक्षक श्रीमती वनिता सुबा द्वारा प्रमाणपत्र एवं पुरस्कार वितरण किए गए। कार्यशाला में कुल 15 प्रतिभागी थे।

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)

प्रबंधक/वरिष्ठ प्रबंधक जैसे उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए दिनांक 21-12-2005 को अर्ध-दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों में कार्यरत 19 अधिकारियों ने भाग लिया।

श्री दयाल माथुर, महाप्रबंधक (मानव संसाधन) महोदय ने कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि राजभाषा के विकास से राष्ट्र की उन्नति जुड़ी हुई है। अत: हम सभी का दायित्व है कि स्वयं हिंदी में काम करें व अपने संपर्क में आने वाले कार्मिकों को कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित करके राजभाषा के प्रचार-प्रसार में अपना योगदान दें।

इस कार्यशाला में हिंदी साहित्य के विद्वान, वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार श्री उमा शंकर मिश्र जी ने "हिंदी की दशा व दिशा" पर विचार प्रकट करते हुए कहा कि आज हिंदी का वैश्वीकरण हो चुका है तथा विश्व के अनेक देशों में हिंदी में काम हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाषा का संबंध संस्कारों एवं संस्कृति से है। हिंदी की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि भाषा तीन स्तरों शिक्षा, रोजगार व सूचना प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक है और यह हर्ष का विषय है कि पिछले दशक में हिंदी इन तीनों ही क्षेत्रों में अपना वर्चस्व कायम करने में समर्थ रही है। भारत और विश्व दोनों ही स्तरों पर हिंदी के सामने विकास की असीम संभावनाएं विद्यमान हैं अत: आज आवश्यकता स्वयं को मानसिक रूप से हिंदी में काम करने के लिए तैयार करने व अपने अधीनस्थों को प्रेरित करने की है।

श्री मिश्र ने दूसरे सत्र में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी जानकारी दी तथा प्रतिभागियों से चर्चा के दौरान उनकी विषयगत समस्याओं का समाधान किया।

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र, सहसपुर, देहरादून

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र, सहसपुर, देहरादून में दिनांक 15-12-2005 को एक पूर्ण दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डॉ एम. आर. सकलानी, सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, देहरादून को अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्होंने संघ की राजभाषा नीति तथा कार्यान्वयन पर विस्तार पूर्वक कार्यशाला में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की राजभाषा उसकी अस्मिता की प्रतीक होती है। राजभाषा नीति के अंतर्गत उन्होंने संविधान में राजभाषा की स्थिति स्पष्ट की। राजभाषा अधिनियम-नियमों की जानकारी उन्होंने उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को दी। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभागियों की राजभाषा संबंधी शंकाओं का भी समाधान किया। उन्होंने कहा कि शब्दों के लिए बिना रुके सरल व सुबोध ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो रचे-बसे हुए हैं। उन्होंने आह्वान किया कि हम अंग्रेजी की मानसिकता से दूर रहें और अपनी भाषा का विकास करें।

मुख्य नियंत्रण सुविधा, अंतरिक्ष विभाग, हासन

दिनांक 08 दिसंबर 2005 को प्रशासनिक क्षेत्र के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए कंप्यूटरों के द्विलिपीय संचालन पर एक दिवसीय राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया।

श्री एस.एन. रामकृष्णा, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, एम सी एफ ने कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी होने के नाते सभी का दायित्व है कि हम अपने दैनिक कार्यों में राजभाषा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। अब समय आ गया है कि हम राजभाषा हिंदी के बारे में बातें कम और काम ज्यादा करें। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक मात्र उद्देश्य भी यही है कि कंप्यूटर पर कार्य करते समय आने वाली कठिनाईयों को हम सब मिलजुल कर दूर कर सकें।

कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए डॉ सी.जी. पाटिल, निदेशक, एम.सी.एफ. ने कहा कि, आज का युग कंप्यूटरों का युग है और सरकारी कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य कंप्यूटरों पर किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि कंप्यूटरों पर द्विभाषी रूप में भी आसानी से कार्य किया जा सकता है, केवल आवश्यकता है तो निरंतर अभ्यास की। आपने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपील की कि, वे इस द्विलिपीय कंप्यूटर प्रशिक्षण का भरपूर लाभ उठाएं एवं अपने दैनंदिन कार्यों में इसका अवश्य प्रयोग करें, तब ही यह प्रशिक्षण सार्थक होगा और राजभाषा का प्रचार-प्रसार सही मायने में बढ़ेगा।

कार्यशाला के लिए नामित 50 अधिकारियों/कर्मचारियों ने एकमत होकर कंप्यूटरों के द्विलिपीय संचालन पर आयोजित इस कार्यशाला को अत्यंत ही लाभदायक बताया और समय-समय पर इसके आयोजन का अनुरोध किया।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में हिंदी का कार्य-साधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना सरकारी काम-काज मूल रूप से हिंदी में करने हेतु प्रेरित और प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से दिनांक 06 फरवरी, 2006 से 08 फरवरी, 2006 तक प्रतिदिन दो-दो घंटे की एक तीन दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई।

इस कार्यशाला में राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन को सुचारु बनाने के लिए राजभाषा नीति की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त, रोजमर्रा के काम-काज में हिंदी के प्रयोग में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए हिंदी में टिप्पण एवं आलेखन की जानकारी भी दी गई। आयोजन की दृष्टि से यह कार्यशाला अत्यंत सफल साबित हुई और प्रतिभागियों ने काफी उत्साह से इस कार्यशाला में भाग लिया।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक, आंचलिक कार्यालय-दिल्ली (प्रथम), सिद्धार्थ एन्क्लेव, आश्रम चौक, नई दिल्ली-110014

पंजाब एण्ड सिंध बैंक, आंचलिक कार्यालय, दिल्ली (प्रथम) द्वारा दिनांक 09-12-2005 से 10-12-2005 तक विभिन्न शाखाओं में कार्यरत अधिकारियों हेतु दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन दिल्ली में किया गया।

इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता श्री कृपाल सिंह सदर, आंचलिक प्रबंधक द्वारा तथा मुख्य आतिथ्य श्री एम.एल. गुप्ता संयुक्त सचिव, भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए संयुक्त सचिव, भारत सरकार, श्री गुप्ता ने बैंकों के वर्तमान स्वरूप एवं बदलते आर्थिक परिदृश्य में ग्राहक की आवश्यकताओं एवं राजभाषा हिंदी के योगदान पर सहभागियों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि आज मीडिया युग है और धीरे-धीरे दुनिया बहुत छोटी होती जा रही है, हर कार्य-व्यापार में काफी अधिक प्रतिस्पर्धा है। तदनुसार ही हमें अपने ग्राहक की आवश्यकता को समझते हुए उसकी भाषा का ही प्रयोग करना पड़ेगा तभी हम अपने कार्य के साथ न्याय कर पाएंगे और अपने वर्चस्व को कायम रख पाएंगे। श्री गुप्ता ने आंचलिक प्रबंधक श्री सदर साहब एवं उपस्थित विभिन्न अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक का स्टाफ प्रत्येक क्षेत्र में विशेष महारथ रखता है और किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखने तथा भावी पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपनी भाषा को अपनाना ही होगा, अन्यथा हम अपनी पहचान खो देंगे।

श्री आई.एस. सिद्धू, सहायक महाप्रबंधक ने राजभाषा हिंदी को अपने व्यवसाय से जोड़ने की बात पर बल देते हुए, अतिथि महोदय का धन्यवाद ज्ञापित किया।

दो दिवसीय कार्यशाला में सहभागियों को राजभाषा नीति, बैंकिंग शब्दावली, हिंदी वर्तनी, कामकाजी हिंदी, बैंकों में व्यावहारिक कामकाजी हिंदी, तिमाही प्रगति रिपोर्ट आदि सत्रों पर व्याख्यान एवं अभ्यास के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के सहभागियों की प्रतिक्रिया/प्रश्नावली में दिए गए सुझावों का स्वागत करते हुए अंतिम सत्र में आंचलिक प्रबंधक, श्री सदर साहब ने सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किए।

आकाशवाणी पणजी

20 फरवरी 2006 से आयोजित हिंदी कार्यशाला में सहायक केंद्र निदेशक श्री अनिल श्रीवास्तव ने राजभाषा के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए आकाशवाणी पणजी के स्टाफ की प्रशंसा की। भारत सरकार राजभाषा विभाग के हिंदी प्राध्यापक श्री देवकीनंदन पाठक ने राजभाषा हिंदी संबंधी संवैधानिक उपबंधों राजभाषा अधिनियम, राजभाषा संकल्प, राजभाषा नियम, हिंदी शिक्षण योजना और वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों पर व्याख्यान दिए। आकाशवाणी पणजी के हिंदी अधिकारी श्री खगेश्वर प्रसाद यादव ने हिंदी कार्यशाला का संचालन करते हुए कहा कि जब हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में संत काव्य (भक्ति काल) में मानव प्रेम की भावना को मूल संदेश बनाया गया था लगभग उसी दौरान यूरोपीय साहित्य में मनुष्य की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर बल दिया जा रहा था।

केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे

केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे के कर्मचारीयों को हिंदी में काम करने हेतु प्रेरित तथा मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से दिनांक 13-12-2005 तथा 14-12-2005 को हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला के आंरभ में हिंदी अधिकारी श्री श्रीकांत कुबल ने उपस्थितों का स्वागत करते हुए कार्यशाला का उद्देश्य एवं उसकी रूपरेखा की जानकारी दी। कार्यशाला का आंरभ कार्यालय के संयुक्त निदेशक, श्री फ्रांसिस मैथ्यू, अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वन समिति की अध्यक्षता में औपचारिक उद्घाटन समारोह से हुआ।

श्री श्रीकांत कुबल ने कार्यशाला में अपने व्याख्यान में संगठन तथा पद्धति, राजभाषा नीति, राजभाषा नियम, अधिनियम का पालन, आंकड़े, पत्राचार, मूल टिप्पण-आलेखन पर भारत सरकार की पुरस्कार योजना, सरकारी सेवा में भर्ती और आरक्षण, के प्रकार, पदोन्नति और आचरण नियमावली आदि की जानकारी देते हुए राजभाषा के प्रचार प्रसार में कर्मचारियों की भूमिका की भी जानकारी दी।

कार्यशाला में 18 कर्मचारियों ने भाग लिया, इसमें 1 सहायक, 10 उच्च श्रेणी लिपिक, 6 अवर श्रेणी लिपिक 1 प्रयोगशाला सहायक ने भाग लिया कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों को "हिंदी कार्यशाला" नामक पुस्तिका का वितरण किया गया। इस पुस्तिका में कार्यालयीन कामकाज में उपयुक्त सामग्री जैसे पत्र प्रपत्र, अनुस्मारक आदि के मसौदे और वाक्यांश आदि सम्मिलित किए गए थे। इसके अलावा अनुसंधान शाला से संबंधित पदनाम, प्रभागों/अनुभागों के नाम तथा अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध थी।

मुख्यालय मुख्य अभियंता सेवक परियोजना पिन-931714 द्वारा 99 सेना डाकघर

मुख्यालय में दिनांक 22 से 25 फरवरी, 2006 तक चार दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में सेवक मुख्यालय तथा स्थानीय यूनिटों के 14 कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान हिंदी लिपि, वर्तनी, पत्र, परिपत्र, नोटिंग, अंतर-कार्यालय-टिप्पणी आदि के अभ्यास के साथ पत्र व्यवहार तथा दैनिक कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाक्यांशों का भी अभ्यास कराया गया।

कार्यशाला के समापन समारोह की अध्यक्षता परियोजना के संयुक्त निदेशक (प्रशा.) ने की। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग इस कार्यशाला में बताई गई बातों का उपयोग अपने दैनिक सरकारी काम काज में करें और आप अपने अंदर हिंदी में कार्य करने की इच्छा जगाएं तभी इस प्रकार के आयोजनों को सफल माना जा सकेगा।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जयपुर एयरपोर्ट, जयपुर

जयपुर हवाई अड्डा, पर कर्मचारियों एवं अधिकारियों में हिंदी में कार्य करने में रुचि बनाए रखने के लिए नियमित

रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता रहा है इसी क्रम में विमानपत्तन निदेशक कार्यालय में दिनांक 17-01-2006 से 19-01-2006 तक तीन दिन की अध दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

दिनांक 17-01-2006 को निदेशक विमानपत्तन श्री अरुण तलवाड़ द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यशाला का विधिवत् उद्घाटन किया गया। निदेशक विमानपत्तन ने अपने उद्घाटन भाषण में सभी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। जयपुर कार्यालय के "क" क्षेत्र के होने के कारण इस कार्यालय द्वारा शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करना अपेक्षित है। हिंदी में कार्य करना आसान है, केवल अभ्यास की आवश्यकता है। कार्यालयी कार्यों में हिंदी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। उन्होने आशा व्यक्त की कि सभी प्रतिभागी इस कार्यशाला में पूर्ण मनोयोग से भाग लेंगे तथा हिंदी के प्रयोग के संबंध में आने वाली कठिनाइयों के विषय में व्याख्याताओं से विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे ताकि कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

दिनांक 17-01-06 को इस कार्यशाला में दो व्याख्यान रखे गये। पहला व्याख्यान "राजभाषा नीति" पर स्थानीय व्याख्याता श्री प्रभाशंकर शर्मा, सेवानिवृत राजभाषा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय द्वारा दिया गया। अपने इस व्याख्यान में उन्होंने राजभाषा नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देते हुए राजभाषा नीति के विभिन्न प्रावधानों, नियमों अधिनियमों, के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला।

द्वितीय व्याख्यान "वित्तीय कार्यो में हिंदी का प्रयोग एवं कठिनाइयां" श्री संजीव कुमार प्रबंधक (राजभाषा) द्वारा दिया गया। इस व्याख्यान में उन्होंने वित्तीय कार्यों की प्रकृति, पत्राचार का स्वरूप, पत्राचार में हिंदी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयां एवं निराकरण के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की और प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान किया।

दिनांक 18-01-06 को प्रथम सत्र में "अभियांत्रिकी से संबंधित विभिन्न कार्यों में हिंदी का प्रयोग और उससे संबंधित कठिनाइयों" पर श्री संजीव कुमार, प्रबंधक (राजभाषा) द्वारा व्याख्यान दिया गया। अपने व्याख्यान में उन्होंने अभियांत्रिकी से संबंधित कार्यों के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा करते हुए उनमें हिंदी के प्रयोग के संबंध में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण किया।

दूसरा व्याख्यान श्री के पी तिवारी, प्रबंधक (राजभाषा), भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर द्वारा "सूचना प्राद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग एवं कठिनाइयां" विषय पर दिया गया। जिसमें उन्होंने सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग के बारे में उद्यतन जानकारी दी तथा प्रतिभागियों को कंप्यूटर पर दिन-प्रतिदिन के कार्यालयी कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के बारे में विचार-विमर्श किया उन्होंने इंटरनेट पर हिंदी की विभिन्न वेबसाइटों के बारे में जानकारी दी ताकि प्रतिभागी अपने कार्यालयी कार्य को और बेहतर ढंग से कर सकें।

दिनांक 19-01-06 को श्रीमती प्रीति रानी, वरिष्ठ अधीक्षक (राजभाषा) द्वारा "प्रशासनिक एवं कार्मिक मामलों में हिंदी का प्रयोग/कठिनाइयां" विषय पर व्याख्यान दिया गया। इस व्याख्यान में प्रशासनिक एवं कार्मिक पत्राचार पर चर्चा की गई। हिंदी में टिप्पणी एवं मसौदा लेखन में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली के विषय में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक पत्राचार में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण किया गया।

कार्यशाला का समापन निदेशक विमानपत्तन श्री अरुण तलवाड़ द्वारा सभी प्रतिभागियों को कार्यशाला प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया गया। समापन समारोह के दौरान निदेशक विमानपत्तन ने सभी प्रतिभागियों को अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने को कहा ताकि जयपुर विमानपत्तन पर कार्यालयी कार्यों में और अधिक प्रगति लाई जा सके तथा पूर्ण रुप से लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

अंत में सभी को धन्यवाद देते हुए कार्यशाला संपन्न हुई।

केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट) फाइन आर्ट्स एवन्यू, कोच्चि-682016

सिफनेट मुख्यालय कोच्चि के अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए 16 तथा 17 जनवरी, 2006 को दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसके पहले सत्र में श्रीमती वत्सा मेनन, उप प्रबंधक (रा. भा.), एफ ए सी टी

ने प्रशासनिक शब्दावली तथा हिंदी शब्दों के उद्भव पर चर्चा की। श्री के. के. रामचन्द्रन, सहायक निदेशक (रा.भा.) आयकर विभाग ने कार्यशाला के दूसरे सत्र में वाक्य संरचना तथा टिप्पण आलेखन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। इन दो सत्रों में कुल 18 कर्मचारियों ने बड़ी सक्रियता से भाग लिया ।

सिफनेट इकाई विशाख में 25 तथा 27 जनवरी को हिंदी कार्यशाला चलाई गई। इसके संचालक के रूप में डा. रीता त्रिवेदी, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, विशाख को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने राजभाषा के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर देते हुए टिप्पण-आलेखन तथा हिंदी व्याकरण पर विस्तृत ढंग से व्याख्यान प्रस्तुत किया। इस कार्यशाला में कुल 42 अधिकारी/कर्मचारियों ने भाग लिया और श्री एस. बी. रंगारी, वरिष्ठ अनुदेशक (इ) तथा संपर्क अधिकारी (रा. भा.) के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला का समापन हुआ।

आकाशवाणी, इंदौर

आकाशवाणी, इंदौर में 6 एवं 7 मार्च, 2006 को 20 वीं हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, इस दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध वरिष्ठ पत्रकार तथा बाल मासिक पत्रिका 'देवपुत्र' के संपादक श्री कृष्ण कुमार आस्थाना जी ने मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया उन्होंने 'देश में हिंदी के समक्ष चुनौतियां' विषय पर अपने सारगर्भित उद्बोधन में कहा कि आज देश को स्वतंत्र हुए 58 वर्ष हो गए हैं, शायद ही ऐसा कोई देश हो जो इतने सालों में भी अपनी राष्ट्रभाषा तय नहीं कर पा रहा हो, श्री आस्थाना जी ने कहा कि भारत सदियों से विश्वगुरु रहा है, किंतु थोड़े- से वर्षों की गुलामी में ही हम पश्चिम के रंग में रंग गए उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान और संस्कारों की भाषा बताया और कहा कि हमें अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा को अपनाने की बात महात्मा गांधी और दयानंद सरस्वती जी ने की जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी क्योंकि वे जानते थे कि यही बहुभाषियों की भाषा है और यही राष्ट्रभाषा हो सकती है ।

कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री हरेन्द्र कोटिया, केंद्र निदेशक ने की उन्होंने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में बड़े दुखी मन से चिंता व्यक्त की कि आज हम अपनी भाषा को भ्रष्ट होते हुए तो देख ही रहे हैं, लेकिन आगे हमें इसे नष्ट होते हुए न देखना पड़े । उन्होंने कहा कि आज आर्थिक स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि भाषा के बारे में आदमी ठीक से सोच भी नहीं पा रहा। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने मन में बैठी भाषा की हीनता की ग्रंथि को सुधार लें तो यह अच्छी बात होगी।

उक्त समारोह पश्चात् 'हिंदी में काम करने में आने वाली अनुवाद की समस्याएं और उनका निदान' विषय पर क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन, इंदौर की सहायक निदेशक (राजभाषा) डॉ. चन्द्रा सायता ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया उन्होंने कहा कि अनुवाद का उद्देश्य मुख्यत: एक भाषा के विचारों का दूसरी भाषा में संप्रेषण करना होता है । उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से आग्रह किया कि वे अंग्रेजी सामग्री को पढ़कर व उसे समझकर मौलिक रूप से हिंदी में ही तैयार करने का प्रयास करें क्योंकि हिंदी की अपनी संस्कृति है। जो शब्दश: अनुवाद करने से नष्ट हो जाती है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, मिजोरम राज्य एकक, आईजोल

सुदूर पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य मिज़ोरम की राजधानी आईजोल में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को हिंदी टंकण में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र मिजोरम राज्य एकक के कार्यालय में दिनांक 28 नवंबर, 2005 से दिनांक 02 दिसंबर 2005 तक पांच पूर्ण कार्य दिवसीय हिंदी टंकण कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इसमें महा प्रबंधक दूरसंचार कार्यालय के तीन, दूरदर्शन केंद्र एवं डाक विभाग प्रत्येक से दो-दो और केंद्रीय सीमा शुल्क प्रभाग, जनगणना कार्य निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एवं पुष्पक परियोजना प्रत्येक कार्यालय से एक-एक, इस प्रकार कुल 12 कर्मचारियों को आकाशवाणी केंद्र की हिंदी टंकक श्रीमती रमचुल्लो हमार ने प्रशिक्षण दिया।

कार्यशाला के अंतिम दिन दिनांक 02 दिसम्बर, 2005 को प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रतियोगिता भी रखी गयी, जिसमें महा प्रबंधक दूर संचार कार्यालय की श्रीमती रोचंगलियानी ने प्रथम और दूरदर्शन केंद्र के श्री एफ. एल. रमचुल्लोवा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

(घ) हिंदी दिवस

आयुध निर्माणी, भंडारा

दिनांक 14-09-2005 से 28-09-2005 के दौरान बड़े उमंग, हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ हिंदी पखवाड़ा के रूप में मनाया गया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

दिनांक 29-10-2005 को हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह के अवसर पर पुरस्कार विजेताओं आदि को पुरस्कार व प्रमाणपत्र आदि देने के लिए एक 'हिंदी संगोष्ठी' का आयोजन भी किया गया।

मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र कुमार वरिष्ठ महाप्रबंधक ने आयुध निर्माणी भंडारा में हिंदी में हो रहे कामकाज की प्रशंसा करते हुए अपने संबोधन में कहा कि हिंदी पखवाड़ा का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इस वर्ष हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विविध प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में शामिल होकर इसे सफल बनाने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले वर्षों में भी इसी तरह आप अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। यह अक्सर देखा गया है कि सरकारी सुविधाओं के बावजूद हम हिंदी कार्य निष्पादन में अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाए हैं। समय-समय पर सरकार द्वारा दिए गए आदेशों एवं सुझावों को हम कार्यान्वित करते हैं। परंतु अभी भी हम लक्ष्य से दूर हैं। इसलिए आज से ही हिंदी में कार्य करना प्रारम्भ करें तथा अपने साथियों, सहयोगियों को भी इसके लिए प्रेरित करें। यह आसान भाषा है, सरल भाषा है, सुंदर भाषा है। अत: हिंदी में ही अधिकाधिक सरकारी कार्य करें।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय खान सुरक्षा महानिदेशालय

दिनांक 14 सितंबर, 2005 को मुख्यालय के सम्मेलन कक्ष में श्री राहुल गुहा उप-महानिदेशक मध्य जोन, श्री अनुप विश्वास तथा उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि डा. शिवेश, साहित्यकार एवं भूतपूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष, आर. एस. पी. कॉलेज, झरिया द्वारा दीप प्रज्वलित कर हिंदी पखवाड़े का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर महानिदेशालय के हिंदी अधिकारी ने पखवाड़ा के दौरान आयोजित की जानेवाली विभिन्न प्रतियोगिताओं के बारे में अवगत कराया। महानिदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़ कर भाग लिया।

महानिदेशालय में जनवरी 2005 से सितंबर 2005 तक हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन निदेशक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में किया गया जिसके तहत कुल 100 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विशेष हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

हिंदी पखवाड़ा का पुरस्कार वितरण समारोह 29 सितंबर, 2005 को श्री भास्कर भट्टाचार्जी, महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में किया गया जिसके मुख्य अतिथि श्री अजय शुक्ल, मंडल रेल प्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे धनबाद थे। उनके कर कमलों से पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

पूर्व मध्य रेल मुख्यालय, हाजीपुर में दिनांक 14-9-2005 से 22-9-2005 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया। सप्तांह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।

हिंदी सप्ताह के अंतिम चरण में पुरस्कार वितरण समारोह में अपर महाप्रबंधक व मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री प्रवीण कुमार ने आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे–हिंदी टिप्पण आलेखन, हिंदी निबंध, हिंदी वाक, अधिकारियों की राजभाषा क्विज प्रतियोगिताओं के कुल 30 सफल प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इसके अलावा समारोह में वर्ष के दौरान रेल मुख्यालय,

मंडलों व कारखानों आदि में हिंदी में सराहनीय कार्य करने पर 55 कर्मचारियों को नकद पुरस्कार व प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। कर्मचारियों के अलावा उपर महाप्रबंधक श्री प्रवीण कुमार नें हिंदी में सराहनीय कार्य करने पर 18 अधिकारियों को भी प्रतीक चिह्न व प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया। अधिकारियों में कई उच्च वरिष्ठ अधिकारी जैसे भंडार नियंत्रक श्री बी. के. सिन्हा, मंडल रेल प्रबंधक/समस्तीपुर श्री बी. के. बहमणी, अपर मंडल रेल प्रबंधक/सोनपुर श्री अनिल कुमार अग्रवाल, अपर मंडल रेल प्रबंधक, मुगलसराय श्री अरूण कुमार शर्मा भी शामिल थे।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में अपर महाप्रबंधक श्री प्रवीण कुमार ने हिंदी को सरल व वैज्ञानिक भाषा बताते हुए सरकारी कामकाज में इसका अधिकतम प्रयोग करने और दूसरी भारतीय भाषाओं के आम प्रचलित शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखने का आग्रह किया।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओड़िशा, भुवनेश्वर

दिनांक 14 सितंबर, 2005 से दिनांक 28 सितंबर, 2005 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान कार्यालय के अधिकारी वर्ग एवं कर्मचारी वर्गों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें मुख्य रूप से हिंदी श्रुतलेखन, टिप्पण व प्रारूप लेखन, कविता पाठ, वाद-विवाद, शुद्ध शब्द चयन आदि थे। इसके अलावा श्री आर. एन. चांद द्वारा एक विशेष प्रश्नमंच का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में अधिकारी-कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से साथ भाग लिया। दिनांक 27-9-2005 को कार्यालय के सभी ग्रुप जैसे प्रशासन, निधि, लेखा एवं पेंशन वर्गों के लिए "कार्यालय का आधुनिकीकरण" विषय पर समूह आलोचन का आयोजन किया गया एवं इसमें भी काफी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिए।

पखवाड़े का समापन समारोह 28 सितंबर को वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन) श्री निरंजन बाला की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। श्री निरंजल बाला ने कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसने सारी भारतीय भाषाओं को समेट कर राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त किया है। हिंदी को राजभाषा बनाकर हम अत्यंत गर्व महसूस करते हैं, इस पर कोई संदेह नहीं है।

मुख्य अतिथि ओड़िसा के हिंदी विद्वान डा. शंकर लाल पुरोहित ने अपने उद्बोधन में कहा कि हिंदी सभी भाषाओं से एक माला की तरह जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ भाषाविदों ने भारतीय भाषाओं को अलग-अलग बता कर हिंदी से नाता तोड़ने का प्रयास किया है जो कतई ठीक नहीं । उन्होंने कहा कि सभी भारतीय भाषाएं एक हैं, हिंदी उनसे अलग नहीं है, भाषा तो एक धारा है जो गंगा की तरह निरंतर बहकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रहती है।

आयकर आयुक्त, पटियाला प्रभार, पटियाला

30-8-2005 से 30-9-2005 तक हिंदी मास का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभार स्तर पर हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया, जिसमें विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए दिनांक 30-8-2005 को हिंदी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता, दिनांक 01-9-2005 को कम्प्यूटर पर हिंदी टाइप प्रतियोगिता, दिनांक 5-9-2005 को वर्ग "घ" के कर्मचारियों के लिए हिंदी निबंध प्रतियोगिता तथा दिनांक 8-9-2005 को हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पटियाला के स्तर पर दिनांक 10 व 13 अक्तूबर 2005 को क्रमश: हिंदी निबंध एवं हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिताएं करवाई गई। जिनके लिए पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 25-10-2005 को हुआ।

नराकास, धुबड़ी

धुबड़ी जिले के आलमगंज के पास स्थित केंद्रीय विद्यालय पानबाड़ी के प्रांगण में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस पखवाड़ा के तहत एक समारोह का आयोजन भी किया गया।

उक्त समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य दुलाल चंद्र चट्टोपाध्याय ने की। समारोह में 'हिंदी की उपयोगिता' के बारे में एक वक्तृता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान केंद्रीय विद्यालय पानबाड़ी के गीरीधर को तथा दूसरा स्थान भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रणय राम को मिला।

केंद्रीय विद्यालय पानबाड़ी के सुदर्शन को तीसरा स्थान मिला। तीनों प्रतियोगियों को सभा में पुरस्कृत किया।

नराकास, गुंटूर

दिनांक 28-10-2005 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वाधान में संयुक्त हिंदी दिवस शंकर सम्मेलन कक्ष में अत्यंत वैभव के साथ मनाया गया। इस समारोह की अध्यक्षता श्री टी. भानोजी राव, अध्यक्ष, नराकास एवं महा प्रबंधक, भारतीय कपास निगम लिमिटेड ने की। समापन समारोह में अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में कहा कि अब तक यदि किसी ने हिंदी में काम करना शुरू नहीं किया है तो कल से आप शुरूआत कीजिए। हिंदी में काम करना बहुत आसान है। आप अपने काम की शुरूआत हिंदी में हस्ताक्षर से करें तथा दिन-प्रतिदिन हिंदी में काम करने के अपने लक्ष्य को बढ़ाते जाइए।

मुख्य अतिथि प्राफेसर बालमोहनदास, उपकुलपति, नागार्जुन विश्वविद्यालय ने कहा कि आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय में हाल ही में हिंदी विभाग खोला गया है। हिंदी दिवस संयुक्त रूप से मनाने पर उन्होंने अपना संतोष व्यक्त किया तथा कहा कि हिंदी दिवस कार्यालय से नगर तक राज्य से लेकर राष्ट्र तक तथा विश्व स्तर पर भी मनाया जा रहा है। हिंदी दिवस हिंदी वर्ष तक आगे बढ़ना चाहिए। आगे उन्होंने नराकास के सदस्य कार्यालयों से यह अनुरोध किया कि नागार्जुन विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र ही शुरूआत की जाने वाली विभिन्न हिंदी कक्षाओं की मदद की जाए।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग

दिनांक 14 सितंबर 2005 से 28 सितंबर 2005 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। दिनांक 14 सितंबर 2005 को हिंदी दिवस मनाया गया। श्री वी. एम. पराते, निदेशक ने हिंदी पखवाड़ा का विधिवत् उद्घाटन किया। उन्होंने राजभाषा की महत्ता पर प्रकाश डाला एवं सरकारी कार्य अधिक से अधिक सरल हिंदी में करने पर बल दिया। डा. उमेश कुमार मिश्र, राजभाषा अधिकारी एवं वरिष्ठ भूवैज्ञानिक ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपना अधिक से अधिक सरकारी कार्य हिंदी में करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों; जैसे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी में निबंध लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता एवं टिप्पण/आलेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुल 67 प्रतिभागियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया। दिनांक 28 सितंबर 2005 को हिंदी पखवाड़ा का समापन समारोह संपन्न हुआ। दिनांक 04 अक्तूबर, 2005 को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें श्री त. च. लाहिरी, उपमहानिदेशक ने पुरस्कार विजेताओं का पुरस्कार वितरित किए तथा प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सरकारी कार्य अधिक से अधिक राजभाषा हिंदी में करने का आह्वान किया।

गुजरात डाक सर्किल कार्यालय, अहमदाबाद

गुजरात सर्किल तथा मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, गुजरात सर्किल, अहमदाबाद में 14-9-2005 से 28-9-2005 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया।

सर्किल कार्यालय में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित 7 प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ सांत्वना पुरकार प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रदान करके सम्मानित किया गया।

हिंदी पखवाड़े के दौरान एक दिवसीय विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें विद्वान व्याख्याताओं द्वारा राजभाषा अधिनियम/नियम तथा राजभाषा नीति तथा सविंधान में राजभाषा की स्थिति पर जानकारी प्रस्तुत की गई तथा प्रयोजन मूलक हिंदी, राजभाषा कार्यक्रम, डाक शब्दावली एवं हिंदी में टिप्पणी/मसौदा लेखन का अभ्यास करा कर मूल रूप से हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, इतना ही नहीं अधिकारियों/कर्मचारियों को उसका अनुपालन करने के निर्देश दिए गए और अधिक से अधिक अपना काम हिंदी में ही करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

दिनांक 28-9-2005 को आयोजित पुरस्कार और प्रमाणपत्र वितरण समारोह के अवसर पर सुश्री राधिका दोराईस्वामी, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल ने अपने कर कमलों से पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रदान करके संबको हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर ले. कर्नल श्री डी. के. एस. चौहान, निदेशक महोदय ने अपने उद्वोधन में सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ता अधिकारियों और कर्मचारियों को

बधाई दी और अन्य सभी को धन्यवाद देते हुए हिंदी में अधिक से अधिक काम करने का आह्वान किया।

दूरदर्शन केंद्र, राजकोट

हिंदी के प्रति उत्साह जगाने की दृष्टि से केंद्र में दिनांक 14 सितंबर 2005 से 28 सितंबर 2005 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यालय में निबंध लेखन/अधूरी कहानी/सुलेखन/प्रश्नोत्तरी आदि विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। इन सभी प्रतियोगिताओं में कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया।

दूरदर्शन केंद्र, हैदराबाद

दूरर्शन केंद्र, हैदराबाद की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में दिनांक 19-9-05 से 23-9-2005 तक पांच प्रतियोगिताएँ रखी गई। इन प्रतियोगिताओं में सभी कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया और पुरस्कार भी प्राप्त किए। हिंदी सप्ताह के संदर्भ में पाँच प्रतियोगिताओं के विजेताओं को दिनांक 18-10-2005 को आयोजित समापन समारोह में पुरस्कार वितरित किए गए।

अध्यक्ष महोदय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में बताया कि हिंदी को अपनाएँ और लिखने पढ़ने से न घबराएँ। इसको अपनी बोलचाल की भाषा में ही लिखने का प्रयत्न करें क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है इसीलिए हमें हिंदी को केवल पुरस्कार लेने के लिए नहीं पढ़ना है बल्कि हिंदी का प्रयोग दैनदिन कार्य में करना चाहिए।

दूरदर्शन केंद्र, मुंबई

केंद्र में दिनांक 14-9-2005 से 28-9-2005 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों के उत्साहवर्धन तथा उनमें हिंदी के प्रति अभिरूचि जागृत करने के लिए हिंदी की विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया।

प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पुरस्कार जीतने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए केंद्र के सभागार में दिनांक 27-10-2005 को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता केंद्र निदेशक श्री मुकेश शर्मा जी ने की एवं मुख्य अतिथि के रूप में नवभारत टाइम्स मुंबई के संपादक श्री शचीन्द्र त्रिपाठी ने अपने कर कमलों से विजेता कर्मचारियों को बारी-बारी से पुरस्कार प्रदान किए। मुख्य अतिथि ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदी मात्र एक भाषा नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों के स्वाभिमान एवं उनकी अस्मिता से उसका गहरा संबंध है। गर्व के साथ हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो सके अपने व्यवहार में उसका प्रयोग करना चाहिए। निदेशक महोदय ने अपने संबोधन में सभी कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में संपन्न करने का प्रयास करें। हिंदी में कार्य करने में कोई कठिनाई अथवा झिझक नहीं होनी चाहिए बल्कि यह हमारे आत्मसम्मान एवं आत्मगौरव की बात होनी चाहिए।

आकाशवाणी, राँची

2 सितंबर 2005 को हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

दिनांक 15-9-2005 को राजभाषा पखवाड़ा समापन तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम कार्यालय परिसर में संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक राँची अंचल श्री आर. सुकुमारण नायर तथा विशिष्ट अतिथि उसी बैंक के श्री पी. एन. सिंह उपस्थित थे। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि मैं हिंदीतर हूं और यहाँ इस क्षेत्र में आने से यह भाषा मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन गयी है। उन्होंने कहा कि जिनकी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों एक ही हो, वे बड़े गौरवशाली होते हैं। हिंदी में आप वर्षभर काम करते रहें, यही मेरी शुभकामना है। विशिष्ट अतिथि ने बताया कि आकाशवाणी कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदी भाषा आज भी लोगों के दिलों में खूब रच-बस रही है। कार्यक्रमों के प्रति उनके रूझानों का ग्राफ दिनोंदिन ऊँचाई की ओर ही बढ़ रहा है। अपने अध्यक्षीय भाषण में केंद्र निदेशक श्री बी.के. शुक्ला ने आकाशवाणी की सेवाओं को रेखांकित करते हुए सभी को सलाह दी कि हमारा रहना, ओढ़ना, बिछौना सब हिंदीमय होना चाहिए। जिन प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया और विजयी हुए, उन्हें मुख्य अतिथि के कर-कमलों से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार की राशि क्रमशः 800/-, 500/-, 300/- रुपए तथा साथ में प्रमाण-पत्र भी दिये गए।

आकाशवाणी, नागौर

आकाशवाणी नागौर केंद्र पर दिनांक 14-9-05 से 28-9-05 तक हिंदी पखवाड़े का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस पखवाड़े में केंद्र पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन संपन्न हुआ। जिसमें समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

हिंदी पखवाड़े का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह केंद्राध्यक्ष श्री एस. पी. चावला के मुख्य आतिथ्य में दिनांक 28-9-05 को संपन्न हुआ। प्रतियोगिताओं में विजित प्रतिभागियों को नियमानुसार नकद पुरस्कार और राजभाषा प्रशस्ति-पत्र वितरण किए गए। केंद्राध्यक्ष महोदय ने समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से राजभाषा के प्रमुख दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी कार्यकाज हिंदी में करने का आह्वान किया। अंत में हिंदी अधिकारी ने समस्त उपस्थितजनों का आभार व्यक्त कर इस आयोजन को सफल बनाने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया।

मुख्य अभियंता का कार्यालय (उत्तर-पूर्व क्षेत्र), आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, गुवाहाटी

दिनांक 14-9-2005 को हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। दिनांक 14-9-2005 से 28-9-2005 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई, जैसे हिंदी टिप्पण/आलेखन प्रतियोगिता, हिंदी अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली प्रतियोगिता, हिंदी निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, हिंदी शुद्ध लेखन प्रतियोगिता तथा हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता, जिसमें इस केंद्र के अधिकांश कर्मचारियों/अधिकारियों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया।

दिनांक 28-9-2005 को इस कार्यालय के सभाकक्ष में हिंदी पखवाड़ा समापन/पुरस्कार वितरण समारोह मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गीत एवं नाटक प्रभाग गुवाहाटी के कलाकारों द्वारा सरस्वती वंदना से हुआ। समारोह की अध्यक्षता श्री घनश्याम मुख्य अभियंता (उत्तर पूर्व क्षेत्र), आकाशवाणी एवं दूरदर्शन गुवाहाटी ने की। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा तथा अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा। जिस तरह हम गुलामी की जंजीर को काट कर मुक्त हो गए, उसी तरह अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके एवं अथक परिश्रम करके, विदेशी भाषा अंग्रेजी की दासता से मुक्त होना होगा। उन्होंने कर्मचारियों से आग्रह किया कि आज का उत्साह हमेशा बनाए रखें तथा प्रतिदिन के कार्यालयीन कार्यों में शत-प्रतिशत हिंदी का प्रयोग करें। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय हिंदी संस्थान, गुवाहाटी के क्षेत्रीय निदेशक डा. रवि प्रकाश गुप्ता ने कहा कि अब लोगों की मानसिकता बदल रही है। उन्होंने हिंदी भाषा को बहती हुई जलधारा से तुलना करते हुए कहा कि अब यह किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। इसके पश्चात् मुख्य अतिथि द्वारा पखवाड़ा के अन्तर्गत आयोजित प्रतियोगिताओं के सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम के अंत में श्री ध्रुव नंदा (उप निदेशक अभियांत्रिकी) के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् समापन समारोह संपन्न हुआ।

आकाशवाणी, रत्नागिरी

हिंदी पखवाड़े का आयोजन दिनांक 14-9-2005 से 29-9-2005 तक किया गया। 14 सितंबर अर्थात् हिंदी दिवस के दिन ही इस पखवाड़े का आरंभ इस केंद्र के सहायक केंद्र अभियंता श्री एस.पी. बगाटेजी की अध्यक्षता में किया गया। पखवाड़े के दौरान सात प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। सभी विजयी प्रतिस्पर्धियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पखवाड़े के समापन तथा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 29-9-05 को किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह श्री बगाटेजी तथा कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती सुमेधा फडते के द्वारा संपन्न हुआ।

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए सरकारी कामकाज हिंदी में करके 20000 शब्द पूरे करने के लिए कार्यालय की कनिष्ठ लिपिक श्रीमती उषा भातखंडे को प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नगद पुरस्कार दिया गया।

आकाशवाणी, पटना

दिनांक 14-9-2005 से 28-9-2005 तक की अवधि को हिंदी पखवाड़े के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन

किया गया। 14 सितंबर, 2005 को कार्यालय में केंद्र निदेशक श्री पी. के. मित्र की अध्यक्षता में एक भव्य हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया।

हिंदी साहित्य जगत के जाने माने विद्वान एवं बी. एन. मंडल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. (डॉ.) अमरनाथ सिन्हा ने भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी की स्थिति से सभी को अवगत कराते हुए हिंदी में मूल रूप से कार्य करने पर बल दिया। उन्होंने अनुवादरूपी बैशाखी को छोड़ कर हिंदी में ही सोचने और लिखने पर बल दिया। उपनिदेशक सुश्री परवीन रहमान ने हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े को मात्र समारोही प्रवृति तक सीमित न रखने का अनुरोध किया तथा सभी कार्यालयीन कार्य को हिंदी में निष्पादित करने की अपील की। अंत में अधीक्षण अभियंता श्री एच. के. सिन्हा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि-विज्ञान संस्थान

बाहरी रिंग रोड, सैक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085

दिनांक 12 सितंबर, 2005 से 23 सितंबर, 2005 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया जिसमें नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रशिक्षणार्थियों/ विद्यार्थियों को भी इस पखवाड़े में हिंदी कार्यक्रमों में शामिल किया गया। इस पखवाड़े के दौरान (क) निबंध प्रतियोगिता, (ख) हिंदी भाषण (वाद-विवाद प्रतियोगिता), (ग) टिप्पण/आलेखन और (घ) कम्प्यूटर पर हिंदी टंकण प्रतियोगिता, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

उपर्युक्त प्रतियोगिताओं में काफी संख्या में अधिकारियों/ कर्मचारियों ने भाग लिया जिनमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र, दिनांक 23 सितंबर, 2005 को निदेशक संस्थान, श्री शारदा प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह में प्रदान किए गए।

एअर-इंडिया

ओल्ड एअरपोर्ट, कालिना, सांताक्रुज (पूर्व), मुंबई-400 029

एअर-इंडिया में 1 से 15 सितंबर, 2005 तक बड़ी धूमधाम के साथ हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। एअर-इंडिया का कामकाज हिंदी में करने के लिए आदर्श वातावरण तैयार करने और हिंदी के प्रयोग को सतत् रूप से बढ़ाने तथा कर्मचारियों की राजभाषा हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से इस पखवाड़े के दौरान ओल्ड एअरपोर्ट, एनआइपीटीसी तथा नरीमन पॉइंट पर विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें विभिन्न विभागों के 64 स्टाफ-सदस्यों ने भाग लिया।

30 सितंबर, 2005 को ओल्ड एअरपोर्ट, सांताक्रुज स्थित कैंटीन प्रभाग के रेस्टॉरेंट में एअर-इंडिया के राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे नागर विमानन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य–श्री शीलेश शर्मा तथा नागर विमानन मंत्रालय के निदेशक, राजभाषा–श्री चंद्रभान नारनौली। कार्यक्रम की अध्यक्षता निदेशक, मानव संसाधन विकास–श्री वी. ए. फरेरा ने की। इस पुरस्कार वितरण समारोह में ओल्ड एअरपोर्ट, एनआईपीटीसी तथा नरीमन पॉइंट स्थित विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मचारी काफी संख्या में उपस्थित थे।

इस अवसर पर हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने हेतु लागू की गई एअर-इंडिया की हिंदी कार्यान्वयन पुरस्कार योजना के अधीन वर्ष 2002 तथा 2003 के दौरान हिंदी में सर्वोत्कृष्ट तथा सर्वाधिक कार्य करने वाले विभागों/अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा, विमान में स्पष्ट एवं मधुरतम हिंदी उद्घोषणाओं के लिए पायलटों/विमान परिचारिकाओं को तथा यात्रियों/ग्राहकों के साथ हिंदी में बातचीत करने के लिए ग्राहक संपर्क अधिकारियों और टेलीफोन ऑपरेटरों को पुरस्कृत किया गया। राजभाषा हिंदी के प्रति रुचि रखकर, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के अनुदेशों के बिना अपना नेमी कार्य हिंदी में करने वाले कर्मचारियों को भी इस अवसर पर मौन साधना पुरस्कार देकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। वर्ष 2003, 2004 तथा 2005 के

हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के विजयी अधिकारियों/कर्मचारियों को भी इस अवसर पर नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

जयपुर विमानपत्तन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

दिनांक 14 सितंबर, 2005 से 30 सितंबर, 2005 तक मनाए गए राजभाषा पखवाड़ा कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें नोटिंग एवं ड्राफटिंग/श्रुतलेख/प्रश्नमंच एवं कविता पाठ आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रत्येक प्रतियोगिता में लगभग 50-60 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। कवि प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में राज्यस्तरीय कुछ कवियों को भी आमंत्रित किया गया था, शेष प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में विभागीय अधिकारियों को शामिल किया गया था।

दिनांक 30 सितंबर, 2005 को समापन समारोह में सफल प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरित किए गए। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती मधुलिका बाबल, मार्केटिंग प्रबंधक, इंडियन एयरलाइंस ने कार्यक्रम को अत्यंत उच्च कोटि का बताते हुए कहा कि विजयी प्रतियोगियों की संख्या को देखते हुए यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि जयपुर एयरपोर्ट पर अधिकारियों/कर्मचारियों की हिंदी के प्रति कितनी अभिरुचि है। इस अवसर पर निदेशक विमानपत्तन, श्री अरूण तलवाड़ ने संबोधन में भाग लेने वाले एवं पुरस्कार लेने वाले सभी प्रतियोगियों को बधाई दी तथा उन्होंने आगे भी इसी जोश एवं लगन से हिंदी प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अनुरोध किया।

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला डॉ. होमी भाभा मार्ग, पुणे-411008

दिनांक 8 सितंबर से 14 सितंबर, 2005 की अवधि में हिंदी सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रयोगशाला के स्टाफ हेतु चार प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं।

हिंदी दिवस के अवसर पर दिनांक 14-9-2005 को हिंदी सप्ताह समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बहुभाषाविद् एवं मूर्धन्य विद्वान तथा पुणे विश्वविद्यालय में संत नामदेव अध्यासन पीठ के संस्थापक एवं विभागाध्यक्ष प्रो. अशोक कामत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने प्रयोगशाला की वार्षिक राजभाषा पत्रिका एनसीएल आलोक का लोकार्पण किया। अपने संबोधन में प्रो. कामत ने हिंदी भाषा को बहुत ही सहज एवं सरल बताते हुए उसकी वैज्ञानिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमारी भाषाएँ हमारे सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं। भाषा के माध्यम से ही हम अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को अक्षुण्ण रख सकते हैं। उन्होंने इस संदर्भ में फादर कामिल बुल्के का भी दृष्टांत दिया कि किस तरह उन्होंने तुलसीदास जी की केवल दो पंक्तियों को पढ़ कर अपने जीवन की दिशा बदल दी। प्रो. कामत ने कर्मचारियों विशेष रूप से वैज्ञानिकों का आह्वान किया कि वे अपने दैनंदिन कामकाज के अलावा शोधकार्यों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग करना शुरू करें ताकि आम जनता के साथ उन्हीं की भाषा में संवाद या संपर्क स्थापित किया जा सके।

इस अवसर पर प्रयोगशाला के कार्यवाहक उपनिदेशक, डॉ. भास्कर कुलकर्णी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में हिंदी के प्रति गहन समर्पण भाव प्रदर्शित करते हुए कहा कि हिंदी एक अतीव वैज्ञानिक भाषा है। इसके शब्दों के अर्थ और उनकी व्युत्पत्ति में भी वैज्ञानिकता के दर्शन होते हैं। "सम" शब्द के अर्थ का निरूपण करते हुए उन्होंने कहा कि यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक स्थिति में संतुलन बनाए रखने का प्रतीक है। डॉ. कुलकर्णी ने हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग पर बल दिया और कहा कि हमें अपने दैनंदिन कामकाज में राजभाषा को अपनाकर राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा करनी होगी।

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद

दिनांक 14 सितंबर, 2005 से 'राजभाषा माह', विभिन्न श्रेणियों के लिए हिंदी प्रतियोगिताओं तथा हिंदी कार्यशाला, राजभाषा संगोष्ठी, राजभाषा प्रदर्शनी, राजभाषा समारोह आदि कार्यक्रमों के आयोजन के साथ विशाल रूप में मनाया गया।

दिनांक 3 अक्तूबर से 7 अक्तूबर, 2005 तक अनुसंधान एवं विकास केंद्र में संयंत्र एवं कार्यालय के कर्मचारियों के लिए पांच दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में कर्मचारियों ने सामान्य हिंदी,

व्याकरण, सामान्य आवेदन पत्र हिंदी के माध्यम से कैसे लिखें, आदि विषयों से संबंधित जानकारी प्राप्त की।

राजभाषा समारोह में 'राजभाषा माह' के दौरान मुख्यालय तथा अनुसंधान एवं विकास केंद्र के कर्मचारियों के लिए आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मुख्य अतिथि, डॉ. राधे श्याम शुक्ला ने पुरस्कृत किया। निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, श्री बी. रमेश कुमार ने एनएमडीसी भवन के आसे-पास स्थित विभिन्न केंद्र/राज्य सरकार आदि कार्यालयों के लिए आयोजित प्रतियोगिताओं के विजयी कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किया।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, गोवा

14-9-2005 से 30-9-2005 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान भाषण, निबंध लेखन, अंग्रेजी-हिंदी अनुवाद, टिप्पण-प्रारूप लेखन, हिंदी कविता पाठ, राजभाषा प्रश्नमंच जैसे विषयों पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। जिनमें ज्यादातर अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

14 सितंबर, 2005 को हिंदी पखवाड़ा-2005 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। श्री डी. डी. साहा, कमांडेंट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, गोवा क्षेत्र उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे।

30 सितंबर, 2005 को समापन/पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। श्री तपन कुमार चटर्जी, मुख्य आयुक्त, आयकर विभाग, पणजी समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि थे।

हिंदी पखवाड़े के दौरान राजभाषा हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और पाया गया कि अन्य कार्य दिवसों की तुलना में हिंदी टिप्पण/पत्राचार में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय रेशम बोर्ड, सहसपुर, देहरादून

हिंदी पखवाड़ा 12-9-2005 से 26-9-2005 तक मनाया गया।

14 सितंबर, 2005 को कार्यालय में हिंदी दिवस समारोह भारतीय भाषाओं के सौहाद्र दिवस के रूप में आयोजित किया गया। समारोह में श्री हरिशचंद्र, सेवानिवृत्त, विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग, डी ए वी, पी जी कालेज, देहरादून ने अपने अभिभाषण में कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें सरलता, सहजता व सुबोधता है। स्वतंत्रता के पश्चात् हमारे देश के कर्णधारों ने हिंदी को राजभाषा के रूप में इसीलिए प्रतिष्ठित किया क्योंकि वे जानते थे कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो इस देश को एकसूत्र में पिरो सकती है। हम आज से ही हिंदी में थोड़ा बहुत काम करने की शुरूआत करें तो धीर-धीरे वह स्वयं बढ़ती जाएगी।

हिंदी दिवस समारोह की अध्यक्षता केंद्र के संयुक्त निदेशक डॉ. एस. चक्रवर्ती ने की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा जहां एक ओर राष्ट्र की अस्मिता और गौरव का प्रतीक है वहीं दूसरी ओर यह राष्ट्र को एक सूत्र में बांध रही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी ने देशवासियों एवं क्रांतिकारियों को एकता के सूत्र में बांधा। महात्मा गांधी व अन्य महान नेताओं ने हिंदी भाषा के माध्यम से ही स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन जन-जन तक फैलाया, जिसमें हिंदी ने राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखा। उन्होंने हिंदी दिवस के अवसर पर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे अपना अधिकतर कार्य हिंदी में ही करें इससे राजभाषा के प्रचार प्रसार को और अधिक गति मिलेगी तभी हम इस पावन दिवस को मनाने की सार्थकता सिद्ध कर पाएंगे।

भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, अलीगढ़

भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, अलीगढ़ में हिंदी दिवस 14 सितंबर, 2005 से हिंदी पखवाड़े का विधिवत् शुभारंभ जिला प्रबंधक श्री सुखवीर सिंह द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्जवलन से हुआ। पखवाड़े में संगोष्ठी राजभाषा प्रश्नोत्तरी, हिंदी शब्द ज्ञान, श्रुत लेखन, हिंदी निबंध, आशु-भाषण इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें निगम के अधिकारियों व

कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। दिनांक 30-9-2005 को आयोजित हिंदी कार्यशाला में श्रीमती निर्मला जैन, जिला कार्यालय, आगरा ने आमंत्रित व्याख्याता के रूप में जिला कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालयीन हिंदी से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया। दिनांक 3-11-2005 को आयोजित हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को राजभाषा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

उप क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे

दिनांक 1, से 14 सितंबर, 2005 तक "राजभाषा पखवाड़ा" का आयोजन किया गया।

राजभाषा पखवाड़ा के दौरान हिंदी से संबंधित प्रतियोगिताएं जैसे कि हिंदी निबंध प्रतियोगिता, वाक् प्रतियोगिता, टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता व अंत्याक्षरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

निबंध प्रतियोगिता के विषय थे "विकास की अंधी दौड़ में हम प्रकृति को भूलते जा रहे हैं" व "बच्चों में बढ़ती अपराध की भावना"। "परिवारों को विघटन की ओर ले जाते आज के टी.वी. सीरियल" विषय पर वाक् प्रतियोगिता आयोजित की गई।

सभी प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया व पुरस्कार प्राप्त किए। ■

(पृष्ठ 57 का शेष)

प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को इसके लिए बधाई देते हुए सभी से कहा कि वे इसी प्रकार गंभीरता पूर्वक और उत्साह से काम को आगे बढ़ाते रहें।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री चौधुरी ने हिंदी के कामकाज को खानापूर्ति तक सीमित न रखते हुए सभी वरिष्ठ अधिशासियों और हिंदी अधिकारियों को सुझाव दिया कि इसे व्यावहारिक स्तर पर प्रयोग में लाया जाना चाहिए। रिपोर्टों आदि में भरे जाने वाले आंकड़ों से संतुष्ट न होते हुए उन्होंने कहा कि गंभीरता पूर्वक इसके प्रयोग में आ रही कठिनाइयों को मिल-बैठकर हल करने का प्रयास किया जाए ताकि सभी को इससे लाभ मिल सके। यही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का भी उद्देश्य है।

वडोदरा (उपक्रम)

आठ-नौ जनवरी 2006 को दो दिवसीय सम्मेलन गुजरात रिफ़ाइनरी के कम्युनिटी हॉल में अपनी निर्धारित कार्यसूची के अनुसार सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। सम्मेलन में पश्चिम क्षेत्र-गुजरात, महाराष्ट्र, दमण-दीव, गोआ व दादरा नगर हवेली स्थित उपक्रमों, बैंकों व केन्द्र सरकार के कार्यालयों में सेवारत 200 से अधिक राजभाषा अधिकारियों ने भाग लिया।

सम्मेलन का उद्घाटन संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष माननीय प्रो. रामदेव भंडारी द्वारा किया गया। अपने उद्बोधन में श्री भंडारी ने कहा कि "हिंदी हमारी मां है। जिस प्रकार हम मां की सेवा करते हैं ठीक उसी तरह से हिंदी की सेवा करनी होगी तभी हिंदी आगे बढ़ेगी।"

नराकास के अध्यक्ष गुजरात रिफ़ाइनरी के कार्यकारी निदेशक श्री कल्याण आचार्य ने कहा कि "राजभाषा के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में प्रगति हुई है लेकिन पत्राचार के क्षेत्र में प्रगति अभी आशानुकूल नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन एक सामूहिक जिम्मेदारी है मात्र हिंदी अनुभाग का यह उत्तरदायित्व नहीं है।" ■

संगोष्ठी/सम्मेलन

दिल्ली और उत्तर क्षेत्रीय संयुक्त राजभाषा सम्मेलन, देहरादून

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली और उत्तर क्षेत्र के लिए संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन दिनांक 7-8 मार्च, 2006 को देहरादून में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि उत्तरांचल के महामहिम राज्यपाल श्री सुदर्शन अग्रवाल थे।

दो दिवसीय सम्मेलन के शुभारंभ पर सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय श्री देवदास छोटराय ने मुख्य अतिथि श्री आर.जे. सिंह तथा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू-कश्मीर तथा संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से आए प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए सभी का आह्वान किया कि वे राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए अधिक बढ़-चढ़ कर प्रयास करें।

मुख्य अतिथि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, देहरादून के अध्यक्ष, मुख्य आयकर आयुक्त श्री आर. जे. सिंह ने कहा कि कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। उन्होंने अंग्रेजी की मानसिकता को छोड़कर हिंदी में कार्य करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि हिंदी ने देश के एकीकरण व जागरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। किसी प्रजातांत्रिक देश में जनता और सरकार के बीच भाषा की दीवार नहीं होनी चाहिए। सरकार की मंशा किसी भी प्रांत या व्यक्ति पर हिंदी थोपने की नहीं है बल्कि ऐसी नीति बनाई गई कि सभी अधिकारी और कर्मचारी स्वेच्छा से अपने कार्यालय का काम-काज हिंदी में करें हिंदी की तकनीकी शब्दावली विकसित हो रही है और अब कंप्यूटर पर हिंदी माध्यम से कार्य आसानी से किया जा सकता है।

नराकास हरिद्वार के अध्यक्ष एवं कार्यपालक निदेशक, बीएचईएल, हरिद्वार श्री सुशील कुमार गुप्ता ने कंप्यूटर के क्षेत्र में हिंदी भाषा में तैयार किए जा रह सॉफ्टवेयर की जानकारी दी। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. राय अवधेश कुमार श्रीवास्तव ने विज्ञान के लोकहितकारी पक्ष व खोजी पत्रकारिता पर प्रकाश डाला। डॉ. बुद्धिनाथ मिश्र, मुख्य प्रबंधक, ओ.एन.जी.सी. ने सत्रांत धन्यवाद ज्ञापन किया।

सम्मेलन के दूसरे दिन ओ.एन.जी.सी., देहरादून के मालवीय सभागार में आयोजित संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में उत्तरांचल के महामहिम राज्यपाल श्री सुदर्शन अग्रवाल ने विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि के प्रतिनिधियों को हिंदी में बेहतर कार्य करने के लिए पुरस्कृत कियां इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र की भावना को विकसित करने के लिए संपर्क भाषा के रूप में भी हिंदी भाषा का प्रसार किया जाना जरूरी है। स्वतंत्रता संग्राम में भी स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा पर जोर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं भी तभी प्रभावी होंगी जब शासन का कार्य भी जनता की भाषा में हो। राज्यपाल महोदय ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। मुख्य अतिथि महोदय ने विभाग द्वारा लगाई गई पुस्तक, पत्र-पत्रिकाओं की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और सराहना की।

इस सम्मेलन के दौरान अनुवाद प्रक्रिया संगोष्ठी और प्रख्यात लेखकों द्वारा कविता पाठ का भी आयोजन किया गया। समारोह में उपस्थित सभी प्रतिभागियों और कवियों को संबोधित करते हुए श्री एम.एल.गुप्त, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ने कविता अनुवाद और राष्ट्र के अंत: संबंधों पर प्रकाश डालते हुए राजभाषा हिंदी के विकास के विभिन्न आयामों पर चर्चा की और हिंदी का प्रयोग हर स्तर पर बढ़ाने का आह्वान किया।

सम्मेलन के अंतिम सत्र में डॉ. हरिदत्त भट्ट शैलेश ने "समाज के रचनात्मक विकास में हिंदी साहित्य का

योगदान" विषय पर व्याख्यान देते हुए देश के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को भी टटोला और हिंदी के विकास में अंग्रेजी की मानसिकता को सबसे बड़ी बाधा बताया गया। सम्मेलन समापन के अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन श्री रामनिवास शुक्ल, उप निदेशक (कार्यान्वयन) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा किया गया। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए ओ.एन.जी.सी. तथा नराकास देहरादून के अध्यक्ष और सचिव के प्रति आभार व्यक्त किया।

पेट्रोलियम कंज़र्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, संरक्षण भवन, 10, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

पी.सी.आर.ए. में "ऊर्जा संरक्षण और हिंदी" पर आयोजित संगोष्ठी

दिनांक 13-09-05 को हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर पी.सी.आर.ए. (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक पंजीकृत सोसाइटी) ने "ऊर्जा संरक्षण और हिंदी" पर एक भव्य संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री चंद्रधर त्रिपाठी ने की। कार्यकारी निदेशक, श्रीमती लीना मेहेंदले, आई.ए.एस. ने अपने भाषण में कहा, संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिनांक 13-09-05 को किए गए निरीक्षण के दौरान दिया गया सुझाव कि "पी.सी.आर.ए. जैसी तकनीकी संस्था को तकनीकी और वैज्ञानिक विषयों पर हिंदी में लेख और पुस्तक लिखवाने की दिशा में पहल करनी चाहिए, इसके पीछे प्रेरणा का मूल स्रोत है और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यह संगोष्ठी उसी की शुरुआत है। ऐसी संगोष्ठियां यदि और कोई सरकारी या गैर-सरकारी संगठन आयोजित करता है, तो पी.सी.आर.ए. द्वारा उनकी यथा संभव मदद की जाएगी।" हम चाहते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के विषय को साहित्य के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में स्थान मिले, अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े, ताकि हम अपने उद्देश्य में सफल हों। डॉ. ओमप्रकाश शर्मा ने कहा, अधिकतर गृहणियां अंग्रेजी नहीं जानती, अतः यह जरुरी है कि रसोई में गैस बचाने के सभी संदेश (टिप्स) हिंदी और भारतीय भाषाओं में हों। ऊर्जा, आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा है। श्री आर.के अंथवाल ने कहा, ऊर्जा संरक्षण हमारी संस्कृति में है, किंतु, व्यवहार में नहीं, अतः इसके दुरुपयोग पर अंकुश लगाना चाहिए। वैसे भी ऊर्जा संरक्षण में कुछ श्रम नहीं लगता कृषि वैज्ञानिक डॉ. कृष्णपाल तोमर ने कहा, ऊर्जा का उत्पादन और खपत-दोनों ही कृषि क्षेत्र में हों। कृषि उत्पादों से ऊर्जा उत्पादन हो सकता है।

एयर वाइस मार्शल (सेवानिवृत) श्री विश्वमोहन तिवारी ने अपने ओजस्वी भाषण में कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र "सादा जीवन और उच्च विचार", ऊर्जा-संरक्षण का कारगर हथियार है। हमारी संस्कृति संसार के पदार्थों के मितव्ययता से उपयोग पर बल देती है, जबकि पाश्चात्य सभ्यता भोगवादी है, जो पदार्थों के आवश्यकता से अधिक संग्रह और उपभोग की हिमायती है। हमारे यहां तो ऊर्जा को 'ब्रहम' की संज्ञा दी गई है और पृथ्वी को माता कहा गया है। 'माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या'-वेद। सूर्य और पृथ्वी-दो ऊर्जा के सनातन स्रोत हैं। पानी और वस्त्रों का उपयोग किफायत से करें तो ऊर्जा की बचत होती है जबकि जरुरत से ज्यादा कपड़े रखने में पानी और ऊर्जा की खपत बढ़ती है।

प्रसिद्ध उपन्यासकार और लेखिका मैत्रेयी पुष्पा ने कहा, 'ऊर्जा संरक्षण और हिंदी' दोनों ही विषय अत्यंत महत्व के हैं। 'आदमी की कमाई, जो उसने बचाई' यह प्रसिद्ध लोकोक्ति है। किंतु, पाश्चात्य सभ्यता और खासतौर से अंग्रेजी के हम एक प्रकार से गुलाम हो गए हैं तथा हिंदी और हिंदी माध्यम की पढ़ाई से अपने बच्चों को संक्रामक रोग की तरह बचाते हैं। हिंदी का प्रभुत्व न सही, व्यक्तित्व तो है । यद्यपि भारत में सबसे ज्यादा अखबार हिंदी के निकलते हैं तथा अधिकांश जनता हिंदी समझ लेती और बोलती है किंतु स्वतंत्रता के 58 वर्ष बीत जाने के बाद भी, सर्वत्र अंग्रेजी का बोल-बाला है, कार्यालयों का अधिकतर कार्य अंग्रेजी में होता है। राजभाषा हिंदी को वह स्थान नहीं मिला है, जिसकी वह हकदार है।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री चन्द्रधर त्रिपाठी, पूर्व सचिव, भारत सरकार ने कहा, आज की संगोष्ठी का विषय बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर यह संगोष्ठी हो रही है। इसके संयोजक सचमुच में बधाई के पात्र हैं। मेरी राय में हिंदी दिवस को 'भारतीय भाषा दिवस' कहना ज्यादा ठीक है, क्योंकि हिंदी दिवस भाषा सौहाद्र का दिवस भी है। हिंदी की बात हम एक दिन हिंदी-दिवस के दिन करते हैं, बाकी 364 दिन हिंदी को कोई नहीं पूछता। 1947 में हिंदी का जितना प्रचलन था, आज उससे कम है। हिंदी के लिए जन-आन्दोलन की जरूरत है, क्योंकि जनमानस को बदलने की आवश्यकता है। इसमें साहित्यकारों, लेखकों, हिंदी और राष्ट्र प्रेमियों का योगदान बहुत अधिक हो सकता है।

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, पोर्ट ब्लेयर

"हिंदी कार्यान्वयन और चुनौतियां" पर संगोष्ठी

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, पोर्ट ब्लेयर संस्थान द्वारा विगत 20 जुलाई, 2005 को "हिंदी कार्यान्वयन और चुनौतियां" विषय पर राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। द्वीपों के उप-राज्यपाल महामहिम प्रो. राम कापसे संगोष्ठी के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पोर्ट ब्लेयर के अध्यक्ष श्री राम मिलन मुराव, कंपनी सचिव एवं लेखा अधिकारी, वन एवं बागान विकास निगम लि. ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। महामहिम उप-राज्यपाल ने दीप प्रज्जवलित कर संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने संस्थान की गृह पत्रिका 'प्रयास' के प्रथम अंक का विमोचन भी किया। अपने उद्घाटन भाषण में महामहिम ने संगोष्ठी आयोजन के लिए संस्थान की प्रशंसा करते हुए कहा कि संगोष्ठी का विषय बड़ा सटीक रखा गया। उन्होंने कहा कि हिंदी कार्यान्वयन की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख की है और अगर वे रूचि लेकर इसके कार्यान्वयन को आगे बढ़ाते हैं, तो लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। उन्होंने आगे कहा कि द्वीपों में केंद्र सरकार और प्रशासन के कर्मचारी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत रहे हैं, लेकिन इस दिशा में प्रगति लक्ष्य के अनुरूप तो नहीं, पर संतोषजनक अवश्य हैं। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करते हुए स्वयं में इच्छा शक्ति का विकास कर हम हिंदी को उसके संवैधानिक स्तर पर ला सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री राम मिलन मुराव ने अपने संबोधन में कहा कि संगोष्ठी में मंथन से राजभाषा कार्यान्वयन का मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा ।

संत गाडगेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती

'प्रयोजनमूलक हिंदी और अनुवाद' विषय पर द्वि-दिवसीय राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी

केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधान विकास मंत्रालय, नई दिल्ली एवं स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, संत गाडगेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती के संयुक्त तत्वावधान में द्वि-दिवसीय राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी का 'प्रयोजनमूलक हिंदी और अनुवाद' विषय पर 25 नवंबर को 9.30 बजे उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ।

उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी के संयोजक प्रो. डॉ. शंकर बुंदेले ने अपने प्रस्ताविक संभाषण में कहा कि इस राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी से 'प्रयोजनमूलक हिंदी और अनुवाद' की जटिलतम व अमूर्त संकल्पनाओं को मूर्तगत कर, उन्हें सरल और सर्वग्राह्य बनाया जाना संभव होगा। जिसके परिणामस्वरूप हिंदी रोजी-रोटी व रोज़गार की भाषा बन सकेगी और हिंदी की प्रयोजनीयता स्वयंसिद्ध होगी। समारोह के प्रमुख अतिथि प्रो. डॉ. कृष्ण कुमार गोस्वामी ने व्यवसाय के क्षेत्र में हिंदी भाषा के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि सरकार व राजनीतिज्ञ जब तक दृढ़ संकल्प न लें तब तक इस क्षेत्र में हिंदी भाषा का प्रवेश सफलतापूर्वक संभव नहीं है।

वैसे इस क्षेत्र में कार्यरत लोग भी हिंदी को अपनाने को तैयार हैं। हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी और हिंदी को अपनाना होगा। संविधान में इसका प्रावधान करने से कोई लाभ नहीं, यदि मन से इसे अपनाया जाए तो हिंदी भाषा राजभाषा बन सकती है। उद्घाटन समारोह के विशेष अतिथि डॉ. डी. सी. दीक्षित ने कहा कि इस संगोष्ठी में विभिन्न क्षेत्रों से पधारे सभी सहभागी हिंदी का विकास एवं उन्नति चाहते हैं, जिससे निश्चित ही संगोष्ठी का प्रयोजन सफल हो सकेगा और विश्व में हिंदी अपना महत्वपूर्ण स्थान पा सकेगी। कार्यक्रम के उद्घाटक श्री मिलींद चिमोटे (महापौर अ. म. न.पा. अमरावती) ने संत गाडगेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती हिंदी विभाग की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए यह विभाग बंद होने की कगार पर था, जिसे प्रो. डॉ. शंकर बुंदेले ने जीवनदान देकर फलीभूत किया, जिसका यह राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी प्रमाण है।

उद्घाटन कार्यक्रम में डॉ. समीउल्लाह (अधिष्ठाता, कला संकाय, सं. गा. बा. अ. वि.) ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि हिंदी भाषा एक ऐसा उद्गम है, जिसमें अन्य भाषाएं एक साथ प्रवाहित होती हैं। उर्दू एवं मराठी अन्य सभी भाषाएं नदियों के रूप में इस महानदी में समाहित होती है, जिनका समागम इस संगोष्ठी के रूप में आज हमें दिखायी दे रहा है।

डॉ. मिथिलेश कुमार अवस्थी ने – 'प्रयोजनमूलक हिंदी और अनुवाद' के संदर्भ में कहा कि प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता वस्तुत: तब महसूस हुई जब हिंदी को नए महत्वपूर्ण भाषिक दायित्वों और अभिव्यक्ति के सर्वथा नवीनतम क्षेत्रों से गुजरना पड़ा।

प्रा. नीता सिंह (नागपुर) ने 'प्रयोजनमूलक हिंदी तथा अनुवाद' इस विषय पर शोध-प्रपत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा के समस्त मानक रूपों को अपने में समेटे हुए होती है जिसमें अनिवार्यत: स्पष्टता, एकरूपता, सुनिश्चितता एवं औचित्य का निर्वहन किया जाता है।

प्रो. डॉ. तेजस्वी कट्टीमणि ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में 'प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग' पर प्रकाश डालते हुए अपने अभिभाषण में कहा कि 'आम आदमी ही कर सकता है हिंदी भाषा का विकास'। आज देश में हिंदी की स्थिति बेहतर है और इसका विकास आम आदमी ही कर सकता है, जब तक यह भाषा जन-जन तक नहीं पहुंचेगी, तब तक इसका पूर्णत: विकास संभव नहीं है और सरकार के भरोसे तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि आज उदारीकरण के चलते देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ है और अपना उत्पाद बेचने के लिए उसे भी हिंदी को अपनाना पड़ रहा है। किसी भी भाषा का कभी शुद्ध रूप नहीं रहा। अंग्रेजी का भी शुद्ध रूप नहीं है। उन्होंने बताया कि विभिन्न भारतीय भाषाओं के 2500 नए शब्द इंग्लिश डिक्शनरी में जोड़े गए हैं। साहित्य की क्लिष्ट भाषा के बारे में उनका कहना है कि साहित्यकार की अपनी सोच होती है और वह बेहतर से बेहतर साहित्य लोगों के सामने रखना चाहता है। इस सत्र का संचालन डॉ. अनवर सिद्दीकी ने किया।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून

आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठी-XI का आयोजन

दिनांक 26 दिसंबर, 2005 को संस्थान के गोष्ठी कक्ष में 11वीं आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में संस्थान के वैज्ञानिकों ने हिंदी में शोधपत्रों का वाचन कर अपनी प्रभावपूर्ण प्रस्तुतियां दीं।

संगोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉ. मधुकर ओंकार नाथ गर्ग ने प्रत्येक तिमाही में हिंदी में वैज्ञानिक संगोष्ठियां आयोजित करने के लिए राजभाषा अनुभाग को बधाई देते हुए कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे संस्थान के प्रत्येक प्रभाग/क्षेत्र/समूह आदि से कोई भी ऐसा अछूता अनुभाग नहीं है कि जिसने हिंदी में वैज्ञानिक लेख न लिखा हो। हिंदी में मौलिक विज्ञान लेखन की समस्या पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में काम-काज व लेखन का मूल कारण यह है कि अधिकांश वैज्ञानिकों के अध्ययन तथा कार्य की अधिकता का माध्यम

अंग्रेजी ही है। जिस भाषा में हम सोचते हैं उसी भाषा में स्वत: ही कार्य भी करते चले जाते हैं। हमें उस भाषा में अपनी बात करनी चाहिए जिससे हमारा मंतव्य लोगों की समझ में आ जाए। भाषा का भी मूल यही उद्देश्य है।

संगोष्ठी के संयोजक डॉ. दिनेश चमोला ने वैज्ञानिकों का आह्वान करते हुए कहा कि हिंदी में मौलिक विज्ञान लेखन करना राष्ट्रीय महत्व का कार्य है। हिंदी में विज्ञान लेखन जहां भाषाई स्वाभिमान का प्रतीक है वहीं इस क्षेत्र की उपलब्धियों से जन सामान्य को परिचित कराना भी है।

इस संगोष्ठी में संस्थान के वैज्ञानिकों यथा–डॉ. डी. के. अधिकारी ने 'जैव-प्रौद्योगिकी में चरमरागी जीवाणुओं का उपयोग'; श्री आर. के. चौहान ने 'धातु-कार्बनिक मानक के रूप में हाइड्रोकार्बन-विलेय'; श्री आनंद सिंह ने 'बिटुमिन की उपयोगिता' तथा श्री जसविंदर सिंह ने 'तापीय भंजन का अभिक्रिया अणुगतिकी प्रतिरूपण-उपलब्ध अध्ययनों का विश्लेषण' विषय पर क्रमश: शोध-पत्रों की प्रस्तुतियां हिंदी में दी। संगोष्ठी में संस्थान के वैज्ञानिक, तकनीकी कर्मचारी तथा विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों से आए प्रशिक्षणार्थियों ने भी भाग लिया।

यूको बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, सिलपुखरी, गुवाहाटी

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, गुवाहाटी के सहयोग से यूको बैंक ने 'शिक्षा, सूचना तथा संचार : हिंदी का प्ररिप्रेक्ष्य' विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन दिनांक 25-11-2005 को गुवाहाटी में किया। इस संगोष्ठी में राष्ट्रीय विकास के तीन साधकों क्रमश: शिक्षा, सूचना तथा संचार को हिंदी के परिप्रेक्ष्य में रख कर देखने की चेष्टा की गयी। वक्ताओं ने राय व्यक्त की कि जिसे हम कम जागरूक समझते हैं वह वर्ग भी आज सूचनाप्रिय हो चला है। वह अब अपने गांव-घर के साथ-साथ अपने परिवेश के विषय में भी अनभिज्ञ रहना नहीं चाहता। इस विशाल वर्ग की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी ही एकमेव विकल्प है। संचार के प्राय: सभी साधनों पर विभिन्न हितों के साधक जम गये हैं। ऐसे में लोक-नियंत्रित संचार-साधन की आवश्यकता बढ़ गयी है। संचार की दुनियां में मनोरंजन के लिए हिंदी सबकी पहली पसंद है। पर शिक्षा एवं जन प्रबोधन के लिए हिंदी को अपनी भूमिका निभाने का अवसर अभी तक नहीं मिल पाया है। इस दिशा में पहल की आवश्यकता है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह प्लेस, बंगला साहिब मार्ग, नई दिल्ली-110 001

यूनियन बैंक में कार्यपालकों के लिए राजभाषा संगोष्ठी आयोजित

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कार्यपालक संवर्ग के अधिकारियों के लिए 19-10-2005 को एक राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे माननीय श्री एम. एल. गुप्ता, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, भारत सरकार (गृह मंत्रालय) ने अपने विचारोतेजक, दिन-प्रतिदिन के अनुभूत दृष्टांतों से भरपूर प्रभावोत्पादक व सारगर्भित व्याख्यान व मार्गदर्शन से सभी प्रतिभागियों का मन जीत लिया। यूनियन बैंक के महाप्रबंधक श्री वी. के. ढींगरा ने अपने बैंकिंग अनुभव और ज्ञान को राजभाषा के साथ जोड़ते हुए इस तरह की संगोष्ठी की महत्ता प्रतिपादित की। उन्होंने संगोष्ठी को दिशा देते हुए प्रतिभागियों को इसकी उपयोगिता का लाभ उठाने की उचित सलाह/सूचना प्रदान की।

संगोष्ठी की शुरुआत में यूनियन बैंक के उप महाप्रबंधक श्री एस. सी. सिन्हा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और बैंक में हिंदी कार्यान्वयन की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की। प्रतिभागियों ने सक्रिय प्रतिभागिता करते हुए विषय के साथ भरपूर न्याय किया। महाप्रबंधक श्री वी. के. ढींगरा, उप महाप्रबंधक श्री एस. सी. सिन्हा तथा सहायक महाप्रबंधक श्री एम. सी. राव ने संगोष्ठी में पूरे समय उपस्थित रहकर प्रतिभागियों के साथ विचार-विमर्श किया व उनका उत्साह बढ़ाया। वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा श्री एन. एस. परमार एवं श्री राकेश श्रीवास्तव ने कार्यक्रम का संयोजन किया।

(शेष पृष्ठ 81 पर)

पुरस्कार

आकाशवाणी पणजी में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रध्वज तले राष्ट्रभाषा पुरस्कार

आकाशवाणी पणजी में 26 जनवरी, 2006 गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र निदेशक श्री के. राजन ने राष्ट्रध्वज फहराकर आकाशवाणी, पणजी के छह अधिकारियों/कर्मचारियों को राष्ट्रध्वज तले राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। भारत सरकार राजभाषा विभाग की हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत श्री अनिल श्रीवास्तव, सहायक केंद्र निदेशक को आठ सौ रुपए का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। श्रीमती स्वाती मावजेकर कार्यक्रम सचिव, श्रीमति संध्या वझे, भंडारपाल, श्रीमती रेखा बोगती, आशुलिपिक, श्रीमती सोनिया वेर्लेकर पुस्तकाध्यक्ष (प्रभारी) और श्री राजेन्द्र सावंत, केशियर को तीन-तीन सौ रुपए के नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए । श्री वेणिमाधव बोरकर, सहायक केंद्र निदेशक के द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर ये पुरस्कार दिए गए। अपने उद्बोधन में केंद्र निदेशक श्री के. राजन ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 26 जनवरी, 1950 से भारतीय संविधान लागू किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है। राष्ट्रध्वज तले आज हम राजभाषा हिंदी के लिए सम्मानित कर संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को प्रकट कर रहे हैं।

भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा में राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह

भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा में दिनांक 03-03-2006 को राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया । संयंत्र के कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में कामकाज करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस वित्त वर्ष के दौरान इन प्रतियोगिताओं का आयोजन दिनांक 26 अगस्त, 2005 से 24 सितंबर, 2005 तक किया गया था । विभिन्न प्रतियोगिताओं में 34 कर्मचारियों ने भाग लिया था । इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था ।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए संयंत्र की सहायक निदेशक (रा.भा.) डॉ. रश्मि वार्ष्णेय ने कहा कि इन प्रतियोगिताओं में हिंदी के ज्ञान संबंधी कर्मचारियों के स्तर की झलक सहज ही दिखाई देती है, जो इस तथ्य के प्रति आश्वस्त करती है कि हमारे कर्मचारी संयंत्र के शासकीय कार्यों को राजभाषा हिंदी में बखूबी कर सकते हैं।

संयंत्र के महाप्रबंधक श्री आदित्य भौमिक ने अपने उद्बोधन में कहा कि हर साल 365 दिन काम किया जाता है। फिर भी उत्साहवर्धन के लिए हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है । ये प्रतियोगिताएं स्वस्थ मानसिकता के साथ तथा लाभप्रद होनी चाहिए। इससे हिंदी का प्रचार होना चाहिए और हमारा संयंत्र हिंदी के मामले में प्रतियोगिता के साथ-साथ पूरे परमाणु ऊर्जा विभाग में अग्रणी बने ।

कार्यालय अपर पुलिस, उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, बनतलाब, जम्मू

ग्रुप केंद्र, केरिपु बल, बनतलाब (जम्मू) को राजभाषा (हिंदी) के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर), गाजियाबाद (उ.प्र.) द्वारा वर्ष 2004-05 हेतू 'ग' क्षेत्र की शृंखला में 'प्रथम पुरस्कार' के लिए चयन किया गया व दिनांक 08 मार्च, 2006 को देहरादून (उत्तरांचल) में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन (उत्तर क्षेत्र) में श्री सुदर्शन अग्रवाल, महामहिम राज्यपाल, उत्तरांचल द्वारा एक भव्य समारोह में राजभाषा शील्ड व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। राजभाषा शील्ड श्री योगेन्द्र कुमार माथुर

अपर पुलिस उप महानिरीक्षक व प्रशस्ति पत्र श्री अनूप सिंह निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) द्वारा ग्रहण किए गए । इस अवसर पर श्री देवदास छोटराय, सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार व श्री मदन लाल गुप्त, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग तथा केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों इत्यादि के भारी संख्या में वरिष्ठ अधिकारी और देहरादून शहर के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे ।

नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, गुवाहाटी, क्षेत्रीय कार्यालय

नराकास से प्राप्त राजभाषा शील्ड एवं प्रमाण-पत्र

30 जनवरी, 2006 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की बैठक गुवाहाटी रिफाइनरी के प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित की गई थी । इस बैठक में गुवाहाटी स्थित सभी सरकारी उपक्रमों के कार्यालय अध्यक्ष सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्वोत्तर-क्षेत्र) के प्रभारी उप निदेशक, श्री अशोक कुमार मिश्र तथा हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री वासुदेव सिंह, सहायक निदेशक (भाषा) भी उपस्थित थे।

इस बैठक में सभी सरकारी उपक्रमों द्वारा प्रेषित तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा हुई तथा उसी के आधार पर बैठक में उपस्थित कार्यालयों को राजभाषा (हिंदी) के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा उत्कृष्टता का प्रमाण-पत्र देकर पुरस्कृत किया गया था।

वर्ष 2004-05 के दौरान राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. के गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) की ओर से राजभाषा शील्ड तथा उत्कृष्टता का प्रमाण-पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। यह पुरस्कार नराकास के अध्यक्ष एवं गुवाहाटी रिफाइनरी के महाप्रबंधक श्री पी. एस. देव के कर कमलों से प्रशा. अधिकारी (राजभाषा) डॉ एस. के. सिंह ने प्राप्त किया । ■

"यह हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसके लिए हम सबको महान प्रयत्न करना है।"

—कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, गुजराती विद्वान व राजनेता

"राष्ट्रीय अखण्डता, सांस्कृतिक एकता तथा आपसी सद्भाव के लिए केवल एक ही सम्पर्क भाषा है वह है हिंदी।"

—फादर कामिल बुल्के

प्रशिक्षण

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड तीस्ता चरण-V जल विद्युत परियोजना बालुटार, सिंगताम (पूर्वी सिक्किम)-737134

तीस्ता चरण-V जल विद्युत परियोजना में आयोजित 05 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

तीस्ता चरण-V जल विद्युत परियोजना में दिनांक 13-12-2005 से 17-12-2005 तक केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली के सहयोग से एक 05 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन महाप्रबंधक श्री एस. के. मित्तल ने दीप प्रज्ज्वलित करके किया। इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में व्याख्यान देने के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली से श्री एन. के. चावला, सहायक निदेशक एवं क्षेत्रीय अनुवाद ब्यूरो, कोलकाता से श्री एस. के. पांडेय, अनुवाद व प्रशिक्षण अधिकारी उपस्थित हुए। दोनों राजभाषा संबंधी विविध विषयों पर सारगर्भित व्याख्यान दिए, जिसकी काफी सराहना की गई एवं प्रशिक्षणार्थियों से अभ्यास कार्य कराए गए। इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 25 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री एस. के. मित्तल, महाप्रबंधक ने अपने उद्बोधन से पूर्व परियोजना की राजभाषा अनुभाग द्वारा तैयार की गई "अभ्यास पुस्तिका" का विमोचन किया, उसके पश्चात् उन्होंने राजभाषा के प्रचार प्रसार एवं विकास के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि "प्रशिक्षण निरंतर चलने वाली एक प्रकिया है, जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। हिंदी भाषा हमारे देश के हर तबके के लोग बड़ी आसानी से बोलते हैं, समझते हैं और लिखते हैं। हमारे विचार से यह भाषा एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक समाज को दूसरे समाज से, एक राज्य को दूसरे राज्य से, एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति के साथ-साथ पूरे देश को एक साथ जोड़ने का कार्य करती है। ऐसी बहुपयोगी भाषा हिंदी को जब तक पूर्ण रूप से नहीं जानेंगे तब तक अपने देश के बारे में जानना कठिन होगा"।

आगे उन्होंने अनुवाद प्रशिक्षण के बारे में प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के लिए दोनों भाषाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है, तभी सटीक व सही अनुवाद कार्य हो सकेगा।

इस कार्यक्रम का समापन समारोह दिनांक 17-12-2005 को आयोजित किया गया और उसी दिन प्रशिक्षणार्थियों की एक सांकेतिक जाँच परीक्षा भी ली गई और प्रथम तीन प्रशिक्षणार्थियों को पुरस्कृत किया गया और शेष प्रशिक्षणार्थियों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया।

भारत संचार निगम लि., पुणे

बी. एस. एन. एल. हिंदी फॉर्म एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित सी. डी. का विमोचन

महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडल तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो नई दिल्ली के तत्वावधान में संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण दि. 14-11-05 से 18-11-05 तक क्षेत्रीय दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र चिंचवड, पुणे में संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण के समापन समारोह में बी. एस. एन. एल. हिंदी फॉर्म तथा अन्य उपयोगी सुविधाओं से संबंधित सी. डी. का विमोचन दिनांक 18-11-05 को क्षेत्रीय दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र, चिंचवड, पुणे में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के निदेशक डॉ विचार दास जी के कर कमलों द्वारा तथा वरिष्ठ प्राचार्य एवं उप महाप्रबंधक श्री पी. के. खन्ना की प्रमुख उपस्थिति में किया गया।

इस सी. डी. का निर्माण एवं संपादन महाप्रबंधक दूरसंचार कार्यालय, अहमदनगर के राजभाषा अधिकारी श्री विजय प्रभाकर कांबले ने किया है। इस सी.डी. में बी.एस.

एन.एल. संबंधित उपयोगी फॉर्म, आवेदन पत्र, शब्द संसाधक, फांट, अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश (शब्दिका), राजभाषा नियम, अधिनियम आदेश आदि संकलन उपलब्ध है। इस सी. डी. की सामग्री राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जारी वैब साइट से ली गई है ।

इस सी. डी. के संदर्भ में वरिष्ठ प्राचार्य एवं उप महाप्रबंधक श्री पी. के. खन्ना ने श्री वि. प्र. कांबले के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इससे राजभाषा प्रचार-प्रसार में गति आएगी। उन्होंने अनुरोध किया कि सभी राजभाषा अधिकारियों ने कंप्यूटर पर हिंदी का प्रसार करने हेतु सजग होने की आवश्यकता है। ■

(पृष्ठ 77 का शेष)

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड

राजभाषा विभाग, तेल भवन, देहरादून-248 003

ओएनजीसी स्वर्ण जयंती वर्ष के अन्तर्गत मुख्यालय राजभाषा विभाग की ओर से 14 दिसंम्बर, 2005 को केडीएमआईपीई, देहरादून के लघु सभागार में भारतीय भाषाओं के अंतर्संबंध पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ सांसद एवं साहित्यकार श्री उदय प्रताप सिंह ने की। मुख्य वक्ता गीतांजली बहुभाषीय साहित्यिक समुदाय, बर्मिंघम (यू.के.) के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉ. कृष्ण कुमार ने कहा कि भारत सदियों से एक बहुभाषी देश रहा है। भारतीय संविधान की अपेक्षाओं के अनुसार विभिन्न भाषायी समुदायों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए 'त्रिभाषा सूत्र' बहुत ही उपयोगी था। इसे सबसे पहले दक्षिण ने ही उत्साहपूर्वक अंगीकार किया था। डॉ. लोहिया ने त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन के लिए एक योजना भी बनायी थी, जिसकी उपेक्षा कर दी गई। हिंदी भाषी प्रदेशों ने हिंदी+अंग्रेजी+संस्कृत अपनाकर त्रिभाषा फार्मूले के मूल लक्ष्य की अवहेलना कर दी। दरअसल त्रिभाषा सूत्र में केवल भारतीय भाषाओं को ही स्थान दिया जाना चाहिए था।

अध्यक्ष पद से श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जब तक सरकार की भाषा अंग्रेजी और आम जनता की भाषा हिंदी या अन्य कोई भारतीय भाषा रहेगी, तब तक लोगों को राजनीतिक न्याय नहीं मिल सकता है। भूमंडलीकरण से उपलब्ध सभी नौकरियां 8% अंग्रेजी भाषी बच्चे ले जाएंगे। बाकी 92% बच्चों का जीवन बेरोजगारी, हताशा और अपराध बोध से भरा होगा।

महाधिप्रबंधक एवं प्रमुख, कार्मिक संबंध श्री सुशांत वत्स ने हिंदी के विकास में हिंदीतर भाषी समुदायों और राष्ट्र के कर्णधारों के योगदान की चर्चा की। उन्होंने इस सिलसिले में स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी तथा कलकत्ता नगर की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

महाधिप्रबंधक एवं प्रमुख, मानव संसाधन श्री जय गोपाल चतुर्वेदी ने इस प्रकार की संगोष्ठी के आयोजन पर बल देते हुए कहा कि हमें विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच पाए जानेवाले समान तत्वों की तलाश करनी चाहिए। ■

आदेश-अनुदेश

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च, 2006 का
का.ज्ञा.सं. 11011/2/2006-राभा (अनु.)

कार्यालय ज्ञापन

विषय : मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों पर शुरू की गई हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजनाएं ।

उपर्युक्त विषय पर सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली का दिनांक 09-01-2006 का पत्र इस आशय से संलग्न किया जा रहा है कि इस पत्र में दिए गए सुझावों पर अपेक्षित कार्रवाई की जाए ।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी प्रोत्साहन योजनाओं के तहत पुरस्कृत मौलिक हिंदी पुस्तकों के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा इन पुरस्कृत पुस्तकों की सूची राजभाषा विभाग के अनुसंधान प्रभाग को भी उपलब्ध कराएं ताकि विभाग द्वारा स्तरीय पुस्तकों की सूची बनाते समय इन पुस्तकों को उस सूची में शामिल करके परिचालित किया जा सके।

निदेशक (अनुसंधान)

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग (केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान) कोलकाता
दिनांक 23 नवंबर, 2005 का सं. 2/1/2005-के हि प्रउस/1493 से 1643 तक

विषय :-संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन निगमों, सार्वजनिक, क्षेत्रों, लोक उद्यमों, अभिकरणों आदि के कर्मचारियों के लिए दिनांक 06-01-2006 से 15-12-2006 तक चलाये जाने वाले हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों तथा अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए अन्य पाठ्यक्रमों के साथ-साथ हिंदी टाइपलेखन और हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाता है।

2. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, कोलकाता द्वारा चलाये जाने वाले हिंदी टाइपलेखन एवं हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का वर्ष 2006 (केलेंडर वर्ष) का कार्यक्रम आपको आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है:--

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां	प्रशिक्षण केंद्र का पता
01	हिंदी टाइपलेखन (कंप्यूटर पर)	40 कार्यदिवस	06-01-2006 से 09-03-2006 तक	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान (हिंदी टंकण/आशुलिपि गहन प्रशिक्षण केंद्र), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, कमरा नं.-423, तीसरा तल, 1, कौंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता-700 001.
02	हिंदी टाइपलेखन (कंप्यूटर पर)	40 कार्यदिवस	10-03-2006 से 10-05-2006 तक	
03	हिंदी टाइपलेखन (कंप्यूटर पर)	40 कार्यदिवस	05-06-2006 से 28-07-2006 तक	
04	हिंदी आशुलिपि (टंकण कंप्यूटर पर)	80 कार्यदिवस	22-08-2006 से 15-12-2006 तक	

3. इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में निम्नांकित कर्मचारी नामित किए जा सकते हैं :--

(क) प्रोबेशनर

(ख) उन स्थानों के कर्मचारी जहां हिंदी टंकण या आशुलिपि का कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं है ।

(ग) शिफ्ट ड्यूटी पर काम करने वाले कर्मचारी।

(घ) अन्य कर्मचारी जिनके लिए कार्यालय यह समझते हैं कि उनको पूर्णकालिक प्रशिक्षण देना लाभदायक होगा ।

4. ये पाठ्यक्रम पूर्णकालिक हैं और प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इन पाठ्यक्रमों की विषय वस्तु वही है जो हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निर्धारित हैं। प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षार्थी प्रातः 9.30 से सायं 6.00 बजे तक प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं । पाठ्यक्रम के अंत में प्रशिक्षार्थियों की परीक्षा हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षा स्कंध द्वारा ली जाती है । सफल प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं । केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो अधिक अंक प्राप्त करते हैं (टाइपलेखन में 90 प्रतिशत या अधिक और आशुलिपि में 88 प्रतिशत या अधिक) संबंधित नियमों के अधीन विहित शर्तें पूरी करने पर अपने कार्यालयों द्वारा नकद पुरस्कार के पात्र होंगे।

5. केंद्र सरकार के निगमों/उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि को प्रति कर्मचारी 50 (पचास) रुपये की दर से परीक्षा शुल्क देना होता है। परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट द्वारा दिया जायेगा जो कि "उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली" के नाम से देय होगा।

6. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान, कोलकाता में प्रशिक्षणार्थियों के लिए भोजन एवं आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

7. इन पाठ्यक्रमों के लिए अर्हताएं निम्न प्रकार हैं :--

(क) हिंदी टाइपलेखन

1. सभी अवर श्रेणी लिपिकों एवं अंग्रेजी टंककों के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।
2. यू.डी.सी., हिंदी सहायकों एवं हिंदी अनुवादकों को भी स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है।
3. शैक्षणिक योग्यता :-हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य परीक्षा जैसे प्राज्ञ आदि उत्तीर्ण हों। दिनांक 27-10-1980 के राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.-14016/17/88-रा.भा. (घ) के अनुसार हिंदी टंकण के प्रशिक्षण के लिए उन सभी कर्मचारियों को जिनकी शैक्षणिक योग्यता हिंदी के साथ मिडिल अथवा समकक्ष परीक्षा जैसे प्रवीण आदि उत्तीर्ण हों, को भी प्रवेश दिया जा सकेगा।

(ख) हिंदी आशुलिपि

1. सभी वर्ग के आशुलिपिकों, पी.ए., सीनियर पी.ए. के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।
2. कक्षाओं में स्थान उपलब्ध होने पर ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों/टाइपिस्टों, जो हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टाइप परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा संबंधित कार्यालय यह प्रमाण-पत्र दें कि उनका यह प्रशिक्षण जनहित में है, को भी प्रवेश दिया जा सकता है।
3. शैक्षणिक योग्यता :--हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे प्राज्ञ आदि उत्तीर्ण हो।

8. प्रशिक्षण क्षमता का पूरा लाभ उठाया जा सके इसलिए केवल उन्हीं कर्मचारियों को नामित किया जाए, जिन्हें निश्चित रूप से प्रशिक्षण के लिए कार्यमुक्त किया जा सके। प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को लंबी अवधि का अवकाश स्वीकृत करना संभव नहीं होगा। सत्र के दौरान किसी कर्मचारी को ऐसा स्थानांतरण न किया जाए जिससे उसके प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद किसी भी कर्मचारी को सत्र के मध्य से वापस बुलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

9. आपसे अनुरोध है कि अपने प्रतिभागियों के नाम पाठ्यक्रम आरंभ होने से कम-से-कम एक महीना पहले केंद्र के सहायक निदेशक को भिजवा दें एवं उनके प्रवेश की पुष्टि प्राप्त होने पर ही उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए, पाठ्यक्रमों के लिये नामित कर्मचारियों को प्रशिक्षण आरंभ होने के दिन प्रशिक्षण केंद्र पर प्रातः 9.30 बजे उपस्थित होने के निर्देश भी दे दें परंतु यदि किसी अवर श्रेणी लिपिक को आशुलिपिक पाठ्यक्रम के लिए नामित किया जाता है तो उनके प्रवेश की पुष्टि प्राप्त होने पर ही उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए।

10. पाठ्यक्रम में प्रवेश 'प्रथम आओ-प्रथम पाओ' के आधार पर दिया जाएगा।

उप निदेशक (पूर्व)

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो राजभाषा विभाग : गृह मंत्रालय नई दिल्ली का दिनांक 10-1-2006 का सं. 10-14/2006-प्रशि. केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा वर्ष 2006-2007 में आयोजित किए जाने वाले अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों का केलेंडर

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का नाम	लक्ष्य	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की समयावधि	परीक्षा की तारीख	प्रशक्षिण केंद्र
1.	त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	16 कार्यक्रम 360 प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष	पहली तिमाही (1अप्रैल, 2006 से 30 जून, 2006 दूसरी तिमाही) (1 जुलाई, 2006 से 30 सितंबर, 2006) तीसरी तिमाही (1 अक्तूबर, 2006 से 31 दिसंबर, 2006) चौथी तिमाही (1 जनवरी, 2007 से 31 मार्च, 2007)	सत्र की समाप्ति	1. नई दिल्ली 2. बेंगलूर 3. कोलकाता 4. मुंबई
2	21 दिवसीय विशेष अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम	2 कार्यक्रम 30 प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष	पहली छिमाही (अप्रैल 2006 से सितंबर 2006) 1 कार्यक्रम दूसरी छिमाही (अक्तूबर 2006 से मार्च 2007) 1 कार्यक्रम	कार्यक्रम की समाप्ति	किसी भी कार्यालय/नगर में, जहां से मांग प्राप्त होती है।
3.	5 दिवसीय संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम	16 कार्यक्रम 400 प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष	पहली तिमाही (अप्रैल 2006 से जून 2006) 4 कार्यक्रम दूसरी तिमाही (जुलाई 2006 से सितंबर 2006) 4 कार्यक्रम तीसरी तिमाही (अक्तू. 2006 से दिसंबर 2006) 4 कार्यक्रम चौथी तिमाही (जनवरी 2007 से मार्च 2007) 4 कार्यक्रम	कोई परीक्षा नहीं	किसी भी कार्यालय/नगर में, जहां से मांग प्राप्त होती है।

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का नाम	लक्ष्य	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की समयावधि	परीक्षा की तारीख	प्रशिक्षण केंद्र
4.	उच्चस्तरीय अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	3 कार्यक्रम 45 प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष	05-06-2006 से 09-06-2006 09-10-2006 से 13-10-2006 05-02-2007 से 09-02-2007	कोई परीक्षा नहीं	नई दिल्ली (मुख्यालय)
5.	पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	3 कार्यक्रम 45 प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष	17-04-2006 से 21-04-2006 07-08-2006 से 11-08-2006 04-12-2006 से 08-12-2006	कोई परीक्षा नहीं	नई दिल्ली (मुख्यालय)

टिप्पणी :

1. त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में हिंदी अनुवादकों के अतिरिक्त वे कर्मचारी भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जो अनुवाद कार्य या राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े हों और जिन्हें हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का स्नातक स्तर का ज्ञान हो ।
2. 21 कार्य-दिवसीय विशेष अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और 5 दिवसीय संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन अलग-अलग कार्यालयों की मांग पर उन्हीं के कार्यालयों में जाकर प्रशिक्षार्थियों की उपलब्धता और कार्यालयों की सुविधा के अनुसार किया जाता है।
3. 5 दिवसीय संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और 21 कार्य-दिवसीय विशेष अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनुवाद कार्य अथवा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े हुए अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने स्नातक स्तर तक हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाएं पढ़ी हों ।
4. उच्चस्तरीय/पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण अनुवादकों/हिंदी अधिकारियों/राजभाषा अधिकारियों तथा उनसे ऊपर के अधिकारियों के लिए आयोजित किए जाते हैं ।
5. छात्रावास की व्यवस्था केवल नई दिल्ली और कोलकाता में हैं, जिसके लिए प्रतिमास 300 रु. सेवा प्रभार देय होते हैं। भोजन व्यय प्रशिक्षार्थी स्वयं वहन करते हैं तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं ब्यूरो उपलब्ध कराता है।
6. समस्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अंतर्गत दिया जाने वाला प्रशिक्षण नि:शुल्क है। अत: शिक्षा शुल्क अथवा परीक्षा शुल्क के रूप में कोई शुल्क नहीं लिया जाता ।
7. संपर्क सूत्र :

उत्तरी क्षेत्र	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, 8वां तल, बी-ब्लॉक, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कांपलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 दूरभाष : 24362025, 24362151, 24362988	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो छात्रावास, क्वार्टर सं. 876 से 890 सेक्टर-7, पुष्प विहार, नई दिल्ली-110017 दूरभाष : 26862873
दक्षिणी क्षेत्र	अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, 5वां तल, केंद्रीय सदन, डी-ब्लॉक, 17वां मेन, दूसरा ब्लॉक, कोरमंगला बेंगलूर-560 034 दूरभाष : 25537952, 25531946	छात्रावास उपलब्ध नहीं है।
पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र	अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, 67-बी, बालीगंज, सर्कुलर रोड, कोलकाता-700 019 दूरभाष : 22476799, 22406043	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, छात्रावास, 67-बी, बालीगंज, सर्कुलर रोड, कोलकाता-700 019 दूरभाष : 22476799, 22406043
पश्चिमी क्षेत्र	अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र, कामर्स हाउस, तीसरा माला, बेलार्ड एस्टेट, करीमभाई रोड, मुंबई-400 001 दूरभाष : 22619478, 22611823	छात्रावास उपलब्ध नहीं है।

निदेशक

(उपयोगी पूर्व कार्यालय ज्ञापन)

[सं. 11034/7/77-अ. वि. एकक]

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली-110001 दिनांक 13 दिसंबर, 1978 22 अग्रहायण 1900

कार्यालय ज्ञापन

विषय :–भारत सरकार द्वारा हिंदी में प्रकाशित की जाने वाली पत्र पत्रिकाओं को और अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाना ।

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग के सचिव तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार श्री रमाप्रसन्न नायक की अध्यक्षता में 5-9-77 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों की सूचना सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजते हुए यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने प्रकाशनों में केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वेस्ट ब्लाक-7 रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित "देवनागरी-विकास, परिवर्धन और मानकीकरण" में दी गई वर्णमाला, वर्तनी (स्पेलिंग) आदि का ही प्रयोग करें। उनसे यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने अधीन कार्य कर रहे सरकारी प्रेसों तथा फाउंडरी वालों को ऐसा निदेश दें जिससे वे मानक वर्णमाला के अनुसार नए टाइप फेसों की व्यवस्था शीघ्र करें और अपने प्रकाशनों में केवल उन्हीं का प्रयोग करें। किन्तु ऐसा लगता है कि संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों ने इस विषय की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

सभी मंत्रालयों/विभागों से पुन:अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्णय के अनुसार समुचित कार्रवाई करें और इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत कराएं।

विष्णु स्वरूप सक्सेना,
उप सचिव, भारत सरकार

पाठकों के पत्र

राजभाषा भारती का अंक 109 अति रोचक, ज्ञानवर्धक, उपयोगी सिद्ध हुआ है । इस त्रैमासिकी का यह अंक साहित्यिक विविधताओं, विभिन्न रचनाकारों, के निजी अनुभवों तथा उनकी उत्कृष्टतम भावनाओं का सजीव दर्पण है। त्रैमासिकी के इस उत्कृष्ट सम्पादन तथा राजभाषा भारती पत्रिका के इस अंक की उपलब्धता के लिए आप सभी सौहार्दपूर्ण बधाई के पात्र हैं।

गुलशन लाल चोपड़ा,
उप निदेशक (रा.भा.)
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली

अंक 109 में आपने राजभाषा के विविध पक्षों, चिंतन, साहित्यकी, संस्कृति, विज्ञान पत्रकारिता, पर्यावरण के साथ ही पुरानी यादें-नए परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत डा. पीतांबरदत्त वडथ्वाल पर सामग्री देकर अच्छा एवं सराहनीय कार्य किया है। भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले भाषाविदों एवं रचनाकारों-आलोचकों पर सामग्री देने का सिलसिला जारी रखें । क्षेत्रीय भाषाओं व बोलियों के बारे में ऐसे प्रयास की अपेक्षा है ।

देवेंद्र उपाध्याय,
सी-7/18 ए, लारेंस रोड, दिल्ली-110035

'राजभाषा भारती' के अप्रैल-जून, 2005 का अंक में प्रकाशित सभी रचनाएँ उपादेय व ज्ञानवर्धक हैं। पत्रिका से भारत भर में फैले केंद्रीय कार्यालयों में हुई/हो रही हिंदी की प्रगति का भी पता चलता है। पत्रिका के सफल संपादन के लिये संपादक व उनके सहयोगी बधाई के पात्र हैं।

गजानंद गुप्त,
मंत्री
राष्ट्रभाषा प्रचार परिषद् 19-3-946, शमशीरगंज, हैदराबाद-500 053 (आँ.प्र.)

'राजभाषा भारती', अप्रैल-जून 2005 अंक की विविधता मुझे अच्छी लगी । कारण यह है कि जिस तरह भारत की संस्कृति 'विविधता में एकता' का संदेश देती है, उसी तरह किसी भी पत्रिका में विषय-वस्तु की विविधता उसके पाठकों को एकता का संदेश देती है। अतः एक ही अंक में विविध विषयक लेख तथा अन्य सामग्री जुटाने और प्रकाशित करके पाठकों तक पहुंचाने के लिए आपको विशेष बधाई ।

डा० वीरेंद्र सक्सेना,
6118/4, पाकेट डी-6, वसंतकुंज, नई दिल्ली-110070.

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी राजभाषा भारती का 109वां अंक (अप्रैल-जून 2005) के भीतर स्थाई स्तंभों के अतिरिक्त डॉ. पीताबंर दत्ता बड़थ्वाल तथा धर्मवीर भारती के साहित्यिक योगदान के साथ-साथ अन्य साहित्यिक/ सामासिक संस्कृति से संबद्ध आलेखों को शामिल किया गया है, जो कि ज्ञानवर्धक, पठनीय एवं अनुकरणीय हैं। हमें विश्वास है कि राजभाषा भारती का यह उच्च स्वरूप बरकरार रहेगा और इसकी एक प्रति इस निदेशालय को नियमित रूप से भेजते रहेंगे ।

बि बंद्योपाध्याय, कर्नल,
जीएसओ-1 महानिदेशालय
असम राइफल्स एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, शिलांग-793011

आपके संपादन में दिनों दिन पत्रिका का स्वरूप रचनात्मक दृष्टि से निखरता जा रहा है। जहां सामग्री की दृष्टि से विषय वैविध्य आया है वहां रचना के स्तर पर अलग-अलग प्रकार की सामग्री पाठकों की मनस्थिति के अनुरूप प्रकाशित करना इसकी प्रगति यात्रा का सूचक है। 'विकल्प' परिवार की ओर से पत्रिका से जुड़े सभी सहकर्मियों को इस हेतु साधुवाद।

डॉ. दिनेश चमोला,
प्रभारी, राजभाषा अनुभाग
भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, हरिद्वार रोड, मोहकमपुर, देहरादून-248005

"राजभाषा भारती" वर्ष 27 अंक 108 पत्रिका क्या है मानवीय एवं सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का एक दुर्लभ दस्तावेज है। इसमें जीवन के हर पहलू को छूने का जो महत प्रयास हुआ है वह सराहनीय है, विचारणीय है। पत्रिका में साहित्य, कला, तकनीकी, विज्ञान तथा सूचना और प्रौद्योगिकी आदि समस्त विधाओं की सुंदर झांकी मिलती है। भाषा एवं शैलीगत सौंदर्य को आत्मसात् करते हुए, ज्ञान एवं चिंतन की पर्वतीय चट्टानों से टकराते हुए भारती रूपी गंगा जब भावना एवं दर्शन के प्रशांत समुन्नत धरातल में प्रविष्ट करती है तो पाठक को दिव्य परिपूर्णता का आभास होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ पाठक और पत्रिका दोनों की आत्मा में एक तादात्म्य सा स्थापित हो जाता है। ऐसी सुंदर, सार्थक सुरूचिपूर्ण एवं संपूर्ण पत्रिका के संपादन एवं प्रकाशन के लिए संपादक मंडल को हार्दिक धन्यवाद।

भागवत प्रसाद राय,
सहायक निदेशक (राजभाषा)
केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (औ.सा.स्कंध) 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001

'राजभाषा भारती' अंक 109 नए आकर्षक कलेवर में सिमटी पत्रिका को देखकर एक सुखद अहसास हुआ। पत्रिका में शामिल सामग्री में भी एक अलग रंगत झलकती है। विशेष रूप से अंतिम आवरण पर अत्यंत प्रभावकारी 'गांधी जी का पत्र गुरूदेव के नाम' स्वयं ही पत्रिका का मंतव्य स्पष्ट कर देता है संभवतः संपादक मंडल ने पत्रिका को एक सकारात्मक मोड़ देने का निश्चय किया लगता है, स्वागत है।

पत्रिका में शामिल सामग्री जानकारीपरक और रोचक है। इसका संपादन एवं प्रस्तुतीकरण भी संतुलित रूप में किया गया है। हिंदी संबंधी आलेख विशेष प्रभावित करते हैं। "राजभाषा भारती" को अपने आधारभूत उद्देश्य की ओर उन्मुख रखने के आशय से विनम्र सुझाव है कि विभिन्न कार्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रकाशित की जा रही स्तरीय हिंदी पत्रिकाओं में से तकनीकी विषयों संबंधी कुछ लेख इसमें शामिल करने से इसकी उपादेयता, पठनीयता और लोकप्रियता और भी बेहतर हो सकेगी।

प्रदीप कुमार अग्रवाल,

सहायक महाप्रबंधक (हिंदी)

इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड,भारतीय रैड क्रॉस सोसाइटी भवन 1, रैड-क्रॉस मार्ग, नई दिल्ली-110001

बंगलौर में आयोजित हिंदी भाषा कुंभ के अवसर पर 'राजभाषा भारती' का 109 अंक देखने को मिला–बहुत अच्छा लगा।

उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद पर तथा डा. पीतांबर दत्त और डॉ धर्मवीर भारती पर प्रकाशित रचनाएं सराहनीय लगी। संस्कृति, पर्यावरण, विज्ञान और पत्रकारिता के स्तंभों के अंतर्गत दी गई सामग्री भी रोचक तथा सूचनाप्रद है। सुंदर सामग्री चयन और प्रकाशन के लिए संपादकीय परिवार को मेरी हार्दिक बधाइयां।

सधन्यवाद ।

राधाकांत भारती,

सदस्य, रा. भा. सलाहकार समिति,

56, नगिन लेक, आउटर रिंग रोड, पीरागढ़ी, नई दिल्ली-87

पत्रिका का प्रस्तुतीकरण तथा लेखों का चयन निश्चय ही सराहनीय है। संगठन की विभिन्न गतिविधियों और उपलब्धियों की रिपोर्ट के साथ-साथ साहित्य, राजभाषा लेख और अलग-अलग प्रकाशित लेखों के कारण पत्रिका और भी रूचिकर और संग्रहणीय हो गई है।

आशा है पत्रिका भविष्य में भी राजभाषा हिंदी के प्रसार की दिशा में इसी प्रकार नई ऊंचाईयों की ओर बढ़ती रहेगी।

पी.सी. आहूजा,

प्रबंधक (रा. भा.),

जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) मर्यादित,76-सी इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-18, गुड़गांव-122015

'राजभाषा भारती' संघीय तंत्र की ऐसी राजभाषा पत्रिका है जिसने राजभाषाई गतिविधियों, साहित्यिक अभिरुचियों तथा अद्यतन विधाओं को समायोजित करते हुए राजभाषा के प्रचार-प्रसार में अहम भूमिका निभायी है। इस रूप में इसका सार्वदेशिक महत्व है। आपकी पत्रिका के 'आदेश/अनुदेश' स्तंभ का तो खास महत्व है। डॉ. सुधेश की 'कोलकाता की साहित्यिक यात्रा' कोलकाता व उसके इर्द-गिर्द की कई परतें खोलती हैं। लेख 'ब्राह्मण ग्रंथ' (प्रो. योगेश चन्द्र शर्मा) में ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में अच्छी जानकारी दी गयी है। 'पूज्य वृक्ष : करमा' (नरेश चंद्र तिवारी) की संस्कृतिपरक, लोकपरक व वनस्पतिपरक जानकारी अच्छी लगी। 'प्रेमचंद द्वारा अनूदित नाटक' (अनिल पतंग), 'डॉ. धर्मवीर भारती और उनका सातगीत वर्ष' (डॉ. विभा शुक्ला) तथा 'हिंदी पत्रकारिता के आधार स्तंभ : बाबू बालमुकुंद गुप्त' (निशा सहगल) जैसी रचनाओं से पत्रिका साहित्यिक भी बन गयी है। अन्यों की रचनाएं भी कमोबेश अच्छी लगीं।

रवींद्र प्रसाद सिंह,

प्रबंधक (हिंदी), आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400005

पत्रिका न केवल बाह्य स्तर पर दर्शनीय है, अपितु इसका आंतरिक कलेवर भी आकर्षक व पठनीय है। पत्रिका में दिए गए लेख विशेषकर "सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में आने वाली कठिनाईयाँ एवं उनका समाधान" व "आधुनिक मीडिया में हिंदी भाषा के स्वरूप की विकासात्मक संभावनाएँ" काफी विवेचनापरक बन पड़े हैं। पत्रिका के माध्यम से केंद्र सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों में चल रही हिंदी गतिविधियों की यथार्थपरक झलक मिलती है। निश्चय ही इस पत्रिका से हमें अपने संस्थान में राजभाषा कार्यान्वयन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। संगठित संपादन हेतु बधाई तथा सुनहरे भविष्य हेतु शुभकामनाएँ।

सतीश चंद्र शर्मा,

हिंदी अधिकारी, भारत इलेक्ट्रानिक्स लि.,

भारत सरकार (रक्षा मंत्रालय) का उद्यम, भारत नगर, गाजियाबाद-201010

MGIPRRND—1394 HA/06—5000 Copies

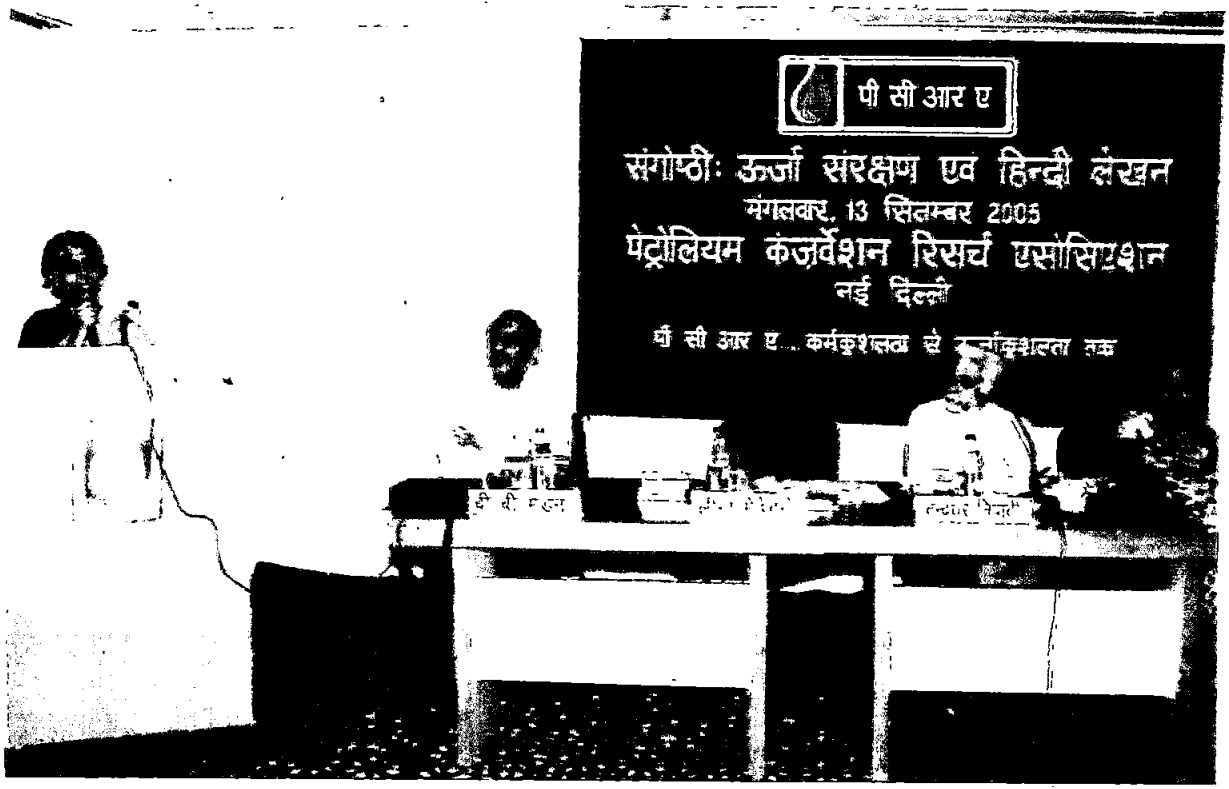

पेट्रोलियम कन्जर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, नई दिल्ली द्वारा आयोजित "ऊर्जा संरक्षण और हिंदी" संगोष्ठी में श्रीमती लीना मेहेंदले, कार्यकारी निदेशक व्यक्त देते हुए ।

भारतीय विमानपतन प्राधिकरण, जयपुर विमानपतन निदेशालय द्वारा कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए राजभाषा कार्यशाला का एक दृश्य

पं.सं. 3246/77

आई एस एस एन 0970-9398

राजभाषा संकल्प, 1968

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी, 1968

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित निम्नलिखित सरकारी संकल्प आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है–

संकल्प

"जबकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्त्तव्य है;

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने के हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी ।

2. जबकि संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त भारत की 14 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास हेतु सामूहिक उपाय किए जाने चाहिएं;

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के साथ-साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हों और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें।

3. जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रि-भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाना चाहिए;

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी-भाषी क्षेत्रों में, हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के, दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए, और अहिंदी-भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबंध किया जाना चाहिए।

4. और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाए;

यह सभा संकल्प करती है–

(क) कि उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्त्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिंदी अथवा दोनों जैसी कि स्थिति हो, का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यतः अपेक्षित होगा; और

(ख) कि परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात् अखिल भारतीय एवं उच्चतर केंद्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।"

ह०/-

आर०डी० थापर,

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 के लिए डॉ. राजेंद्र प्रताप सिंह, उप संपादक द्वारा प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।